राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १] तृतीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९६२ का ४०वां दिवस [संख्या ३०

मंगलवार, दिनांक १ मई, १९६२

विधान सभा की बैठक म. पू. ८ बज कर ५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[स्वायत शासन, राजस्व, सिंचाई, शिक्षा, पंचायत, विकास, आयुर्वेद, समाज कल्याण, खनिज, देवस्थान एवं विधि-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री श्रवणलाल।

म्युनिसिपल बोर्ड, हिन्डोन

३३९. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे। हिन्डोन म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव अभी तक न करवाने के क्या कारण हैं और भविष्य में चुनाव कब तक हो जाने की आशा है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : वार्डों का विभाजन नहीं हुआ था। अब वार्डों का विभाजन १९६१ की जन गणना के अनुसार होगा। इसमें सात-आठ महीने लगेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : इस म्युनिसिपैलिटी की अवधि को समाप्त हुए कितना समय हुआ है और अभी तक चुनाव क्यों नहीं हुए हैं ?

श्री दौलतराम सारण : अब जल्दी ही हो जायेगा; ७-८ महीनों में।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह जानना चाहता हूं कि कितना समय हो गया इसकी अवधि को समाप्त हुए ?

श्री दौलतराम सारण : अवधि समाप्त हुए तो काफी समय हो गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : काफी समय कितना हो गया है, यही तो मैं जानना चाहता हूं ?

श्री दौलतराम सारण : इसकी अवधि २७-४-६१ को खत्म हुई थी। पहले इसने २८-४-५६ को अपना कार्यभार संभाला था। उसके बाद दो वर्ष की एक्सटेन्शन दी गई जो २७-४-६१ को समाप्त हुई।

श्री मुरलीधर व्यास : आप यह कह रहे हैं कि दो वर्ष तक इसकी अवधि बढ़ा दी गई थी। उसके बाद भी इसका चुनाव क्यों नहीं हुआ?

श्री दौलतराम सारण : एक बार वार्ड फाइनल कर दिये गये थे परन्तु उन पर आब्जेक्शन्स आये और वार्ड विभाजन में गल्तियें रह गई इसलिए उनका पुनःगठन करना पड़ा और इसमें कुछ समय लग गया। इसके बाद जनगणना १९६१ की आने वाली थी इसलिए भी देर हुई। इसलिये अब जैसा मैंने कहा कि इसका चुनाव जल्दी ही सात-आठ माह के बाद करा दिया जावेगा?

श्री मुरलीधर व्यास : अब इसमें सात, आठ महीनों की क्यः जरूरत है?

श्री दौलतराम सारण : जनगणना के अनुसार नये वार्ड को बनाना पड़ेगा और इलेक्टररोल्स तैयार कराने पड़ेंगे। उन पर एतराज भी होंगे। इस प्रकार समय तो लगेगा ही, इसलिए ७-८ महीनों का समय मैंने आपको बताया है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह कार्य आपने कब से आरम्भ किया है?

श्री दौलतराम सारण : यह कार्य चल रहा है।

श्री भैरोंसिंह : आपने बताया कि नई जनगणना के अनुसार वार्ड वगैरह बन रहे हैं और सूचियें बन रही हैं, यह कार्य कब शुरु किया गया?

श्री दौलतराम सारण : यह तारीख तो मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह मान लिया जाए कि कार्यवाही शुरु करदी गई है?

श्री दौलतराम सारण : मानना ही चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : म्युनिसिपल एक्ट के रुल्स के अनुसार ३।। महीनों से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिये; फिर सात-आठ महिनों का समय आपने कैसे बताया है?

श्री दौलतराम सारण : जैसा मैंने निवेदन किया कि वार्ड आदि के बनाने में व सूचियें तैयार होने में समय लगेगा। इसलिए सात-आठ महीनों का समय बताया है।

श्री भैरोंसिंह : आपने जो रुल्स बनाये हैं म्युनिसिपल चुनावों के लिये उसके अनुसार ३।। महीनों का समय लगता है, क्या इसको सही माना जावे या आपने जो बताया है कि सात-आठ महीनों का समय लगेगा, इसको सही माना जावे?

श्री दौलतराम सारण : आप किसको सही मानें और किसको नहीं, यह तो आपकी मर्जी पर है। नियमों के अनुसार समय लगता ही है।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह क्या फैसला है ? रूल्स एन्ड प्रोसीजर में ३॥ महीनों का समय म्युनिसिपल चुनाव के लिए रखा गया है और यहां पर जवाब मिलता है कि सात या आठ महीने लगेंगे। ठीक है, मगर माननीय मंत्री महोदय जरा तो इसमें ध्यान देंगे कि आवश्यकता क्या है ? जब इसके लिये सात या आठ महीने लग जायेंगे तो बीकानेर के इलेक्शन के लिये तो आप कह देंगे कि ८ या १० महीने लगेंगे। हिन्डोन तो मामूली है। इसलिए माननीय मंत्री इसके बारे में गंभीरता के साथ विचार करें।

श्री दौलतराम सारण : आपके सुझाव पर गंभीरता से विचार किया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान टाउन म्युनिसिपल एक्ट के अनुसार दो वर्षों से ज्यादा एक्सटेन्शन किसी को नहीं दिया जावे ?

श्री दौलतराम सारण : यह सही है। ऐसा है कि ऑर्डर के अनुसार इसकी अवधि दो साल तक की बढ़ाई गई। उसके बाद यह एक्ट आया और एक वर्ष की अवधि और बढ़ा दी गई।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस नये एक्ट के नीचे इस प्रकार का प्रावधान है कि जितनी म्युनिसिपल बोर्ड की एक्सटेन्डेड टर्म है उसको शामिल करने के बाद गवर्नमेंट को इलेक्शन्स विदिन सिक्स मंथ्स कराने चाहिये। दो-ढाई वर्ष तक नहीं करातो, यह रूल्स के खिलाफ कार्यवाही है ?

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, जो स्थिति है वह में स्पष्ट रुप से निवेदन कर चुका हूँ।

श्री भैरोंसिंह : फिर गवर्नमेंट जानबूझ कर एक्ट के, रुल्स के खिलाफ कार्यवाही क्यों करती है ?

श्री दौलतराम सारण : गवर्नमेंट बिल्कुल नियमों के अनुसार कार्यवाही करती है।

श्री भैरोंसिंह : बिल्कुल नहीं करती। ऐसा मालूम होता है कि मंत्रीजी को नियम और एक्ट बिल्कुल मालूम नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भीमसेन !

गिरदावरी की निर्धारित अवधि में वृद्धि

३४०. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि गिरदावरी करने एवं उसके निरीक्षण का समय केवल ३० दिन रखे गये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि बीकानेर जैसे रेगिस्तानी इलाकों में इन्सपेक्टिंग एवं सुपरवाइज़िंग स्टाफ के लिए यह संभव नहीं है कि वे राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू रूल्स के अन्तर्गत सौंपी गई अपनी जिम्मेदारियों को इतने अल्प समय में पूरी तरह से निभा सकें ?

(३) क्या सरकार इन्सपेक्टिंग एवं सुपरवाइज़िंग स्टाफ के लिये रेगिस्तानी इलाकों में उक्त अवधि को बढ़ाने अथवा अन्य कोई उपाय काम में लेने का विचार रखती है, जिससे कि संबंधित कर्मचारियों को अपनी

(श्री भीमसेन)

जिम्मेदारियें निभाने में सहायता मिल सके तथा काश्तकारों की शिकायतें भी दूर हो सके ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भीमसेन : (२) के जवाब में कहा है, 'ज़ी नहीं'; तो पटवारी गिरदावरी करता है तो उसको सुपरवाइज़, इन्सपेक्टर, नायब तहसीलदार और तहसीलदार इतने कम समय में नहीं कर सकते और इससे गड़बड़ होती हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसी कोई शिकायत नहीं है। शायद माननीय सदस्य को मालूम होगा कि एरिया ज्यादा होता है तो खसरा नम्बर कम होता है इसलिए जो अवधि निर्धारित की गई है उसमें काम पूरा हो सकता है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : शिकायत तो आम है–जनरल है। हमारे यहां सुपरवाइज़िंग प्रोविज़न रखा है वह बिल्कुल फार्स है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: हमने रेवेन्यू बोर्ड से इस प्रश्न को एग्ज़ामिन करवाया। उससे कोई ऐसी चीज नहीं पाई गई कि जिससे कि अवधि बढ़ाई जाय।

श्री भीमसेन : गिरदावर को चैक करना पड़ता है। १०–१५ दिन का टाइम तो उसको ही चाहिये। फिर नायब तहसीलदार और तहसीलदार को सुपरवाइज़ करना पड़ता है तो वह सब के लिये ३० दिन का टाइम पर्याप्त नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि दूसरे कर्मचारी हैं उनके मुकाबले में जहां रेगिस्तानी इलाका है वहां खसरा नम्बर कम रखा है इसलिये निश्चित अवधि में काम कर सकते हैं।

श्री मनफूलसिंह (सूरतगढ़) : खसरा नम्बर कम रखा है तो एक एक खसरा १५, १५ मील दूर होता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १५ मील दूरी का तो पता नहीं, पर एरिया तो कम होता है।

श्री अध्यक्ष : नियमानुसार सारे खसरे चैक होने चाहिये या सेम्पल चैकिंग हो ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : परसेंटेज है।

श्री अध्यक्ष : परसें;टेज एक महीने में पूरा हो सकता है ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : परसेन्टेज ज्यादा है; ३०,४० और ६० परसेन्ट तक है। हजारों मुकदमे गलत इन्द्राजात के दर्ज हैं। इतने मुकदमे पेंडिंग हैं तो इससे यह प्रत्यक्ष है कि सुपरवाइज़िंग ऑथोरिटीज़ अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से नहीं निभा सकती।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस तरह की कोई बात नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : १३६–लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत हजारों मुकदमे एस. डी. ओज़. के यहां चल रहे हैं। एस० डी० ओज़.

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

के यहां से इन्फोर्मेशन मंगाई जाय तो साफ पता चल सकता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : चैक कर लेंगे।

श्री भीमसेन : अगर यह शिकायत सही पाई जाय तब तो इस पर विचार किया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : कहा न कि चैक कर लेंगे।

(विराम)

श्री हरिप्रसाद शर्मा

मंडी निर्माण, लाखेरी

३४१. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि लाखेरी में मंडी बनाने की योजना बनाई गई है ?

(२) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या कोई स्कीम ही नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी नहीं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा :प्लानिंग ऑफिसर लाखेरी में आये हैं और कलेक्टर के साथ आश्वासन दिया है कि यहां पर नहरी मंडी कायम कर लेते हैं, ५०० एकड़ जमीन चाहिये। इसलिये जो जमीन और लोग लेना चाहते हैं उनको भी वह जमीन नहीं दी जा रही है। तो माननीय अध्यक्ष, जो मन्त्री महोदय कह रहे हैं उसे सच समझा जाय या प्लानिंग के अफसर ने और कलेक्टर ने वहां कहा उसे सच माना जाय ? मन्त्री महोदय आये थे तो उन्होंने भी वहां घोषणा की थी कि वहां नहरी मंडी बनायी जायेगी। वहां की म्युनिसिपैलटी में भी लिखित आश्वासन दिया है कि लाखेरी में मंडी होगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कौनसी बात सही है, यह तो आप स्वयं ही विचार लें। जो मंडी बनाई जाती है तो उसके लिये नोटिफिकेशन होता है कि फर्स्ट ग्रेड, सेकिन्ड ग्रेड और थर्ड ग्रेड मंडियां कौनसी होंगी। इनकी लिस्ट को मैंने ध्यानपूर्वक देखा है उसमें लाखेरी का नाम नहीं है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यह मेरे विचार करने का अवसर नहीं है, सरकार के विचार करने की बात है।

श्री अध्यक्ष : योजना में लाखेरी का नाम नहीं है, यह मन्त्री महोदय ने कहा है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : तो क्या प्लानिंग के अफसर और मन्त्री जनता के साथ इस तरह से धोखा करते हैं ?

श्री अध्यक्ष : 'धोखा' शब्द माननीय सदस्य इस्तेमाल न करें।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): प्लानिंग कमीशन वहां पर गया ही नहीं।

Page No. 6

श्री अध्यक्ष : प्लानिंग अफसर का कहा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कॉलोनाइज़ेशन के गये होंगे।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपके जयपुर के प्लानिंग ऑफिसर गये हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रघुनाथ बिश्नोई।

पंचायत समिति, सांचोर

२४२. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पंचायत, समिति, सांचोर में हाल ही में शिक्षकों की कटौती की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) क्या पंचायत समिति में जनसंख्या के आधार पर शिक्षकों का अलॉटमेंट नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या अब जन संख्या के आधार पर शिक्षकों का अलॉटमेन्ट करने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) सांचोर समिति में शिक्षकों की कटौती बिल्कुल नहीं की गई है केवल पोस्टों का एडजस्टमेन्ट किया गया है।

(ख) जी हां। जनसंख्या के आधार पर शिक्षकों का अलॉटमेंट नहीं किया गया है। शिक्षकों का अलॉटमेन्ट छात्र-संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार किया जाता है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या यह सही नहीं है कि २८ शिक्षक पंचायत समिति में काम करते थे, डाइरेक्टोरेट के यहां से हुक्म आया और कटौती की गई, वहां से शिक्षक निकाले हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कटौती नहीं की है ! प्राथमिक पाठशालाओं को माध्यमिक शालाओं में परिणत कर दिया गया तो कुछ शिक्षक माध्यमिक पाठशालाओं में काम करते हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या यह सही है कि वे वहां काम नहीं कर रहे हैं इसलिये मजबूरी हालत में प्राइमरी स्कूलों को बन्द करना पड़ा है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बन्द की गई है, यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या मन्त्री महोदय इसकी जानकारी करेंगे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपने ध्यान दिलाया है तो जानकारी करूंगा।

श्री मोहनराज (बाली) : इस प्रश्न के "ख" भाग का जवाब 'हां' में दिया गया है तो क्या शिक्षकों का अलॉटमेन्ट जनसंख्या के आधार पर किया जाता है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरे उत्तर को माननीय सदस्य ने ध्यान से नहीं सुना। मैंने कहा है कि छात्रों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शिक्षकों का अलॉटमेन्ट किया जाता है।

श्री गिरधारीलाल (आसीन्द) : क्या यह सही है कि इस प्रकार की प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को माध्यमिक शालाओं में लिया गया है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मुझे ऐसी जानकारी नहीं है, पर लिया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्रबाला ।

सहकारियों को वितरित की गई भूमि

३४३. **श्रीमती नगेन्द्रबाला** (छबड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या तहसील शाहबाद किशनगंज में में सहकारियों को जो भूमि दी गई है वह अधिकांश में पथरीली है और काबिल काश्त नहीं है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें काबिल काश्त भूमि देने की उचित व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : जी नहीं ।

(२) अगर किसी की भूमि काश्त के लायक नहीं होगी तो उस पर विचार किया जा सकता है ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : क्या मंत्री महोदय बताने को कृपा करेंगे कि शाहबाद किशनगंज क्षेत्र में सहकारियों की टोटल पोपुलेशन कितनी है, कितनों को भूमि दी गई है और कितने लैंड लैस हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : शाहबाद-किशनगंज क्षेत्र में ४,६१५ परिवार हैं, उनमें से ६४७ परिवारों को भूमि देनी बाकी है, बाकी सब को भूमि दे दी गई है ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अधिकांश भूमि पथरीली है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो नहीं कह सकता, पर पथरीली जमीन के सम्बन्ध में एतराज जरूर आये हैं । इस सम्बन्ध में कलेक्टर, कोटा ने तहसीलदारों और पटवारियों को हिदायत दी है कि गिरदावरी के लिये जांय और इस प्रकार की शिकायत हो तो नियमानुसार बदलने की कार्यवाही की जाय ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी जानकारी देना चाहती हूं कि किस तरह की दिक्कत उनके सामने खड़ी हुई है । उनकी इस दिक्कत को दूर नहीं किया गया तो और ही समस्या पैदा हो जायेगी....

श्री अध्यक्ष : आप भाषण नहीं दें, जानकारी लें ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : एक मिनट में जानकारी देती हूं....

श्री अध्यक्ष : जानकारी दें नहीं, लें ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : क्या आम आदेश देकर जिनको पथरीली भूमि दी गई है उन्हें काबिल—काश्त भूमि दी जायेगी और जिनको अभी तक भूमि अलॉट नहीं की है उन परिवारों को भूमि अलॉट करने के आदेश दिये जायेंगे ?

Page No. 8

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दोनों प्रकार के आदेश दे दिये गये हैं। ६४७ परिवार जिनको भूमि नहीं मिली है उनको भूमि अलॉट करने के ६२ में आदेश जारी किये जा चुके हैं।

श्री गिरधारीलाल (आसींद) : क्या इन लोगों को सहकारी समितियां बना कर भूमि अलॉट की गई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसी बात नहीं है।

श्री गिरधारीलाल : क्या सरकार ने निर्णय लिया है कि जो भूमि अलॉट की जायेगी वह सहकारी समितियां बना कर ही अलॉट की की जायेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो एक आम सवाल है। सहरियात के लिए कहा है। जिनको जमीन नहीं मिली है उनके लिए व्यवस्था की जा रही है, चाहें सहकारी समिति या इन्डिविज्युअली लें, बना कर लें यह उन पर ही निर्भर करता है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा सु.) : बरसात से पहले पहले मिल जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री महेन्द्रसिंह।

सरपंच, पंचायत समिति कोटड़ा द्वारा पंचायत की रकम को व्यक्तिगत उपयोग में लिया जाना

३४४. **कुंवर श्री महेन्द्रसिंह** (दीगोंद) : क्या मंत्री, पंचायत विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, सुलतानपुर की पंचायत कोटड़ा-दीपसिंह के भूतपूर्व सरपंच. ने तहसील से २६-६-५६ को कुछ रकम ली थी ?

(२) क्या यह सही है कि इस रकम को सरपंच ने अपने व्यक्तिगत उपयोग में ली ?

(३) उपरोक्त रकम पंचायत की रोकड़ में कब जमा की गई ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री दिनेशराय डांगी) (१) जी नहीं। दिनांक २६-६-५६ को तहसील से कोई रकम प्राप्त नहीं की।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल नहीं सुनाई दिया।

श्री दिनेशराय डांगी : (१) जी नहीं। दिनांक २६-६-५६ को तहसील से कोई रकम प्राप्त नहीं की।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह : क्या भूतपूर्व सरपंच ने पंचायत की कोई रकम वर्तमान सरपंच को हैंड ओवर नहीं की ?

श्री दिनेशराय डांगी : सुनाई नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में कोई रकम भूतपूर्व सरपंच को दी गई जो वर्तमान सरपंच को नहीं हैंड ओवर की ?

Page No. 9

श्री दिनेशराय डांगी : रकम पंचायत की रोकड़ में दर्ज है।

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह : "प्रश्न नहीं उठता", यह कैसे कहा ? सरपंच ने रकम तहसील से ली है तो फिर उसने वर्तमान सरपंच को हैंड ओवर क्यों नहीं की ?

श्री दिनेशराय डांगी : २५-११-५६ को सरपंच के मकान में चोरी हो गई। ६२८.६८ न. पैसे भी चोरी हो गये थे। वसूली की कार्यवाही अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, कोटा के पास चल रही है।

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह : तहसील से जिस तारीख को रकम ड्रॉ की तो उसके कितने दिन बाद सरपंच के मकान पर चोरी हुई ?

श्री दिनेशराय डांगी : जी हां।

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह : मैं यह पूछ रहा हूँ कि रकम ड्रॉ करने के कितने दिन बाद सरपंच के घर पर चोरी हुई ?

श्री अध्यक्ष : रकम उठाने के कितने दिन बाद सरपंच के घर पर चोरी हुई ?

श्री दिनेशराय डांगी : दो-तीन महीने का टाइम लगा था।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : पंचायत कोष कहां रहता है ?

श्री दिनेशराय डांगी : पंचायत समिति के पास रहता है।

श्री भैरोंसिंह : ग्राम पंचायत का सवाल है। जिस कोष में यह रकम जमा होनी चाहिये थी वह कोष कहां रहता था ?

श्री दिनेशराय डांगी : गांवों में कच्चे मकान होते हैं इसलिए सरपंच के घर में था।

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह : २००) रु० से अधिक की रकम कोई सरपंच अपने पास नहीं रख सकता है, यह नियम है ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सच है कि ग्राम पंचायत में २५०) रु० से अधिक रकम नहीं रखी जा सकती ?

पंचायत मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : २५०) रु० की रख सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह तो ज्यादा रकम है।

श्री नाथूराम मिर्धा : सरपंच ने अपनी जिम्मेदारी पर रखी है और वह ही इसके लिए सजा पाने का मुस्तहक है।

श्री भैरोंसिंह : रूल्स जो बना रखे हैं, उनमें यह कहीं पर भी नहीं है कि २५०) रु. से अधिक कोष रखेगा तो उसकी जिम्मेदारी होगी।

श्री नाथूराम मिर्धा: आम तौर पर पोस्ट ऑफिस के सेविंग्ज़ बैंक में रखी जाय और २५०) रु. से अधिक पास में न रखी जाय। उसके बाद भी नियम का पालन नहीं होता है तो उसके कॉन्सीक्वेन्सेज़ क्या हो सकते हैं, यह आप खुद ही समझ सकते हैं।

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह : २५०) रु. की रकम रखी है उसका पंचायत ने दो रुपया सैकड़ा का व्याज वसूल किया है ?

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम।

जागीर बोन्ड्स

२४५. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत): क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि पाली जिले में जागीरी बोंड्स का इन्डेन्ट काफी समय तक नहीं किया गया ?

(२) १ जनवरी, १९६० से ३१–३–६२ तक माहवार कितने मुकदमे जागीर मुआवजे के डिप्टी क्लेक्टर, पाली द्वारा फैसल हुए और उनके बोंड्स का इन्डेन्ट किस किस महीने में भेजा गया ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) जागीरी बोंड्स के इन्डेन्ट माह अगस्त, सन् १९६० में तैयार कर दिये गये थे किन्तु उनकी जांच आदि में कुछ समय लग गया।

(२) तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत करदी गई है। बोंड्स के इन्डेन्ट माह सितम्बर १९६१ व जनवरी १९६२ में किये गये थे।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री तेजाराम गहलोत : क्या यह बात सच है कि डिप्टी कलेक्टर, जागीर के फैसले के अन्दर जिस जागीरदार को जितना मुआ-वजा मिलना होता है उसके अंक का इन्द्राज होता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सही है।

श्री तेजाराम गहलोत : इन्डेन्ट देने के वक्त जांच बाकी रह जाती है वह कौन अधि-कारी जांच करता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : डिप्टी-कलेक्टर, जागीर ने जांच कर ली। कलेक्टर उसका हैड होता है, इसलिए कलेक्टर ने मुनासिब समझा कि जांच कराई जाय। इसलिए आर० ए० एस० अन्डर ट्रेनिंग थे उनमें से किन्हीं से जांच करायी गई। इसलिए कुछ नोर्मल समय से अधिक समय लगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): डिप्टी-कलेक्टर ही कर देता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कलेक्टर को इसके लिए अधिकार है।

श्री तेजाराम गहलोत : इन्डेन्ट होना मंत्री महोदय ने बताया। लेकिन ६० का इन्डेन्ट ६१ में किया। मुकदमे फैस होने के एक साल बाद इन्डेन्ट करना क्या कलेक्टर की नेग्लीजेन्स नहीं है और इस तरह से पब्लिक को हैरेसमेन्ट नहीं है ? मैं कहूँगा....

श्री अध्यक्ष : पहले प्रश्न का उत्तर ले लें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : फैसले होने के तीन महीने पहले इन्डेन्ट लिया ही नहीं जाता है। बाद का समय रहता है उसके लिए निवे-दन किया कि कलेक्टर को अधिकार है कि वह दुबारा किसी से भी जांच करावे। इसमें कुछ समय लगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : तीन महीने का समय बताया। अन्य आय भी है; उसमें कानून के अनुसार कोई इन्डेन्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अब तो तीन महीने के पीरियड को भी हटा दिया गया है।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

आइन्दा देरी नहीं होगी, यह मान कर चल सकते हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): क्या पाली जिले के अलावा भी दूसरे जिलों की शिकायत है कि जांच समय पर होकर बोन्ड्स समय पर नहीं मिलते ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार।

गम्भीरी बांध

३४६. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा): क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या गम्भीरी बांध के नीचे अरनोदा जाने वाला रास्ता और उसकी पुलिया गत वर्षा काल में टूट गई थी ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : पूरी पुलिया तो नहीं, एक विंग टूट गई थी व थोड़ा रास्ता टूट गया था।

श्री अब्दुलजब्बार : रास्ता टूट गया था उसको बंधवाने की क्या व्यवस्था की ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : काम चालू है।

श्री अब्दुलजब्बार : कितना काम हुआ है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: बारिश से पहले पहले ठीक हो जावेगी।

श्री अब्दुलजब्बार : टूटने का कारण क्या था ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अधिक वर्षा थी। बांध के वेस्ट वीयर से होकर सात सात फीट पानी ओवर-फ्लो हुआ इसलिए टूट गयी।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज।

प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों का स्थानान्तरण

३४७. **श्री मोहनराज** (पाली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि पाली जिले की प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों को पंचायत समितियों में सेवा हेतु स्थानान्तरित करते समय उनकी राय नहीं ली गई और न ऑप्शन फॉर्म ही भरवाये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) पंचायत समितियों के अन्तर्गत चल रही प्राथमिक शालाओं में जो अध्यापक एम. ए. बी. ए. अथवा इन्टरमीजिएट ट्रेन्ड हैं उनकी तरक्की के विषय में सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

(ग) शिक्षा विभाग के अधीनस्थ कार्य करनेवाले अध्यापकों व उसी योग्यतावाले पंचायतों के अन्तर्गत कार्य करने वाले अध्यापकों की तरक्की व बढ़ोतरी में भिन्नता मिटाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (क) जी नहीं, यह सही नहीं है; क्योंकि पंचायत समिति जिला परिषद् कानून राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित कर दिया गया

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

और उस कानून में जो कि राजस्थान गजट में प्रकाशित किया जा चुका है उसके अनुसार प्रत्येक अध्यापक को ६० दिन के अन्दर राजकीय स्कूल में रहने के लिये ऑप्शन देने का अधिकार था। यदि किसी अध्यापक ने प्रकाशित किये हुए कानून को नहीं देखा है तो यह उसकी जिम्मेवारी है।

(ख) पंचायत समिति में जो अध्यापक उच्च योग्यता रखते हैं वे नियमानुसार जहां भी रिक्त स्थान हो वहां के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं। अब तक शिक्षा विभाग में ग्रेजुएट ग्रेड की पोस्ट का चुनाव खुले रूप में लोक सेवा आयोग से होता था। भविष्य में इसका चुनाव शिक्षा विभाग द्वारा होगा, जिसके नियम सरकार के विचाराधीन हैं। नियमों के स्वीकृत होने पर पंचायत समिति के अध्यापक भी नियमानुसार आवेदन-पत्र दे सकते हैं। पंचायत समिति में अध्यापकों को ट्रेन्ड मैट्रिक तक की ग्रेड का प्रमोशन वरिष्ठता के अनुसार समिति के अन्तर्गत स्कूलों में दिया जाता है। तथा ट्रेन्ड मैट्रिक ग्रेडवाले अध्यापकों को वरिष्ठता के अनुसार विभाग द्वारा प्रमोशन दिया जाता है। १.१०.५६ तक जिन अध्यापको को ट्रेन्ड मैट्रिक ग्रेड मिलता था उन सभी को यदि उन्होंने इन्टर पास कर लिया है तो उन्हें अनट्रेन्ड इन्टर की ग्रेड देने की आज्ञा सभी निरीक्षकों के कार्यालयों में भेज दी गई है।

(ग) शिक्षा विभाग तथा पंचायत समिति में कार्य करने वाले अध्यापकों को नियमानुसार वरिष्ठता के अनुसार तरक्की दी जाती है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : नियम कब तक फाइनेलाइज़ हो जावेंगे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जल्दी ही कोशिश करेंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि इस एक्ट और रूल्स के अनुसार अध्यापकों के पास फॉर्म भेजने की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की थी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन यह गजट में प्रकाशित कर दिया गया था, जो चाहते थे वे दे सकते थे। जन-साधारण को सूचना देने का एक ही जरिया है और वह है गजट।

श्री मोहनराज : क्या माननीय मंत्री यह जानकारी रखते हैं कि पाली जिले में ये फॉर्म शिक्षा अध्यापकों के पास भेजे गये थे या नहीं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह अलहदा प्रश्न है। प्रश्न करने पर जानकारी करूंगा।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : सारे जिलों में भेजे जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष : स्पष्ट तौर पर यह प्रश्न पाली जिले के लिए ही था कि उनके पास फॉर्म भेजे गये या नहीं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह जानकारी नहीं।

Page No. 13

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : क्या यह सही है कि पंचायत समिति के बहुत से अध्यापक ऐसे हैं जो ट्रेन्ड हैं उनको भी इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं दी गई थी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं देख लूंगा, अगर कोई ऐसी अव्यवस्था हुई है तो ।

श्री भैरोंसिंह : आपस में ही बातचीत हो रही है, हमें कुछ भी मालूम नहीं हो रहा है ।

एक माननीय सदस्य : क्या यह लाजमी नहीं था कि जिन अध्यापकों को सूचना नहीं मिली है उनको शिक्षा विभाग द्वारा दी जाय ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : गजट में जब शाया हो गया तो देख लेना चाहिये ।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या हर स्कूल में गजट पहुँचाने की व्यवस्था है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सरकार की यह कोई जिम्मेदारी नहीं कि हर नागरिक के घर गजट पहुंचाये । जो उसमें दिलचस्पी रखते हैं वे देख सकते हैं ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : रूल्स फाइनेलाइज़ होने पर क्या उनको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जायेगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो नियम बनेंगे उसी के अनुसार कार्यवाही होगी ।

श्री भैरोंसिंह : क्या प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स को सरकार ने कोई सीनियोरिटी लिस्ट बनाई है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : होनी चाहिए लिस्ट; नहीं तो प्रोमोशन कैसे दिये जायेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : तो यह समझा जाय कि लिस्ट बनी हुई है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : डिस्ट्रिक्ट वाइज़ लिस्ट बनाई जाती है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या डिस्ट्रिक्ट वाइज़ सीनियोरिटी लिस्ट बनी हुई है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : नियमानुसार होनी चाहिये । फैक्ट के बारे में तो मैं जानकारी करके ही बता सकता हूं । इसके लिये आप अलग से प्रश्न पूछिये, जवाब दूंगा ।

श्री मोहनराज : क्या आप इस प्रकार का आश्वासन देंगे कि अध्यापकों की सेवायें पंचायत समितियों को सौंपने के बाद उनकी जो तरक्की या बढ़ोत्तरी इस वजह से रुक गई है और उनके बराबरी के अध्यापक जो शिक्षा विभाग में काम करते हैं उनको प्रमोशन्स, इन्क्रीमेन्ट्स बराबर मिलते गये हैं तो नये नियमानुसार उन अध्यापकों के जो हक मारे गये हैं वे हक वापिस दिये जायेंगे ? क्या आप इस प्रकार का आश्वासन दे सकते है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह बात सोची जा सकती है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या ये जो प्रमोशन्स हुए हैं अब तक जिला परिषद् एक्ट के अनुसार सब टेम्पोरेरी हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ज्यादातर टेम्पोरेरी हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपके कायदे के अनुसार बताइये कि टेम्पोरेरी रहते हैं या नहीं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जब तक इस बारे में कोई नीति निर्धारित नहीं करते उस समय तक जो भी प्रमोशन्स हुए हैं वे टेम्पोरेरी हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस प्रकार के इन्स्ट्रक्शन्स थे कि जो भी अपोइन्टमेंट किया जाय वह टेम्पोरेरी किया जाय ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : नये अपोइन्टमेन्ट्स के लिये होगा।

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): जिला परिषद् एक्ट के लागू होने के बाद जो भी प्रमोशन्स हुए हैं उनको टेम्पोरेरी प्रमोशन समझा जाना चाहिये।

श्री गिरधारीलाल : जो पंचायत समिति में शिक्षक ट्रेन्ड हैं उनको तो ट्रेन्ड का ग्रेड नहीं दिया गया और जो शिक्षा विभाग में थे उनको दे दिया गया; यह भिन्नता क्यों ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसका उत्तर प्रश्न के जवाब में दिया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

पंचायत समिति, चोरू (उनियारा)

३४८. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि सरपंच श्री कल्याणमल ग्राम पंचायत चोरू, तहसील उनियारा, जिला टोंक को पंचायत समिति उनियारा से ३,०००) रू० ग्राम चोरू में टट्टियां बनाने के लिये माह जून, सन् १९६१ में दिये थे ?

(ख) अगर हां, तो क्या ग्राम चोरू में टट्टियां बना दी गई ? अगर नहीं, तो क्या वह रकम सुरक्षित है ? अगर नहीं, तो वह रकम किस कार्य में लगी और किसके हुक्म से ?

(ग) क्या यह सही है कि उपरोक्त सरपंच के खिलाफ कई गबन के मुकदमे चल रहे हैं ? अगर हां, तो क्या क्या ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उप मन्त्री, सामुदायिक विकास (श्री दिनेशराय डांगी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। सरपंच ने उक्त धनराशि में से आधी रकम अपनी मर्जी से स्कूल भवन के निर्माण में खर्च कर दी है व शेष रकम का कोई हिसाब नहीं दिया है।

(ग) जी नहीं।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जवाब बिल्कुल सुनाई नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : आप उत्तर वापिस दीजिये।

Page No. 15

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, आपको आगे बैठा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आगे बैठेंगे तब बैठेंगे, आप उत्तर वापिस दीजिये।

श्री दिनेशराय डांगी : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। सरपंच ने उक्त धनराशि में से आधी रकम अपनी मर्जी से स्कूल भवन निर्माण में खर्च कर दी है व शेष रकम का कोई हिसाब नहीं दिया है।

(ग) जी नहीं।

जागीरदारों के मुआवजे के दावे

३४६. **श्री फतहसिंह** (चौहटन) : क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(१) आमेर तहसील में कितने जागीर-दारों के मुआवजे के दावे फाइनल हो चुके हैं और शेष के फाइनल न होने की क्या वजह है ?

(२) क्या जिनके दावे फाइनल हो गये हैं उन सबको बोन्ड्स दे दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस विलम्ब का क्या कारण है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : आमेर तहसील के कुल ३,२०० दावों में से २,७९८ दावे फाइनल हो चुके हैं। ३४१ दावे बन्दोबस्त के कागजात नहीं आने से शेष हैं। ६१ दावों में अन्य आय, पातीदारान, गुजारेदारान एवं सरकारी बकाया के बाबत आपत्तियां हैं।

(२) १,१२१ दावों में बोन्डस वितरण हो चुके हैं। शेष उत्तराधिकारी की कार्यवाही न कराये जाने के कारण व जागीरदारान को नोटिसेज़ मिलने के बावजूद उपस्थित नहीं होने के कारण रुके हुए हैं। कुछ दावों में हाल ही में बोन्ड्स प्राप्त हुए हैं जिन्हें वितरित किया जायेगा। कुछ में बोन्ड्स इन्डेन्ट करने का समय नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

औषधालय

३५०. **श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना में १४,००० की जन-संख्या पर एक औषधालय खोलने की योजना थी ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार ने पंचायत समिति, आसीन्द में इस योजना को कार्यान्वित करने का विचार किया है ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन, (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री गिरधारीलाल : पंचायत समिति आसीन्द की जन-संख्या १७ हजार है। इस हिसाब से इस पंचायत समिति में आयुर्वेदिक औषधालय खोला जाना आवश्यक है।

श्री दौलतराम सारण : जनसंख्या आसीन्द की कितनी है, इस समय तो मुझे मालूम नहीं। बाकी प्रश्न का उत्तर मैं निवेदन कर चुका हूँ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार की

Page No. 16

(श्री भीमसेन)

योजना थी कि चार पंचायतों के बीच में एक औषधालय खोला जाय ?

श्री दौलतराम सारण : प्रारम्भ में आप जो कह रहे हैं वह स्थिति थी, लेकिन कालान्तर में जिला विकास समिति जिस जगह के लिये सिफारिश करती उस स्थान पर औषधालय की स्वीकृति दी जाती थी। उसके बाद जिला बोर्ड के भंग होने पर उनके औषधालय भी विभाग के अन्तर्गत आ गये। कई जगह एलोपेथिक डिस्पेन्सरियां खोली गईं, कई जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये; इस कारण इस नीति को परिवर्तित करना पड़ा।

श्री गिरधारीलाल : माननीय मन्त्री महोदय ने १४ हजार की आबादी पर तो औषधालय खोलने के लिए इन्कार कर दिया लेकिन चार पंचायतों के बीच एक औषधालय खोलने की बात को 'हां' कहा है; तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कौनसी बात सही है ?

श्री दौलतराम सारण : जो सही है वह निवेदन कर चुका। चार ग्राम पंचायतों के बीच एक औषधालय यथासम्भव खोलने की नीति थी। लेकिन चार ग्राम पंचायतों की आबादी निश्चित नहीं थी, दस हजार भी हो सकती है, पांच हजार और आठ हजार भी हो सकती है। इसलिये निश्चित नहीं कि चार पंचायतों की आबादी १४ हजार ही हो।

मीना आश्रम स्कूल, सिकराय

३५१. **श्री लक्ष्मणप्रसाद** (सिकराय-सु.) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार की सिकराय में चल रहे मीना आश्रम स्कूल के लिये भवन बनाने की योजना है ?

(२) यदि हां, तो वह कब तक पूर्ण हो जावेगी ?

उप-मन्त्रिणी, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां।

(२) निश्चित रुप से नहीं कहा जा सकता परन्तु आशा है कि यह भवन तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में बन जायेगा।

श्री गोकुलचन्द (कठूमर-सु.) : क्या इस पर जो रकम लगेगी वह सरकार ही लगायेगी।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी हां।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : इसमें कुल कितनी धनराशि लगेगी ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह निश्चित रुप से अभी नहीं बताया जा सकता।

श्री मुरलीधर व्यास : आखिर रुपया तो सरकार ही लगायेगी। अभी तक पता नहीं है कि कितना लगायेगी ?

शिक्षा मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : पैटर्न अभी तक तय नहीं हुआ है, उसके बाद देखा जायगा।

रिलीफ कार्य

३५२. **श्री देवीलाल** (सराड़ा-सु.): क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :–

(क) क्या तहसील खैरवाड़ा में सन् ६० व

Page No. 17

(श्री देवीलाल)

६१ में रिलीफ कार्य चालू किये गये थे ? यदि हां, तो क्या क्या ?

(ख) क्या यह सही है कि इन कार्यों पर नियुक्त मजदूरों तथा सुपरवाइजरों का चुकारा बाकी है ? यदि हां, तो कितनों का ।

उप-मन्त्रिणी, अकाल सहायता (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (क) जी हां। दस रिलीफ कार्य जो जारी किये गये थे वे इस प्रकार हैं :-

१. बिलख रोड ।

२. लापादेवलरोड ।

३. बायड़ीरोड

४. जूंतरी सारोली रोड

५. डेरी रोड

६. लीलड़ी रोड

७. बलीचारोड : (कनबई बलीचा)

८. पाटीया बलीचा रोड

९. चलपका सागवाड़ा रोड

१०. सागवाड़ा मादड़ी रोड

(ख) जी हां। ४०६ रु० ११ न. पै. का चुकारा बाकी है । कुल ५४ व्यक्तियों पर बाकी है; ५ सुपरवाइजर ५ मिस्त्री और ४४ अन्य मजदूर हैं ।

श्री देवीलाल : क्या यह बकाया भी रिलीफ वर्क्स के अन्तर्गत है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : इनके बारे में काम की कुछ शिकायत थी इसलिये पेमेन्ट रोक दिया गया ।

श्री देवीलाल : अब कब तक हो जायेगा ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : शीघ्रातिशीघ्र ।

बारां में कॉलेज की स्थापना

३५३. **श्री दयाचन्द (बारां सु.)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

बारां नगर में प्राइमरी स्कूल से लेकर बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल में पढ़नेवाले छात्र-छात्राओं की कुल संख्या कितनी है ?

(२) बारां तहसील के निकट पड़ने वाली तहसील अन्ता, मांगरोल, किशनगंज, शाहबाद छबड़ा अटरू, और इटावा क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल एवं हायर सेकन्डरी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की तहसील-वाइज़ एवं कुल मिला कर कितनी संख्या है ?

(३) क्या यह सच है कि कोटा जिले में कोटा को छोड़ कर कहीं भी कॉलेज नहीं है ?

(४) यदि हां, तो क्या राजस्थान की प्रमुख मंडी बारां में आगामी वर्ष कॉलेज खोलने का सरकार विचार रखती है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) कुल २,३७९ विद्यार्थी हैं ।

(२) तहसीलवाइज़ संख्या इस प्रकार है:-

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

तहसील	छात्र संख्या
१. अन्ता व मांगरोल	४,०७४
२. शाहबाद व किशनगंज	४,२४७
३. छबड़ा	१,५८०
४. अटरू	३,४०२
५. इटावा	४,८८६
कुल संख्या	१८,१६२

(३) जी हां।

(४) जी नहीं।

श्री दयाचन्द : बारां में कॉलेज नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : साधारण नीति सरकार की यही है कि एक जिले में कम से कम एक कॉलेज हो। अगर जिला बड़ा हो तो दो भी खोले जा सकते हैं। कोटा का जहां तक सम्बन्ध है दूसरा कॉलेज वहां खोलने की योजना है बशर्ते कि कॉलेज खोलने की और शर्तों को पूरा कर लिया जावे।

श्री दयाचन्द : वे क्या क्या शर्तें हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बीस मील का फासला हो एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में, फीडिंग स्कूलें और हाई स्कूलें दूसरी हों, वगैरह।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : बारां इसके लिये उपयुक्त नहीं है क्या ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उपयुक्त हो सकता है। पर जब तक सारी सूचनायें प्राप्त न हों तब तक किसी भी जगह के लिये नहीं कहा जा सकता। पर कोटा जिले में एक कॉलेज देने की योजना है। वह अब कहां दिया जा सकता है, इस बारे में बारां का भी क्लेम हो सकता है, दूसरी जगहों के भी क्लेम हो सकते हैं। तो इन सारी सूचनाओं का अध्ययन करने के बाद में ही कोई निर्णय लिया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : यह निर्णय किस वर्ष तक कर लिया जावेगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं समझता हूं इस साल में कर लेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : दूसरे भी कई दावेदार हैं इसके, क्या सरकार को यह मालूम है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जहां तक मुझे याद है शायद बारां का ही क्लेम है। फिर भी सारी स्थिति देख कर ही निश्चित जानकारी दी जा सकती है।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : क्या सरकार को यह भी मालूम है कि राजस्थान में ऐसे भी जिले हैं जिनमें एक भी कॉलेज नहीं है ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मात्र जैसलमेर है ऐसा।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : जी नहीं, जालोर भी है।

माध्यमिक शाला, कुडगांव

३५४. श्री हरफूल (खण्डार) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सत्य है कि सन १९६१ में ग्राम कुडगांव, तहसील सपोटरा में एक मिडल स्कूल भवन का उद्घाटन किया गया था ?

(ख) क्या यह भी सही है कि इस भवन निर्माण हेतु वहां की जनता ने चन्दे से रुपया इकट्ठा कर लिया है ?

(ग) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति, सपोटरा द्वारा इस भवन निर्माण हेतु एक भी पैसे का अनुदान नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(घ) क्या सरकार को विदित है कि उक्त गांव के पास के पचासों ग्रामों में एक भी मिडल स्कूल नहीं है ? यदि हां, तो इन गांवों के बच्चों को विद्या दिलाने की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

(ङ) अब उक्त गांव में कब तक स्कूल भवन बन जावेगा, ?

उप-मन्त्री, पंचायत (श्री दिनेशराय डांगी) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) ग्राम कुडगांव के पन्द्रह मील के घेरे के अन्दर तीन मिडल स्कूल्स हैं।

(ङ) अभी कोई निश्चित नहीं है।

श्री हरफूल : क्या यह सही नहीं है कि जो पंचायत समिति ने चन्दा इकट्ठा किया था उसे प्रधान ने अपने पास रख लिया है, भवन बनाने में नहीं लगाया है ?

श्री दिनेशराय डांगी : किसी प्रकार का चन्दा इकट्ठा नहीं किया गया।

श्री हरफूल : किया गया है, मन्त्री महोदय को जानकारी नहीं है।

श्री दिनेशराय डांगी : ऐसी जानकारी अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न संख्या ३५५

श्री अध्यक्ष : श्री मथुरेशबिहारी।

(अनुपस्थित)

श्री फतहसिंह।

आयुर्वेदिक औषधालय, इन्द्रपुरा

३५६. श्री फतहसिंह (चोहटन) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या उदयपुरवाटी तहसील के ग्राम इन्द्रपुरा से आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने को कोई प्रार्थना-पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(२) क्या औषधालय के निमित्त भवन भी बन गया है और उसे सरकार को सौंप देने की सूचना भी ग्राम पंचायत ने दे दी है ? यदि हां, तो सरकार वहां औषधालय क्यों नहीं खोल रही है ?

उप-मन्त्री, आयुर्वेद (श्री दौलतराम सारण) : (१) इस विभाग की जानकारी में ऐसा कोई प्रार्थनापत्र प्राप्त नहीं हुआ।

(२) ऐसी जानकारी नहीं है।

राजस्थानी साहित्य

३५७. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थानी साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने कुछ आदेश जारी किये हैं ?

(२) यदि हां, तो कब और उसका क्या असर हुआ ? आदेश को प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

शिक्षा मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) जी नहीं। कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किया गया था, लेकिन सरकार द्वारा नियुक्त एक कमेटी की सिफारिशों पर कुछ विभागाध्यक्षों से उनकी राय मांगी गई थी।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : उन्होंने राय क्या दी थी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कुछ सुझाव दिये हैं जिन पर आवश्यकतानुसार अमल किया जा रहा है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : सरकार की नीति इसे प्रोत्साहन देने की है या नहीं, कृपया स्पष्ट करें।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : है, पर हिन्दी भाषा के साथ साथ; क्योंकि राजस्थानी अभी संविधान की १४ स्वीकृति प्राप्त भाषाओं की सूची में नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : अगर सूची में नहीं है तो फिर आदेश क्या जारी किये गये और अगर आप इसे प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो फिर रुकावट क्या है इसके लिये आदेश जारी करने में ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आदेश औपचारिक रूप से तो तब तक नहीं दिये जा सकते जब तक कि यह संविधान की १४ स्वीकृत भाषाओं में सम्मिलित नहीं हो जाती, पर हिन्दी के साथ साथ इसको प्रोत्साहन अभी दिया जा रहा है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर): क्या राजस्थान सरकार को, राजस्थानी भाषा में जितना साहित्य है, उसका ज्ञान है, कितना उसका साहित्य है, कहां कहां है, कितना अभी तक उपलब्ध हो चुका है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसका कोई सर्वे तो नहीं हुआ है कि कितना प्राप्त हुआ, क्या क्या हुआ, कहां कहां क्या क्या है; पर हां, बहुत कुछ ज्ञान अवश्य है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : क्या सरकार ने ऐसी कोई तालिका बनाई है कि जिसमें प्राचीन ग्रन्थों की उपलब्धि के बारे में कोई विवेचन किया गया हो या गिनती रखी हो ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसके लिये पुरातत्व विभाग हमारा काम कर रहा है। हमने उसे कायम किया है, वह इस बारे में छानबीन करता है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : पर उसने कितने साहित्य का अनुसन्धान किया; कितनी खोज की, क्या की, कुछ मालूम है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसके लिये आप अलग से प्रश्न पूछ लीजिये। वैसे तो आपके प्रश्न का ऑफ हैण्ड उत्तर मैं नहीं दे सकता।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या सरकार राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने के लिये स्कूलों में भी राजस्थानी भाषा का विषय रखने का विचार करती है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : नहीं, यह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि संविधान की स्वीकृति इसे प्राप्त नहीं हो जाती।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : इसे संविधान की स्वीकृत भाषाओं की सूची में शामिल कराने के लिये सरकार के क्या प्रयत्न हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सरकार की बनिस्पत जनता के प्रयत्न अधिक उपयोगी होंगे; क्योंकि जब तक इस भाषा का कोई व्याकरण नहीं बन जाता और जब तक इसका कोई एक रूप स्थिर नहीं हो जाता तब तक टैक्निकली यह भाषा की परिभाषा में नहीं आ सकती और तब तक इसे संविधान में स्वीकृत भाषाओं की सूची में सम्मिलित करने का प्रश्न पैदा नहीं हो सकता।

योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या बिना व्याकरण के कोई भाषा नहीं हो सकती ?

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : राजस्थानी भाषा स्कूलों में इन्ट्रोड्यूस होना जरूरी है। क्या सरकार को मालूम है कि राजस्थानी लोगों की शिक्षा के लिये, आम जनता की शिक्षा के लिये राजस्थानी भाषा को इन्ट्रोड्यूस करना जरूरी है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह तो ठीक है, पर अमल में तब तक इसे नहीं लाया जा सकता जब तक कि इसका व्याकरण न बन जाय और इसका रूप स्थिर न हो जावे; चाहे फिर इसके प्रति कितनी ही सरकार की सहानुभूति हो। जब तक व्याकरण नहीं बनती और स्वरूप इसका स्थिर नहीं हो जाता तब तक विधिवत् संविधान में स्वीकृति प्राप्त भाषाओं में इसे शामिल नहीं किया जा सकता और जब तक स्वीकृत भाषा यह नहीं बन जाती तब तक सरकार ऑफिशियली इसे रिकॉग्निशन नहीं दे सकती और इसके लिये खर्चा वगैरह नहीं कर सकती। माननीय सदस्य जनता के बीच में इस समस्या का समाधान ढूंढें; इसका व्याकरण तैयार करावें, इसका स्वरुप स्थिर करें। यह बहुत आवश्यक है, इसके बिना इस प्रश्न पर आगे बढ़ना सरकार के लिये कठिन है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सरकार ने इसके लिये क्या प्रयत्न किया, इसे विधान के अन्तर्गत भाषा स्वीकृत कराने के लिये ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसके लिये जनता के प्रयत्नों की आवश्यकता है। जनता की राय से ही यह हो सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या सरकार यह

(श्री मुरलीधर व्यास)

नहीं मानती कि सरकार इसे रिकमण्ड करे कि राजस्थानी भाषा को भी संविधान के अन्तर्गत मान्य किया जाय ? यहां को सिफारिश जावेगी तब कहीं जाकर यह होगा ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसके लिये मैंने निवेदन किया कि इसके लिये जनता के प्रयत्न अधिक आवश्यक हैं । अगर जनता की तरफ से इसको व्याकरण बन कर और इसका स्वरूप स्थिर होकर फिर प्रश्न सरकार के सामने लाया जावेगा तो राजस्थान सरकार विचार करेगी ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): संविधान की अन्य भाषाओं के साथ राजस्थान की राजस्थानी भाषा को भी मान्य कर लिया जावे, इसमें राजस्थान सरकार को तो कोई एतराज नहीं है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसमें सरकार को क्या एतराज हो सकता है ? इसका एक प्रस्ताव भी सदन में आने की सूचना आई है । इस पर उस समय और चर्चा हो जावेगी ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या बिना व्याकरण के कोई भाषा नहीं हो सकती; जैसे प्राकृत है, मागधी है, पाली है, अपभ्रंश है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : नहीं हो सकती । भाषा की परिभाषा में यह आता है कि उसका स्वरूप स्थिर हो और स्वरूप स्थिर तब तक नहीं हो सकता जब तक उसका व्याकरण नहीं हो । आज राजस्थानी के नाना रूप हैं । जयपुर में बोली जाने वाली राजस्थानी; बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर में बोली जाने वाली भाषा से भिन्न है और इसी तरह बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर में बोली जाने वाली एक दूसरे से भिन्न है । तो आखिर राजस्थानी भाषा का क्या स्वरूप हो, यह एक प्रश्न है हमारे सामने जिसको हमें और आपको सब को हल करना है । इसे आप टालें नहीं । इसे हल करने की कोशिश करिये और यह तो कहने की बात नहीं कि राजस्थान की सरकार राजस्थानियों की है तो क्या वह यह कहेगी कि यह हमारी भाषा नहीं है ? तो इसका व्याकरण बना कर इसका स्वरूप स्थिर करना पहले जरूरी है और इसे जनता ही हल कर सकती है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या....

श्री अध्यक्ष : Order please ! Order !!

इस प्रश्न के दो पहलू हैं । एक तो सरकारी कार्यों के लिये इसका उपयोग हो और दूसरा इसे हायर स्टडी के लिये रखा जावे ।

अब जहां तक पहले मुद्दे का सवाल है, इसे सरकार नहीं कर सकती जब तक कि वह संविधान से स्वीकृति प्राप्त न कर ले । पर जहां तक हायर स्टेडी के लिये इसको रखे जाने का सवाल है इसके लिये सरकार की क्या नीति है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): इसके लिये हायर सेकन्डरी एजूकेशन बोर्ड है । ये लोग अपने टैक्स्ट बुक्स के तौर पर, ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर या लिटरेचर के तौर पर रखें तो एतराज की बात नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि इसे प्रोत्साहन दिया जावे तो उचित भी होगा ।

बारां में मंडी का निर्माण

३५८. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा सु०) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में बारां दूसरे नम्बर की मंडी होते हुए भी वहां मंडी का निर्माण कार्य अभी तक चालू क्यों नहीं किया गया ?

(२) इस निर्माण कार्य हेतु सरकार की कितनी धनराशि खर्च करने की योजना है ?

(३) यह निर्माण कार्य कब तक समाप्त हो जायगा ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर अभी नहीं आ सका है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : क्या कहा आपने ?

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर आपको बाद में मिलेगा; अगले सप्ताह।

(विराम)

नेक्स्ट, श्री माधोलाल।

हाई स्कूल, मांगलोर (कोटा)

३५६. श्री माधोलाल खानपुरिया (अटरू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) मांगरोल, जिला कोटा का हाई स्कूल भवन बनाने में जनता द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है तथा सरकार ने कितना खर्च किया है ?

(२) क्या यह भवन पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो कब तक हो जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) राजकीय उच्च विद्यालय, मांगरोल के भवन में दो कमरों के निर्माण के लिये जनता द्वारा अब तक ७,०००) रु० व्यय किया गया है। राज्य सरकार द्वारा १०,०००) रु० स्वीकृत किया गया था जिसमें से पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा ६,६००) रु० की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

(२) मांगरोल की जनता द्वारा अभी १,०००) रु० की धनराशि और देनी बाकी है जिसकी वजह से निर्माण अपूर्ण है। ज्योंही जनता द्वारा उपरोक्त धनराशि दे दी जायगी। निर्माण कार्य पूर्ण करवाया जाना सम्भव होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

लाइम स्टोन

३६०. श्री रामकिशन (वैर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) बल्लूपुरा, रामपुरा एरिया, तहसील नीम का थाना में कितने मील में लाइम-स्टोन के डिपोज़िट्स हैं तथा उन्हें किन किन लोगों को लीज़ पर दिया गया है ?

(२) क्या इस एरिया में ४ मील से कम का एरिया नहीं दिया जा सकता है ? अगर हां, तो क्यों ?

(३) क्या सरकार लाइम स्टोन को लघु उद्योग मानती है ? अगर हां, तो उक्त पाबन्दी क्यों है ?

उप-मंत्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) बल्लूपुरा, रामपुरा एरिया तहसील नीम का थाना में ७ या ८ मील में लाईम स्टोन के डिपोज़िट्स पाये जाते हैं। इस समय यह क्षेत्र किसी भी अन्य व्यक्ति को ठेके पर नहीं दिया हुआ है।

(२) हां, ताकि इस क्षेत्र का वैज्ञानिक रूप से विकास हो सके।

(३) हां, यह पाबन्दी राजस्थान सरकार ने एक कमेटी बना कर विचार—विमर्श करने के बाद लगाई है।

श्री रामकिशन : यह जो आपने फरमाया है कि नहीं दिया गया है तो अगर नहीं दिया गया है तो क्यों नहीं दिया गया है, इसका क्या कारण है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि एक कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई थी और उस कमेटी ने यह निर्णय दिया और उस निर्णय के पालनार्थ ही इस तरह की व्यवस्था की गई है और उस एरिया में सरकार स्वयं काम करती है। इसलिये दूसरों को देने का प्रश्न नहीं है।

श्री रामकिशन : अब तक इसमें काम की स्थिति क्या है और उसमें सरकार को क्या नफा हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अलग से प्रश्न है।

श्री रामकिशन : यह तो इससे सम्बन्धित प्रश्न है, अलग कैसे हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपने जो पूछा है उसका उत्तर दे दिया गया है। सरकार को इस कार्य में क्या नफा हुआ और क्या नुकसान हुआ, तो यह तो अलग बात है और इसका तो अलग से उत्तर दिया जा सकता है।

श्री रामकिशन : इसको सरकार के चलाने का क्या कारण है ? क्या कुछ लोगों ने इस संबंध में प्रार्थनापत्र भी दिये थे ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि ४ मील के एरिया से कम का एरिया नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसका कमेटी के आधार पर निर्णय दिया गया है।

श्री रामकिशन : क्या भारत सरकार ने ऐसा परिपत्र भेजा है कि लघु उद्योगों को चलाने के लिए पिट्स में दिये जायें ? क्या सरकार उस पर विचार करेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह लघु उद्योग है, इससे तो मैंने इन्कार नहीं किया। लेकिन सवाल यह है कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाये या नहीं; तो उसके लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी से सलाह ली तो उसकी सलाह के अनुसार इस एरिया के वैज्ञानिक विकास के लिये ऐसा आवश्यक समझा गया कि दूसरों को नहीं दिया जाये। इसलिए यह किया गया।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : इस क्षेत्र में सरकार कोई लाइम स्टोन नहीं निकालती है और केवल पत्थर निकाल कर ही सप्लाई करने का काम करती है ?

श्री अध्यक्ष : श्री बाददार।

श्री रामकिशन : अभी यह प्रश्न पूरी तरह से नहीं हुआ....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री बाढ़दार।

डाइरेक्ट चार्ज के मन्दिरों के कर्मचारी

३६१. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर) : क्या मंत्री, देवस्थान विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या देवस्थान के डाइरेक्ट चार्ज के मन्दिरों के कर्मचारी सरकारी मुलाजिम माने जाते हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या इन कर्मचारियों को तनख्वाह, मंहगाई और ग्रेड के बारे में वे सब सुविधायें उपलब्ध हैं जो कि अन्य सरकारी कर्मचारियों को हैं ?

(ग) क्या देवस्थान विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को २५-१-४० पुरानी ग्रेड ही दी गई है और क्या आयन्दा नई ग्रेड दी जावेंगी ?

(घ) क्या मन्दिरों के पुजारी व फर्राश की तनख्वाह और ग्रेड में कोई अन्तर है ?

देवस्थान मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) डाइरेक्ट चार्ज मन्दिरों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को २५-१-३० की वेतन श्रृंखला में वेतन मिलता है। नई ग्रेड (रिवाइज्ड पे स्केल्स) देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(घ) जी नहीं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जैसा आपने फरमाया कि मन्दिरों के पुजारी और फर्राशों की तनख्वाह में अन्तर नहीं है तो क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि फर्राशों की योग्यता क्या है और पुजारी जो काम करते हैं उनकी योग्यता क्या है और उनकी तनख्वाह में अन्तर नहीं रखने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : समाजवादी व्यवस्था का नमूना है !

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अगर यही समाजवाद है तो बहुत अच्छा नमूना है। (विराम) क्या इसके बारे में मंत्री महोदय थोड़ा प्रकाश डालेंगे-पुजारियों को कम से कम मंगल सूत्र के १६ मंत्र तो याद रखने ही होते हैं और जब कि फर्राशों को झाड़ू-बुहारी की आवश्यकता होती है तो क्या आप इसके बारे में जानकारी देंगे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : माननीय सदस्य क्या चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह जानना चाहते हैं कि फर्राशों और पुजारियों की एक ही तनख्वाह रखने का क्या कारण है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह तो समाजवाद है !

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि समाजवाद के इस नियम को लेकर फर्राश और पुजारियों की एक तनख्वाह है तो साधारण कर्मचारी

(श्री दुर्गालाल बादद़ार)

और मन्त्री महोदय की भी एक ही तनख्वाह रखने का विचार है ? तो पहले समाजवाद घर से ही चालू किया जाये ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कभी कभी किसी चीज का विरोध भी होना चाहिये, इसलिये मैंने यह उत्तर दिया है । जो पुजारी हैं उनको भोग वगैरह अलग मिल जाता है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सरकार ने मिनिमम वेजेज़ एक्ट रखा है तो क्या उन कर्मचारियों के लिए वह लागू नहीं होता ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इनके लिए नहीं; चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए है ।

श्री मुरलीधर व्यास : मिनिमम वेजेज़ एक्ट सब के लिए है तो यहां इन कर्मचारियों के लिए क्यों नहीं है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं समझता हूँ कि भोग से उनको ज्यादा सन्तोष मिलता है । इससे उनको खुराक भी मिल जाती है और भगवान् का प्रसाद भी मिल जाता है ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : क्या यह एक्सेप्शन आपने कानून से बना रखा है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री उदयलाल बरदिया ।

जयसमंद तालाब से नहरों की निकासी

३६२. **श्री उदयलाल बरदिया** (लसाड़िया) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :--

(क) क्या यह सही है कि जयसमंद तालाब से नहरों का निर्माण हुआ है तथा नहरों के साथ एक पटरी भी बनाई गई है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि उक्त नहर एवं पटरी के निर्माण में सलूम्बर सराड़ा तहसील के सैंकड़ों किसानों की जमीन ले ली गई है ?

(ग) क्या यह भी सही है कि नहरों एवं पटरी में आने वाली जमीन का लगान खातेदार किसानों से अब भी लिया जा रहा है ?

(घ) यदि हां, तो क्यों तथा क्या उक्त खातेदारों को लगान छोड़ने के साथ साथ दबी हुई जमीन का मुआवजा भी देने का सरकार का विचार है ?

(ङ) ऐसे खातेदारों की संख्या कितनी है और उन्हें मुआवजा कब तक मिल जावेगा ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की सूचना नहीं आई है इसलिए इसको आगे के लिए रखा जाये ।

प्रश्न संख्या ३६३

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला ।

(अनुपस्थित)

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : अध्यक्ष महोदय, उनका तार आया है इसलिए इस प्रश्न का उत्तर दिला दिया जाये ।

हायर सैकन्डरी (पार्ट १) के सोशल स्टडी का प्रश्न-पत्र

३६३. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) [श्री जोधसिंह (गिरवा) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि इस वर्ष हायर सैकन्डरी (पार्ट १) की परीक्षा के सोशल स्टडी का जो प्रश्न-पत्र दिया गया उसमें ऐसे प्रश्न पूछे गये हैं जो उसके कोर्स के बाहर के हैं अथवा कोर्स में से निकाल दिये गये थे ?

(२) क्या यह सही है कि इस प्रश्न-पत्र में ऐसे भी प्रश्न थे जिनका सम्बन्ध सोशल स्टडी से नहीं है ?

(३) क्या यह सही है कि इसका प्रभाव विद्यार्थियों के परिणाम पर बुरा पड़ेगा ? यदि हां, तो राज्य सरकार इसके लिए क्या कदम उठानेवाली है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) :

(१) जी नहीं ।

(२) जी नहीं ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री जोधसिंह : आप सारी सूचना इकट्ठी करके ही फरमा रहे हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो मुझे जानकारी मिली है उसी के आधार पर अर्ज कर रहा हूँ ।

प्रश्न संख्या ३६४

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह क्वेश्चन इम्पोर्टेन्ट है इसलिये इसका उत्तर दिला दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न के बाद में ले लेंगे ।

नेक्स्ट, श्री गिरधारीलाल ।

खारी बांध से सिंचित भूमि

३६५. **गिरधारीलाल** (आसींद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) खारी बांध (तहसील आसींद) से कितनी भूमि सिंचित होती है ?

(२) जो जमीन सिंचित होती है, क्या उसे पूरा पानी दिया जाता है ?

(३) बांध के पास पांच मील के एरिया में कितनी जमीन ऐसी है जिसको इस बांध से पानी दिया जा सकता है, मगर नहीं दिया जा रहा है ?

(४) क्या सरकार को विदित है कि बांध के नजदीक आसींद तहसील में नहरें नहीं बनाई जाकर पानी नहीं दिया जा रहा है जब कि काफी दूर दूसरी तहसील में नहरें बनाई जाकर पानी दिया जा रहा है ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री भवानीशंकर नन्दवाना : (१) बांध पूरा भरने पर ११,७५० एकड़ भूमि सिंचित होवेगी । अभी तक लग-

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)

भग ६५,०० एकड़ भूमि सिंचित हो चुकी है।

(२) जी हां।

(३) लगभग १,५०० एकड़ काबिल काश्त भूमि।

(४) नहरें बहुत पहले बन चुकी हैं और इससे जितनी भी जमीनों में पानी दिया जा सकता है सब जगह दिया जा रहा है। नई नहरें बनाने पर ही इस १,५०० एकड़ काबिल काश्त जमीन में से ७०० एकड़ भूमि सिंचित की जा सकती है।

श्री गिरधारीलाल : क्या खारी बांध की नहरें काफी दूर तक फैला दी हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह बांध भरा नहीं है और पानी ३ फीट नीचे है। इसलिए बहुत दूर तक पानी नहीं दिया जा सकता है।

श्री गिरधारीलाल : क्या एक ही फसल को पूरा पानी ३ दफा दिया जाता है इस बांध से ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी हां, दिया जाता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : इस खारी बांध पर कितना खर्चा होगा ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह अलग से प्रश्न है।

श्री गिरधारीलाल : क्या बांध का श्रोत ऊंचा होने की वजह से पास की जमीन को पानी नहीं दिया जा रहा है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : लिफ्ट केनाल कुछ ऊंची है और वह सरकार के विचाराधीन हैं और एग्जामिन किया जायेगा।

श्री गिरधारीलाल : क्या आसींद तहसील का एरिया जो कि नहर के पास पड़ता है उसमें कोई नहरें नहीं बनाई गई हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : वहां ३॥ मील लम्बी नहर बनी है और आगे के लिए सरकार के विचाराधीन है और उस पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न संख्या ३३६

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पतलाल

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३६४. श्री भैरोंसिंह।

हायर सैकन्डरी परीक्षा

३६४. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) [श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि इस वर्ष हायर सैकन्डरी की परीक्षा में जनरल साइन्स का जो प्रश्न-पत्र दिया गया है उसमें हिन्दी तथा अंग्रेजी के अनुवाद में भिन्नता है ?

Page No. 29

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(ख) क्या यह सही है कि इस परीक्षा में बैठने वाले छात्रों में से अधिकतर छात्रों का लिखने व पढ़ने का माध्यम हिन्दी है ?

(ग) प्रश्न-पत्र में यदि हिन्दी व अंग्रेजी के अनुवाद में किसी भी प्रश्न में भिन्नता है तो कौन से माध्यमवाले प्रश्न को ठीक माना जायेगा ?

(घ) यदि अंग्रेजीवाले प्रश्न को ठीक माना गया तो हिन्दी माध्यम से दिये गये प्रश्न को हल करनेवाले छात्रों को इससे जो हानि होगी इसके लिए कौन जिम्मेदार है तथा इस हानि के लिए सरकार क्या कदम उठानेवाली है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) :

(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग-घ) हायर सेकन्डरी बोर्ड को इसकी जानकारी है और बोर्ड ने अपनी मीटिंग में यह तय कर लिया है कि इससे किसी भी विद्यार्थी को नुकसान नहीं होना चाहिये। तमाम परीक्षकों को बोर्ड के निर्णय से अवगत कराया जा चुका है।

श्री भैरोंसिंह : यह बार बार पर्चों के अन्दर इस प्रकार की गलतियां आती हैं उस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह अच्छी बात तो नहीं है कि इस तरह की गलतियां आती हैं और मैं देखूंगा कि इस प्रकार की गलतियां आइन्दा न हों। इसके लिए जो भी उचित कार्यवाही हो सकती है वह की जायेगी।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि जो बोर्ड ने निर्णय लिया है उसको कन्वे कर दिया गया है, वह क्या है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : निर्णय नहीं है लेकिन इस प्रकार का प्रबन्ध किया है कि जिन विद्यार्थियों को इससे क्षति हुई है वह न पहुंचे।

श्री भैरोंसिंह : वह बोर्ड किस प्रकार से रोकेगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वह जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन यह मेरा आश्वासन है कि इसके फलस्वरूप विद्यार्थियों को नुकसान पहुंचा है तो बोर्ड इस प्रकार का प्रयत्न करेगा कि वह नुकसान न हो।

श्री भैरोंसिंह : इस नुकसान का असेसमेन्ट किस प्रकार से किया जायगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वह बोर्ड की जिम्मेदारी है, बोर्ड कर लेगा।

श्री भैरोंसिंह : बोर्ड इतनी इनइफीशियेन्टली वर्क कर रहा है, इसके लिए आप क्या कार्यवाही करेंगे-पर्चे छपते गलत हैं, ट्रान्सलेशन गलत होता है, पर्चे आउट हो जाते हैं और फिर भी बोर्ड के जरिये सारे एज्यूकेशनल सिस्टम को खराब किया जा रहा है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : एक प्रश्न और इस संबंध में है अध्यक्ष महोदय, कि प्रश्न (ग) का जो जवाब 'हां' में

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

दिया है वह जवाब बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। प्रश्न यह है कि हिन्दी और अंग्रेजी के पर्चों में फर्क है तो किस पर्चे को सही माध्यम माना जाय, किसके आधार पर जवाब दिया जाय? 'हां' में जवाब दिया है....

श्री अध्यक्ष : 'हां' में जवाब नहीं दिया है। (ग) और (घ) को मिला कर उत्तर दिया है कि बोर्ड ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : प्रश्न का जवाब स्पष्ट नहीं है। आखिर दोनों में से किस को आधार माना जाय? (ग) का जवाब 'हां' में दिया है वह किसी तरह से स्पष्ट नहीं हो सका है।

श्री अध्यक्ष : 'हां' में जवाब नहीं दिया है। (ग) और (घ) को मिला कर यह उत्तर दिया है कि बोर्ड द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

श्री मानिकचन्द सुराणा : वह ठीक है, अध्यक्ष महोदय, 'हां' में जवाब (ग) का नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष : 'हां' कहां कहा है?

श्री मानिकचन्द सुराणा : नहीं कहा तो उसका जवाब स्पष्ट क्यों नहीं है कि हिन्दी और अंग्रेजी में फर्क है तो किसको आधार माना जाय?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मूल आशय उनका यह था कि इससे विद्यार्थियों को हानि नहीं पहुंचे तो इस बहस में कोई सार नहीं है। वह विद्यार्थियों को हानि नहीं पहुँचने दी जायेगी। मूल आशय की जो चीज है वह यह है।

श्री भैरोंसिंह : विद्यार्थियों को भी हानि नहीं पहुंचे और बोर्ड को भी हानि नहीं पहुंचे।

प्रश्न संख्या ३६६

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पतलाल।

(अनुपस्थित)

पुलिया पर सीमेंट कॉन्क्रीट का कार्य

३६७. **श्री महेन्द्रसिंह** (दीगोद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि डिवीज़न डिस्ट्रीब्यूटरी नं० १ के सब डिवीज़न सुलतानपुर में सनिजा माइनर कोटा-इटावा रोड़ को क्रोस करती है?

(ख) क्या यह सही है कि डिपार्टमेंट द्वारा आइरन ब्रास आदि न देने के कारण पुलिया पर रिइन्फोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट करना बाकी है?

(ग) क्या यह सही है कि यदि पुलिया पर बरसात से पहले रिइन्फोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट नहीं हुई तो बस चलना रुक जावेगा?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, सीमेंट कॉन्क्रीट करना बाकी है।

(ग) जी हां।

श्री महेन्द्रसिंह : डिपार्टमेंन्ट द्वारा आयरन बार सप्लाई क्यों नहीं किये गये पुलिया पर स्लेप डालने के लिए?

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया है कि यह स्थिति जो आपने पूछी है वह तो है, लेकिन अब यह पुलिया बरसात से पहले बना दी जायगी। अर्थ वर्क हो चुका है और सीमेंट का काम करना बाकी है।

जागीरों के मुआवजे के दावे

३६८. **श्री गंगासिंह राठोड़** [जायल-श्री छतरसिंह (आहोर) द्वारा पूछा गया]: क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

जागीर कमीशनर की अदालत में जागीर के मुआवजे एवं पुनः संस्थापन अनुदान के कितने दावे दर्ज हुए? उनमें से कितने दावे फाइनल किये गये? जो दावे फाइनल किये गये उनमें से कितने दावों में सरकार ने अपील की?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : कुल १,६६४ दावे भरे गये जिसमें से १,५११ दावे फाइनल किये गये और फाइनल शुदा दावों में से २८६ में सरकार ने अपील की।

अल्पकाल-सूचना प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : अल्पकाल सूचना प्रश्न। श्री मानिकचन्द सुराणा।

हाईकोर्ट व दीगर दीवानी अदालतों तथा रेवेन्यू अदालतों का समय

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : प्रश्न संख्या ३६ एस० एन० क्यू०।

श्री अध्यक्ष :Taken as read

अल्पकाल सूचना प्रश्न इस प्रकार है—

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत),
श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर),
श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या हाईकोर्ट व दीगर दीवानी अदालतों का समय दिनांक ३०-४-६२ से प्रातः ७ बजे से १२.०० बजे तक कर दिया गया है?

(२) क्या यह भी सही है कि मजिस्ट्रीरियल व रेवेन्यू अदालतों का समय प्रातः १० बजे से सायं ५.०० बजे तक का है?

(३) इन अदालतों में एक-सा समय न रखने का क्या कारण है? क्या सरकार इस कारण जनता को होनेवाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त सभी अदालतों का समय एक-सा रखने का विचार रखती है?]

विधि मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) :

(१) जी हां।

(२) यह सही नहीं है। दीवानी अदालतों व अन्य अदालतों का समय प्रातः ७ बजे से १२ बजे तक का कर दिया गया है। आदेश

(श्री मथुरादास माथुर)

की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जा रही है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या कल दिनांक ३०-४-६२ को सारी कोर्टस् राजस्थान में ८ से १२ बजे तक हुई थीं?

श्री मथुरादास माथुर : इस तरह के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : किस तारीख से जारी किये हैं? क्या वे कॉम्युनिकेट हो चुके हैं हैडक्वार्टर्स को?

श्री मथुरादास माथुर : २८ अप्रेल, १९६२ को गवर्नमेंट की तरफ से ये आदेश जारी कर दिये गये हैं—तार के जरिये से भी यह सूचना दे दी गई है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या सरकार इस बात की व्यवस्था करेगी कि भविष्य में दीवानी अदालतों, फौजदारी अदालतों और रेवेन्यू अदालतों के समय में फर्क न रहे और आदेश समय पर जारी कर दिये जांय ताकि इस प्रकार की दिक्कत भविष्य में सामने नहीं आये?

श्री मथुरादास माथुर : भविष्य के लिए यह फैसला कर दिया गया है कि मोर्निंग का टाइम किसी अदालत का नहीं होगा। हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। गवर्नमेंट सेक्रेटेरियट तो पहले से ही मोर्निंग अवर्स में नहीं होता है। इस तरह से एक टाइम होगा भविष्य में। इस साल के लिये यह कर दिया गया है।

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल, जयपुर) : क्या राजस्व मंडल, अजमेर का समय भी बदल दिया गया है?

श्री मथुरादास माथुर : वह मामला विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

[९-०८ म० पू०]

आय-व्ययक में दिये गये आंकड़ों में त्रुटियों सम्बन्धी विशेषाधिकार, प्रश्न विषयक व्यवस्था

दिनांक २१ अप्रेल, १९६२ को श्री मानिकचन्द सुराणा ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति देने के लिये सूचना दी थी। उनकी सूचना में दिये गये तर्कों का सार यह है कि वित्त मंत्री ने २६ मार्च, १९६२ से २० अप्रेल, १९६२ की अवधि तक १९-६२-६३ के बजट से संबंधित गलत आंकड़े और सूचनायें सदन के समक्ष प्रस्तुत करके बजट पर चर्चा के लिये गलत आधार प्रस्तुत किया और सदस्यों को बजट पर सही दृष्टिकोण से चर्चा करने के अधिकार से वंचित रखा और इसलिये उन्होंने सदन के विशेषाधिकार का हनन किया है।

मैंने इस प्रश्न पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। मैं यह स्वीकार करने में असमर्थ हूं कि सदन के किसी विशेषाधिकार का हनन हुआ है। यह सत्य है कि १९६२-६३ के

(श्री अध्यक्ष)

बजट में दिये गये आंकड़ों में कुछ मुद्रण की गल्तियां रही हैं और उन गल्तियों का २० अप्रेल, १९६२ तक पता नहीं लगाया जा सका और उन्हें सुधारा नहीं जा सका। परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि इससे सदन के विशेषाधिकार का हनन कैसे होता है।

इस सदन के और इसके सदस्यों के विशेषाधिकारों के निश्चय करने के विषय में हम संविधान के अनुच्छेद १९४ (३) के प्रावधानों से विनियमित होते हैं, जिनके अनुसार किसी राज्य के विधान मंडल के सदन की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां वे ही हैं जो हमारे संविधान के आरम्भ पर हाउस ऑफ कॉमन्स की थीं। दूसरे शब्दों में हमारे वही विशेषाधिकार हैं जो हमारे संविधान के प्रारम्भ पर हाउस ऑफ कॉमन्स के थे और हम किसी नये विशेषाधिकार का निर्माण नहीं कर सकते। अतः यह निश्चित करने के लिये कि मुद्रण की गल्तियां जो बजट-पत्रों में हुई हैं उनसे विशेषाधिकार का हनन होता है या नहीं, हमें ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के कार्य-विवरणों में दृष्टान्त तलाश करने होंगे। मैंने मेज़ पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस को देखा है, परन्तु मुझे ऐसा कोई दृष्टान्त दृष्टिगोचर नहीं हुआ जो माननीय सदस्य द्वारा दिये गये तर्कों का समर्थन करता हो।

यह अवश्य ही खेदजनक है कि बजट-पत्रों जैसे महत्वपूर्ण प्रलेखों में मुद्रण की गल्तियां पाई जायं, और विशेष रुप से उस समय जब कि इन पत्रों के साथ सरकार द्वारा कोई शुद्धि पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हो। यह साधारण सतर्कता की बात है कि बजट जैसे मोटे और महत्वपूर्ण पत्रों को, जिनमें अधिकांश में अंक हों, सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने से पहले पूरी तरह जांचा जाना चाहिये। यह सरकार की भूल है, लेकिन ऐसी नहीं जो विशेषाधिकार हनन की परिसीमा में आ सके। अतः मैं इस प्रश्न को सदन में उठाये जाने की अनुमति नहीं देता।

राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वार्षिक वित्तीय विवरण को सदन की मेज पर रखना

श्री अध्यक्ष : श्री हरिश्चन्द्र।

श्रीमती कमला बेनीवाल (उपमन्त्रिणी, विद्युत) : अध्यक्ष महोदय, मैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, १९४८ की धारा ६१ (३) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वार्षिक वित्तीय विवरण (आय व्यय), १९६२-६३ को सदन की मेज पर रखती हूँ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : नाम 'हरिश्चन्द्र' आपकी ओर से प्रस्तावित किया गया है। 'हरिश्चन्द्र' कौन है, पता नहीं चला।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय की जगह उपमन्त्रिणी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं।

जोधपुर विश्व विद्यालय विधेयक, १९६२

(प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थान)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं जोधपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९६२ पर प्रवर समिति

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

के प्रतिवेदन का, असहमति पत्रों सहित, उपस्थापन करता हूं।

राजस्थान रिलीफ (साहाय्य) प्रतिष्ठान (विशेष प्रावधान) संशोधन विधेयक १९६२

(गैर सरकारी विधेयक–पुरःस्थापन)

श्री अध्यक्ष : श्री कुमारानन्द।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : Hon'ble Speaker, I seek leave of the House to introduce Rajasthan Relief Undertakings (Special Provisions) Amendment Bill, 1962.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान रिलीफ अन्डरटेकिंग्ज़ (स्पेशल प्रोविज़न्स) बिल १९६२ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृति)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री कुमारानन्द : I introduce Rejasthan Relief Undertakings (Special Provisions) Amendment Bill 1962

चम्बल प्रोजेक्ट क्षेत्र के ग्रामों को आर्थिक सहायता देने सम्बन्धी गैर-सरकारी संकल्प

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, चम्बल प्रोजेक्ट एरिया के ग्रामों में विकास सम्बन्धी निर्माण कार्यों के लिए अधिक आर्थिक सहायता दी जाय, इस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। जहां बेरोजगारी मिटाने तथा अधिक अन्न उपजाने के कारण आज सारे राजस्थान को लाभ होगा उसके साथ साथ चम्बल प्रोजेक्ट एरिया के लोगों में न जाने क्यों खुशी की भावना नहीं है; जबकि पानी की किसानों को बहुत आवश्यकता है और जब कि किसान पहले पानी के लिये भगवान् की और देवी देवताओं की आराधना करता था और जब बादल उमड़ कर आते थे तब उनके दिल में आशा बंधती थी कि बादल लहरायेंगे, वर्षा होगी और अधिक अन्न उपजा सकेंगे। जहां इस ओर किसान आशा लगाये रहते वहां करोड़ों रुपयों की लागत लगा कर, योजना बना कर राजस्थान सरकार नहरें ला रही है वहां आज किसान में इस ओर रूचि नहीं है, उनके चेहरों पर मुर्दनी छाई हुई है। इसका क्या कारण है? मैं मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि दरअसल में वहां के किसानों में एक भय है, उनके दिल और दिमाग में परेशानी है। इसके कई कारण हैं।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने चम्बल सिंचाई योजना को ९ भागों में बांटा है। सबसे पहले प्रथम श्रेणी की ६,७ लाख एकड़ भूमि है और यह ऐसी भूमि है जिससे हजारों मन गल्ला, गन्ना, फल-फूल और दूसरी चीजें होंगी। हमारी इस योजना मे नहरें निकाली गई हैं। उसमें पहली श्रेणी की सैकड़ों और हजारों बीघा जमीन होगी वह सारी इसमें ले ली गई है और आज ३ साल हो जाने पर भी किसानों को मुआवजे का एक पैसा भी नहीं चुकाया गया है। दूसरी ओर ऐसी भूमि है जो कटाव में आ रही है। किसानों ने अपनी मेहनत लगा कर जहांऐसी भूमि को समतल किया और उपजाऊ बना कर आबाद किया

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

वहां आज सिर्फ एक तहसील में ७,८ हजार किसानों को ट्रेसपासर करार दे दिया है और सारे कोटा डिविजन में करीब ४० हजार किसानों को ट्रेसपासर करार दिया जाकर उन पर मुकदमे चलाये जा रहे हैं। जिन्होंने भूमि को उपजाऊ बनाने में सहयोग दिया है, जिन्होंने भूमि को कटाव से रोका है और जिस जमीन को उन्होंने पटवारी और तहसीलदारों से प्राप्त किया है आज उनको कोलोनाइज़ेशन के कारण बेदखल किया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि चम्बल क्षेत्र में किसानों की बड़ी उपजाऊ भूमि का १००) रु० बीघा लिया है और जो भूमि पहले बंजर थी और किसानों ने अपनी मेहनत से आबाद किया है उसके आज सरकार द्वारा २५८) रु० फी बीघा दाम वसूल किये जा रहे हैं और उन किसानों को बेदखल करने की कार्यवाही की जा रही है। उन पर कई मुकदमे चलाये जा रहे हैं। जहां पहले कुओं से पानी देते आ रहे हैं वहां अगर इनकी ओर ध्यान नहीं दिया जायेगा तो इस क्षेत्र में उनका विकास शुरू नहीं हो पायेगा।

मैं यह बताना चाहता हूँ कि आज इस क्षेत्र में निर्माण कार्य की ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इस क्षेत्र में सड़कों का इतना अभाव है कि इस वर्ष और गये वर्ष इस क्षेत्र के प्रति सरकार ने आंख मूंद ली है। आज साल में ६ महीनों तक गांवों में आवागमन के साधन बन्द रहते हैं। कोई मोटर, ट्रक या रेलगाड़ियां इस रास्ते पर नहीं चलने के कारण आवागमन में और माल लाने लेजाने में दिक्कत होती है। किसानों को नहर पर से जाने से सजाएं भोगनी पड़ेगी, दंड भोगना पड़ेगा। ऐसा कोई किसान अपने खातेदारी की जमीन को नहीं बेच सकता। कोलोनाइज़ेशन विभाग की ओर से ऐसी जमीनें बेची जा रही हैं जो बिल्कुल गांवों के नजदीक हैं। आज गांवों की हालत यह है कि बिल्कुल खेतों से लगे हुए हैं। स्कूल, पार्क या अन्य काम के लिये जमीन की आवश्यकता हो तो कोलोनाइज़ेशन विभाग द्वारा ज्यादा से ज्यादा कीमत पर बेची जा रही है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि चम्बल एरिया में किसानों को जो कठिनाइयां हैं उनकी तरफ सरकार को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिये। वहां पर ज्यादा से ज्यादा प्लॉट काटने चाहिये, अच्छे से अच्छे औजार देने चाहिये जिनसे अच्छी खेती हो सके।

आज चम्बल एरिया में ५ लाख एकड़ जमीन ऐसी होगी जहां अधिक से अधिक गल्ला, गन्ना, फल-फूल, तेल–तिलहन की उपज होगी। नये नये उद्योग खुलेंगे। खंडसारी के कारखाने और दूसरे कारखाने खोले जायेंगे। पर माल किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जायेंगे, जब कि साल में ६ महीनों तक आवागमन के साधन बन्द रहते हैं? अध्यक्ष महोदय, कच्चे रास्तों को सड़कों से जोड़ा जाय ताकि आवागमन के साधन ठीक हो सकें।

इसी प्रकार से हमारा प्रान्त कृषि प्रधान है, जहां पर पशु किसान की आत्मा होते हैं। चम्बल क्षेत्र में और खास कर पाटण क्षेत्र में पशु–पालन की व्यवस्था नहीं है। वहां पर सांड दिये जाने चाहिये ताकि वहां के किसान पशुओं की नस्ल सुधार सकें। लेकिन आज वहां पर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। साथ ही साथ वहां पर पशुओं में बीमारियां फैल रही हैं। आपने पढ़ा होगा कि कोटा

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

डिविज़न में पशुओं में बड़े जोरों से बीमारी आई है। कुछ वर्षों पहले जानवरों में और खास कर घोड़ों में बीमारी आई थी और हजारों, लाखों रुपयों का नुकसान हुआ था। लेकिन वहां हर कोई पशुओं के अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। अभी एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि पाटण तहसील में जानवरों के अस्पताल में एक कम्पाउन्डर रहता है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई, बिजली, सामूहिक खेती आदि कार्यों में जब कि उदयपुर में २६.१२८ लाख रुपये खर्च किये जा रहे हैं वहां बूंदी में केवल ६.८८० लाख रुपये खर्च किये जायेंगे। सिंचाई पर बूंदी में ४.६६ लाख रुपये खर्च होंगे जब कि उदयपुर में ११ लाख रुपये, अजमेर में ६ लाख रुपये और अलवर में १५.०० रुपये की धन राशि खर्च की जायेगी।....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : काय के लिये ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : शिक्षा विभाग पर।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सिंचाई और बिजली से क्या होगा ? बूंदी पर कम खर्चा और दूसरी जगह ज्यादा खर्चा क्या बताया आपने ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आप उद्योग खोलेंगे तो बिजली की सप्लाई करेंगे और उस पर खर्चा होगा।

उसी प्रकार से लघु उद्योग और दीर्घ उद्योग के लिये बूंदी में सिर्फ कुछ हजार रुपये ही रखे गये हैं, पूरे लाख भी नहीं हैं; जब कि जोधपुर में ४ लाख, नागौर में १२.६ लाख, जयपुर में १७.३० लाख रुपये रखे गये हैं। इसी तरह से सड़कों की हालत सुधारने के लिये बूंदी में ५.६६ लाख रुपये रखे गये हैं और उदयपुर के लिये १८.२१० लाख, चित्तौड़ के लिये ११.५६० लाख, झालावाड़ के लिये १०.६० लाख रुपये रखे हैं; जबकि झालावाड़ बूंदी के बराबर और कोटा से छोटा डिस्ट्रिक्ट है....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : शायद आपको जानकारी नहीं है कि भीलवाड़ा बूंदी से बड़ा है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैं भीलवाड़ा के बारे में नहीं, झालावाड़ के बारे में कह रहा हूँ। इसी प्रकार वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, चिकित्सा, शिक्षा आदि पर बूंदी में ६.६०० लाख रुपये, उदयपुर में ३७.६२० लाख रुपये और झालावाड़ में १७.६८७ रुपये खर्च किये जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जब चम्बल एरिया में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना है तो किसानों को उन्नत तरीके के औजार काम में लाने की व्यवस्था करनी चाहिये। ये सारी बातें बहुत आवश्यक हैं।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज राजस्थान सरकार ने एक पुस्तक निकाली है जिसमें चम्बल क्षेत्र के किसानों से निवेदन किया है। मुझे साफ बताना है कि चम्बल क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो जिसको आप उपजाऊ बनाना चाहते हैं वह इस काबिल हो जाय कि उपजाऊ न रहे।

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

उन्होंने उसमें कई प्रकार के सुझाव दिये हैं, जिन्हें ध्यान से पढ़ा जाय। तो उस किताब पर किसान विचार कर सकें, इसके लिये ज्यादा से ज्यादा अधिकारियों को इस काम में लगाना चाहिए कि वे किसानों को ये बातें पढ़ायें। आज नहर बनाने से ही कोई काम नहीं चल सकता, आज ढार बनाना जरूरी है। ढार बना कर किसानों के पास पानी पहुंचाया जाय ताकि कोई किसान लोभ में आकर ज्यादा पानी न ले जिससे उसकी खेती बर्बाद हो जाय। वे यह समझें कि कौनसी आवश्यकता है। इस-लिए यह सरकार का कर्तव्य है कि वह ज्यादा सहयोग दे। इसके साथ ही आज पक्षपात हो रहा है। सड़क के निर्माण में पक्षपात हो रहा है–उसकी ओर ध्यान दिया जाय, पशु–पालन में जो पक्षपात हो रहा है–उसकी ओर ध्यान दिया जाय मवेशियों के औषधालय खोलने में जो पक्षपात हो रहा है, किसानों को जो तकावी दी जाती है उसमें पक्षपात हो रहा है–उसकी ओर ध्यान दिया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज पाटन तहसील के अन्दर बैलों को खरीदने के लिए पचास रुपये की तकावी दी जाती है। आप समझ सकते हैं कि पचास रुपये से क्या काम चल सकता है। ऐसे किसान जो गरीब हैं, पिछड़ी हुई जाति के किसान हैं, जो साधन नहीं जुटा सकते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा तकावी विकास कार्यों के लिए देने का प्रोविजन रखा जाय। इसी प्रकार खाद के डिपो कायम किये जायं, जिससे आसानी से किसान ले सकें और खेतों में पैदावार बढ़ा सकें।

साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोलोनाइज़ेशन विभाग के द्वारा जो जमीन बेची जा रही है उसे तुरन्त बन्द कर दिया जाय, क्योंकि आगे जाकर ज्यादा कीमत उसकी आ सकती है। इस प्रकार की जमीन पर किसी को कब्जा नहीं करने दिया जाय, उसको मत बेचने दीजिये। आज कोलोनाइज़ेशन विभाग दो खेतों की मेंड के बीच की जगह बेचता है तो गांव वाले उसका विरोध करते हैं और वे चाहते हैं कि स्कूल बनवाने के लिए यह जमीन छोड़ दी जाय। लेकिन वे इस बात को नहीं मानते हैं और ज्यादा से ज्यादा आमदनी बताने के लिए बेच कर अपनी होशियारी बता रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि चम्बल प्रोजेक्ट एरिया में उनके निर्माण के लिए, शिक्षा के लिए और अन्य बातों के लिए ज्यादा से ज्यादा धन–राशि रखें और खास तौर से अधिकारियों को सचेत कर दिया जाय कि वे हैडक्वार्टर पर बैठे आराम न करें, बल्कि जनता के बीच में जायें और चम्बल से होने वाले जो फायदे हैं वे उनको बतावें और देश को आगे बढ़ाने में सहायता दें।

श्री अध्यक्ष : और कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं ?

(विराम)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प यहां प्रस्तुत किय गया है यह काफी वेग है और मुझे इसके सम्बन्ध में ज्यादा उत्तर देने की जरूरत नहीं है। मेरे पहले लाखेरी से आनेवाले माननीय सदस्य जो बोल रहे थे, उससे भी यह स्पष्ट हो जाता है कि जमीन लेने का सवाल एनीमल हसबेन्डरी का सवाल

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

और बहुत सी चीजों को इसके साथ जोड़ कर बहुत सी बातें कही गई हैं। जहां तक कि प्रोजेक्ट एरियाज़ हैं, उनमें सरकार काफी धन राशि खर्च करती है और आवश्यक सुविधाओं के लिए भी ध्यान रखा जाता है। सड़कों के निर्माण के लिए भी, जो चम्बल प्रोजेक्ट एरिया के लिए कहा जाय उसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना में आवश्यक व्यवस्था की गई है और मैं समझता हूं कि यह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि आज चम्बल के प्रोजेक्ट एरिया में जो आर्थिक विकास, चाहे वह उद्योग से हो, चाहे खेती के लिहाज से हो, जो वहां पर होते हुए चले जा रहे हैं, वे सब के सामने स्पष्ट हैं। अब हर क्षेत्र के अन्दर, विशेष तौर से वहां ज्यादा खर्च किया जाय, उस समय यह देखना होगा कि जो चीजें: जैसे मान लीजिये कि पशु का सवाल है, या तकावी देने का सवाल है, तो जो प्रोजेक्ट एरियाज भी नहीं हैं, वहां के किसानों को भी आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं को भूल कर नहीं चल सकते हैं, उनको भी सामने रख कर चलना होगा। वहां खेती के सुधार के लिए खास तौर से जोइन्ट डाइरेक्टर के पद को बनाया गया। अलग अलग और क्या पैटर्न खेती का हो, उसके बारे में सोच-विचार किया गया, लोगों की इसमें सलाह ली गई और उसके अनुसार कार्यवाही की गई, आगे भी की जायेगी जिससे जो सिंचाई वहां होने जा रही है, जिसका ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। इसके अलावा इस सम्बन्ध में जो सवाल उठाये गये वे इस संकल्प से सम्बन्धित नहीं हैं, इसलिए मैं उनकी चर्चा में जाना उचित नहीं समझता। मैं इतना ही कह कर चलता हूं कि जो भी वहां चीजें सम्भव हो सकती हैं, हमारी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उन चीजों को करने का प्रयत्न किया गया है। उसके लिए पंचवर्षीय योजना में पहले से अधिक व्यवस्था है और उससे ज्यादा हम यह कहें कि खास तौर से वहां पर और ज्यादा धन राशि प्राप्त की जाय उसका अर्थ यह होगा कि जो दूसरी जगह धन-राशि खर्च की जायेगी वह और कम हो जायेगी।

लाखेरी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बांधों के ऊपर, सिंचाई के ऊपर और दूसरी चीजों में कम खर्च हो रहा है। मेरे खयाल से राजस्थान के अन्दर बूंदी जिले के अन्दर सिचाई का, जमीन का जितना प्रपोर्शन होगा टोटल कल्टीवेटेड एरिया का वह सबसे ज्यादा होगा। जितनी वहां पर अलग प्रोजेक्ट से सिंचाई की गई और बूंदी जिले के अन्दर जो वहां की आबादी है। उन सारी बातों को देखते हुए इन पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में और इस पंचवर्षीय योजना में जो कुछ कार्यवाही की जा रही है वह सब के सामने है। कुछ दिन पहले मैंने सदन की जानकारी के लिए यह सूचना दी थी कि वहां टैक्सटाइल मिल स्थापित हो, उसके लिए उनको लाइसेन्स मिला है।

बिजली चम्बल की जा रही हैं और दूसरे विकास वहां पर हो रहे हैं। लघु उद्योग के लिए भी इन्डस्ट्रियल एस्टेट कोटा के अन्दर काफी बड़ी साइज़ का स्थापित किया गया है। कोटा में उद्योग इतने स्थापित हो रहे हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा औद्योगीकरण वहां पर होगा। इस प्रकार जो चीजें हो सकती हैं उनकी कार्यवाही की जा रही है और मैं यह आशा करता

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

हूँ कि माननीय सदस्य जिन्होंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उन्हें इस प्रकार अपनी बात कहनी थी वह कह दी। अब उससे ज्यादा चोट के लिए वे प्रेश नहीं करेंगे और सरकार इस संकल्प को स्वीकार नहीं कर सकती।

श्री अध्यक्ष : आप संकल्प वापिस लेना चाहते हैं ?

कुं. श्री महेन्द्रसिंह (दोगोद) : अगर चीफ मिनिस्टर साहब यह आश्वासन दिलाते हैं कि उस एरिया में जहां डेवलपमेंट किया जाता रहा है और किया जायेगा तो मैं अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री महेन्द्र सिंहजी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री मुरलीधर व्यास।

कुं. श्री महेन्द्रसिंह : मैं अपना संकल्प वापिस लेता हूँ।

राज्य कर्मचारियों के न्यूनतम व अधिकतम वेतन स्तरों में अनुपात सम्बन्धी गैर सरकारी संकल्प

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो संकल्प प्रस्तुत किया है वह है कि राजस्थान में कम से कम सौ रुपया हर व्यक्ति को मिले और अधिक से अधिक पांच सौ रुपया दें यानी एक और पांच का अनुपात हो, रेश्यो हो; यह संकल्प मैंने प्रस्तुत किया है। इस पर बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है। उन्होंने तो सौ रुपया भी वैसे कम समझा है और एक सौ पचास रुपया तक उसमें प्रावधान रखने की व्यवस्था की है कि इसमें डेढ़ सौ रुपया रखा जाय कम से कम। मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि यह संकल्प मैंने इस दृष्टिकोण से रखा है कि आज दस वर्ष में यह लगातार अनुभव हो रहा है कि जो नीचे का वर्ग है जिसको कि जीवन निर्वाह करने के लिए आवश्यक सामग्री चाहिए वह तो उसे मिल नहीं रही और दिनों दिन ऐसा होता चला जा रहा है कि मंहगाई बराबर बढ़ती हुई चली जा रही है, इन्डेक्स नम्बर बढ़ता हुआ चला जा रहा है और जो हमारे कर्मचारियों में निम्न कर्मचारी हैं, छोटे कर्मचारी हैं, जिनका वेतन–स्तर उस इन्डेक्स नम्बर के तरीके से सुधार नहीं कर पाये हैं; ऐसी स्थिति में यह जो इसके अन्दर प्रस्ताव रखा है, उसमें सारे राजस्थान की आर्थिक स्थिति के ऊपर कि किस प्रकार राजस्थान का बजट है, कितना रुपया है, किस प्रकार राजस्थान की योजना के तहत उन्नति हुई है, कितने रुपये की सरकारी आय बढ़ी है और उसी प्रकार राज्य में भी प्रति व्यक्ति कितनी आय बढ़ी है, ये सारी चीजें अध्ययन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बराबर राज्य के अन्दर प्रोडक्शन बढ़ता हुआ चला जा रह है, राज्य में एक साधारण व्यक्ति की जो आवश्यक प्राइमरी नेसेसिटीज़ हैं उनका प्रोडक्शन बराबर बढ़ता चला जा रहा है और जो कुछ राजस्थान में पैदा होता है, इस दृष्टिकोण से देखा जाय तो जितना राशन आवश्यक है उससे ज्यादा पैदा होता है। इसके बावजूद

(श्री मुरलीधर व्यास)

हम जब समाजवाद के दृष्टिकोण को रखते हैं तो राज्य में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर पाते कि राज्य के हर व्यक्ति की जो प्राइमरी नेसेसिटीज़ हैं, जो जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक वेतन स्तर चाहिए वह उसे क्यों नहीं मिल पाता है ? आज जहां तक संविधान का प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद ३६ में हमने यह स्वीकार किया और इस संविधान को; मैं यह कहूँगा कि जिसको हम बहुत ही अपना पवित्र ग्रन्थ मानते हैं और कहते हैं कि यह हमारी गीता है और हम समय समय पर इसका उल्लेख करते हैं और उसके अनुसार काम करने की बातें कहते हैं तो हमें उसके अनुसार काम करना चाहिये। इसमें स्पष्ट लिखा है कि राज्य अपनी नीति का विशेषतया ऐसा संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से, समान रूप से नर और नारी सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो।

आज हर नागरिक को पर्याप्त साधन प्राप्त करने के अधिकार हैं और हमने इसको हमारे संविधान में स्वीकार किया है। इसके आगे बताया गया है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन-साधनों का सर्व-साधारण के लिये अहितकारी केन्द्रण न हो।

आज हर आदमी अपना विकास चाहता है और यह नहीं चाहता कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारा धन केन्द्रित हो जावे और अगर ऐसा होता है तो हमारी सरकार का यह कर्त्तव्य है कि श्रम से जो पूंजी पैदा होती है वह मुट्ठी भर धनी लोगों के हाथ में न जावे; बल्कि उन लोगों के पास जावे जो उसमें अपना सहयोग देते हैं। जब हम संविधान को स्वीकार करते हैं और संविधान के अनुसार काम करने की योजना बनाते हैं, प्लानिंग के अनुसार काम करना है तो आप देख लें कि सेकिन्ड प्लान का क्या लक्ष्य है। आपने चार लक्ष्य मुकर्रर किये हैं। उसमें आपने यह भी माना है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो ताकि देश का जीवन-स्तर ऊंचा उठ सके। इसके साथ साथ आर्थिक विषमता में कमी और अर्थ का समान वितरण – यह आपने अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा है।

आपने एक तरफ संविधान में इस बात को स्वीकार किया है कि आप राज्य में विषमता को कम करेंगे और दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी आपने समानता लाने की कोशिश करने के लिये कहा है। जो आपका प्लानिंग है और आप कहते हैं उसकी आप जांच करें। जांच करके आप कहते हैं कि राज्य में जो प्रोडक्शन होता है या जो धान पैदा होता है, राष्ट्रीय आय होती है वह राष्ट्रीय आय कितनी हुई और किन किन लोगों के पास किस प्रकार से उसका हिस्सा गया या जाता है। इसकी जांच की और इसके बाद में, अभी मेरे पास कांग्रेस की पत्रिका नहीं है, जो कांग्रेस की 'आर्थिक-समीक्षा' नाम की पत्रिका निकलती है, उसमें इस बात का समावेश किया गया है कि राज्य की आय का ६५ प्रतिशत कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में चला जाता है और ३५ प्रतिशत ४० करोड़ जनता के हाथ में जाता है। इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि जिस समाजवाद का आप नारा लगाते हैं और दावा करते हैं और कहते हैं कि राष्ट्रीय दौलत ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के पास जावे जिनकी आमदनी

(श्री मुरलीधर व्यास)

कम हो और जो लोग मालदार हैं उनके पास न जावे। मगर आप देखते हैं कि उसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। उसकी जांच करने के लिये हमारे सामने रिपोर्ट मौजूद है। मैं समझता हूँ कि यह हमारे संविधान और योजना के सिद्धान्तों के खिलाफ कार्य हो रहा है।

अभी अभी श्री गुलजारीलालजी नन्दा ने लेबर कॉन्फ्रेन्स में स्पष्ट शब्दों में कहा कि मजदूरों के वेतन-स्तर इस मंहगाई को देखते हुए बहुत कम हैं और राज्य सरकार को और उसके साथ साथ बड़े बड़े केपिटलिस्टों को भी विचार करना चाहिये ताकि कम वेतन पाने वाले सभी लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा हो सके। श्री गुलजारीलालजी नन्दा भी इसके लिए कहते हैं, सरकार भी चाहती है और केन्द्रीय सरकार भी यही चाहती है और हमारे संविधान में भी दिया हुआ है मगर हम देखते हैं कि हो रहा है इसके बिल्कुल विपरीत। इसलिये इस पर हमें गम्भीरता से सोचना होगा।

हमेशा इस चीज पर सदन में बहस होती है। हर आदमी और हर पार्टी के सदस्य यही कहते हैं कि जो छोटे कर्मचारी हैं उनका जीवन स्तर है वह ऊपर उठे, उनका वेतन बहुत कम है और उनका वेतन बढ़ना चाहिये। मैं समझता हूँ कि जन संघ ने भी कहा, स्वतन्त्र पार्टी भी कहती है, कांग्रेस की तरफ से भी जो सदस्य बोले वे भी यही कहते हैं कि छोटे कर्मचारियों का जीवन-स्तर ऊपर उठाना चाहिये। यह एक बुनियादी तथ्य है जिसको हम स्वीकार करते हैं। कांग्रेस ने करांची अधिवेशन में एक बात कही थी कि हम ५००) रुपया से अधिक रुपया नहीं लेंगे। आज कांग्रेस यह कह सकती है कि आज मंहगाई बहुत ज्यादा हो गई है। इसलिये ५००) रुपये कम हैं और मंहगाई ८ गुना बढ़ गई है इसलिए यह अन्तर ४ हजार का हो सकता है इसलिए चार हजार तो उनको लेना चाहिये। मैं यह कहूँगा कि उनका यह कहना कोई न्यायसंगत नहीं है। यह ठीक है कि पैसा तो सभी चाहते हैं और पैसा तो एक साधन है। पैसा और सोना-चांदी कोई खाने की चीजें तो हैं नहीं। हमें यह सोचना है कि एक आदमी को अपना निर्वाह करने के लिए जिसकी फेमिली में पांच आदमी हैं या जिसका पांच आदमियों का परिवार है उसका कितने रुपयों में आसानी से निर्वाह हो सकता है। जहां तक स्वास्थ्य की दृष्टि से कहा जा सकता है उसको स्वास्थ्य के लिये भोजन मिल जावे, दूसरा, राशन जितना जरूरी हो मिल जावे। यह कितना होना चाहिए, यह तो पांच आदमी के परिवार के लिए कम से कम जरूरी हो वह मिल जावे। तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार ने कोई काम किया है। चाहे वह कल्याणकारी राज्य हो, चाहे समाजवादी हो, उसका पहलू यह होना चाहिये कि वह इकोनोमिक पोइन्ट ऑफ व्यू से सोचे कि उनको इतना वेतन मिलना चाहिये जो उनके लिये पर्याप्त हो सके। आज हर आदमी को जितना मिलना चाहिये वह सरकार नहीं दे सकती। हो सकता है कि कागजों में वह रह सकता है। मगर मैं कहूँगा कि आदमी को जीवन में जो लाभ उसको मिलना चाहिये मिल सके। मैं यह नहीं कहता कि ज्यादा से ज्यादा अन्तर हो। अगर हम इस अन्तर को हिन्दुस्तान और दूसरे देशों में तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो हमारे यहां अन्तर बहुत ज्यादा

(श्री मुरलीधर व्यास)

मालूम होता है । हमारे यहा रेश्यो १:२०० का है । कुछ लोग कहेंगे कि इजराइल में-इजराइल में आप देखेंगे कि वहां १:३ का है। स्वीडन में १:४ का रेश्यो है । डेनमार्क में १:५ का अन्तर है । अमेरिका में १:१० का अन्तर है । इसलिये सारे दूसरे देशों में कुछ अन्तर है । मगर इतना ज्यादा अन्तर नहीं है जितना कि हमारे यहां पर है । आप यह कहें कि रूस में ज्यादा अन्तर है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर १:१० या १:२० का अन्तर हो जावे लेकिन इस देश में हमें देखना यह है कि हमारे यहां लोगों को जीवन निर्वाह के लिये कम से कम जिन चीजों के मिलने की आवश्यकता है और मिलनी चाहिए वे मिल रही हैं या नहीं । आज आप रूस के बारे में कई बातें कह सकते हैं, लेकिन वहां पर एक आदमी के लिये, उसकी रक्षा के लिये जो चीजें उसको मिलनी चाहिये वे मिलती हैं या नहीं, यह देखने की बात है । आज हमारी राज्य सरकार की इसके लिये बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी है । राज्य सरकार को यह देखना चाहिये कि अन्तर इतना ज्यादा तो नहीं हो जाय जिससे लोगों में गड़बड़ी हो । कुछ अन्तर हो सकता है । हाथ की पांच अंगुलियें भी समान तो नहीं हो सकती । हम यह नहीं कहते कि हर आदमी को ५००) रु० कर दिया जावे । लेकिन आखिर यह तो हो कि इसके लिए कोई सीमा तो हो । एक अंगुली ५ इंच की हो सकती है तो दूसरी २॥ इंच की हो सकती है । इतना फर्क अवश्य हो सकता है । लेकिन इतना अन्तर तो नहीं हो सकता कि एक अंगुली २ इन्च की हो और दूसरी ५ फीट की हो। यह अंगुलियों का फर्क है । एक थोड़ी छोटी है, एक थोड़ी बड़ी है । परन्तु जहां भोजन का सवाल आता है, रोटी खाने बैठते हैं तो भोजन के समय पांचों अंगुलियां एक साथ और एक हो जाती हैं । तो कम से कम जहां भोजन का सवाल हो उस मामले में तो हमको एक हो जाना चाहिये कि राजस्थान में भोजन सामग्री जुटाने के लिये, अपने भरण-पोषण के लिये, भोजन सामग्री जुटाने के लिए कम से कम जितना वेतन आवश्यक है वह तो हर कर्मचारी को मिलना चाहिये ।

दूसरे प्रान्तों में क्या है, इसके बारे में अभी न कह कर राज्य का आर्थिक पहलू रखा जाता है उसके सम्बन्ध में मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा । राज्य के आर्थिक पहलू पर सोचते हैं तो अभी. रेशनेलाइजेशन ऑफ पे स्केल हुआ है । ५) रुपया सरकार ने बढ़ाया है, छोटी तनख्वाह वाले कर्मचारियों का। इसके साथ ही साथ देखें कि १,२००) रुपया और ६००) रुपया जिन अधिकारियों को मिलता है उनका भी बहुत बढ़ा दिया है । मंहगाई-भत्ते को देखते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि ६००) रू० और ५००) रुपया जिन लोगों को पे मिलती है उनको भी मंहगाई देनी जरूरी है । क्या आप महसूस करते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाह वालों को भी मंहगाई देने की जरूरत है ? जहां उनको २५०) रुपया अलग स्पेशल पे भी मिलती है उनको मंहगाई भी दें और गरीब कर्मचारियों को ५) रुपया देकर अलग हो जाते हैं । यह उचित नहीं है । मैं यह निवेदन करूंगा कि ज्यों ज्यों मंहगाई बढती है त्यों त्यों ये छोटे कर्मचारी जीने योग्य सामग्री जुटा सकें, इसके लिये इन्डेक्स नम्बर के अनुसार उनको मंहगाई-भत्ता भी उस हिसाब से बढा कर दिया जाय । पर

(श्री मुरलीधर व्यास)

हमारे यहां होता यह है कि मंहगाई हरएक की बढा देते है और बड़ा उल्टा न्याय है कि जिसकी कम तनख्वाह उसकी मंहगाई कम और जिसकी ज्यादा तनख्वाह उसको मंहगाई ज्यादा। यह हमारी सरकार का सोचने का तरीका है ! मैं यह समझता हूं कि यह सोचने का तरीका ठीक नहीं है। मंहगाई इन्डेक्स नम्बर ऐसा होना चाहिये कि जिनका वेतन से निर्वाह नहीं हो सकता उनकी मंहगाई खास आधार से बढाई जाय जिससे कि उनके परिवार वालों का पालन हो सके।

पुलिस के बजट को ले लीजिये। राजस्थान में पुलिस का बजट ५ करोड़ का है। इसमें ३० हजार जवान काम करते हैं। इन ३० हज़ार व्यक्तियों को १००) रुपया मिले तो ढाई करोड़ रुपये से ऊपर नहीं देना पड़ेगा। इससे हर व्यक्ति को निर्वाह के लायक मिल जायेगा और ढाई करोड़ रुपये की बचत हो जायेगी। प्रशासन के बजट को देखिये इसमें भी कम से कम एक व्यक्ति की १००) रुपया तनख्वाह कर देते हैं तो आधा रुपया सारे बजट का इसमें लग जायेगा और हर कर्मचारी को १००) रुपया तनख्वाह मिल जायेगी। तो आप छानबीन करिये कि कितना अनावश्यक खर्चा होता है और छानबीन के बाद उसमें कटौती कीजिये।

देवस्थान विभाग के बारे में किसी ने कहा कि चपरासी को भोग का प्रसाद मिल जाता है। आज भी मैं बीकानेर में ऐसे कर्मचारी बताता हूं जिनको २५) रुपये से ज़्यादा नहीं मिलता ज्यादा से ज्यादा ४०) रु० मिलता है। जहां तक बड़े कर्मचारियों का सवाल है आइ. सी. एस., आर. ए. एस., आइ. ए. एस. इनकी वेतन को देखते है तो ढ़ाई हजार तक पहुंच जाती हैं और ऊपर से २५०) रुपया स्पेशल पे मिलती है। अब सोचना चाहिये कि एक आदमी अपना पेट भरना चाहता है उसको अपने पेट के भरने के लिये कितना रुपया देना चाहिये।

महात्मा गांधी देश के बहुत बड़े आदमी थे। वे १००) रुपयों में गुजर करते थे। विनोबाजी हमारे देश की बहुत बड़ी हस्ती है। वे १००) रुपये से ज्यादा खर्चा नहीं करते। महात्माजी के आश्रम में जो १०-२० आदमी रहते थे तो महात्माजी देखते थे कि १००) रुपये से ज्यादा खर्चा एक व्यक्ति पर नहीं आना चाहिये। महात्मा गांधी ने देश की नस को समझा था। उन्होंने खुद ने यह कहा था और मरने से पहले 'हरिजन' में लिखा जिसमें कहा था कि देश की खिदमत करने वाले अफसर हैं उनकी शान-शौकत को देखता हूँ, जितना रुपया वे लोग लेते हैं उनको देखता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है। मैं चाहता था कि १२५ वर्ष तक ज़िंदा रहूँ, पर यह सब कुछ देख कर अब चाहता हूं कि जल्दी ही मर जाऊं तो अच्छा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि यह ढ़ांचा इसी प्रकार का रहेगा तो आज भले ही कांग्रेस को आजादी की, कुर्बानी की जमात समझें पर आने वाले लोग इससे नफरत करेंगे। महात्मा गांधी ने यह भी लिखा था कि गांधी टोपी जो कांग्रेस का निशान समझा जाता है उससे भी लोग नफरत करेंगे। मैं उनके लफ्जों

(श्री मुरलीधर व्यास)

को नहीं दोहराना चाहता । इसके लिए बुरे से बुरे लफ्ज उन्होंने लिखे थे । महात्माजी के हर लफ्ज को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिये । गोड़से ने महात्मा गांधी सरीखे महान् व्यक्ति को गोली से मार दिया । किसी भी व्यक्ति का शरीर हमेशा रहने वाला नहीं । पार्थिव शरीर हमेशा रहने वाला नहीं । व्यक्ति की नीति और उसके विचार, उसके सिद्धान्त जिन्दा रहते हैं, हमेंशा स्थिर रहते हैं । गोड़से को फांसी की सजा इसलिये दी कि उसने महात्मा गांधी के पार्थिव शरीर की हत्या की, पर जो महात्मा गांधी के विचारों की, सिद्धान्तों की, नीति की हत्या करता है उसको गोड़से से भी बहुत बड़ी सजा दी जानी चाहिये । मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता । आज हम हर मुद्दे में, हर मामले में महात्मा गांधी का नाम लेते हैं तो हमें अपने जीवन के हर पहलू में उनके विचारों को उतारना चाहिये ।

प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की त्रावनकोर में गवर्नमेंट बनी थी । वह आठ, दस महीने चली । जहां पहले ९ मंत्री काम करते थे वहां ३ मंत्रियों ने काम किया । एक मंत्री ने ५००) रुपयों से ज्यादा नहीं लिया । साईकिल पर आते जाते थे वे । प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बहुमत में नहीं थी, आपकी मदद से गवर्नमेंट बनी, यह सब आप कह सकते हैं ; पर जहां तक महात्मा गांधी के सिद्धान्त को जीवन में उतारने का सवाल है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने उसे जीवन में उतारा और आपके लिए उदाहरण रखा कि आपको भी इसे अपने जीवन में उतारना चाहिये ।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : थानू-पिल्ले आज भी साईकिल पर जाते हैं क्या ?

श्री मुरलीधर व्यास : आज वहां कांग्रेस और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की मिली-जुली सरकार है । तो आपकी देखा-देखी करते होंगे । ऐसा दल जिससे हमारा मेल-जोल नहीं खाता उसके साथ रहते हैं तो थोड़ा असर होता है, थोड़ा मिल कर काम करना पड़ता है । यह भिन्न बात हो सकती है । जहां तक नीति की बात है, जहां उनकी सरकार थी उन्होंने स्वीकार किया । मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि देश के आर्थिक आंकड़ों को देख लीजिये । कृषि के अन्दर जितना उत्पादन हुआ है, २७ ५ पर्सेन्ट हमारा प्रोडक्शन है । कृषि उद्योग के सम्बन्ध में हम किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं ? पूंजीपतियों और बैंक वालों के पास, चाहे उद्योग हो, यातायात हो और जो भी प्रोडक्शन हो इन सबसे जो राज्य की आय बढ़ती है उसका अधिकांश पैसा उसी क्षेत्र में चला जाता है । वह न तो किसानों के पास पहुंचता है और न ही छोटे कर्मचारियों के पास पहुंचता है । जो आंकड़े राजस्थान सरकार ने सर्वे करा कर रखे हैं उन पर कहना चाहता हूँ । यह जो प्रस्ताव रखा है उससे सब ही यह चाहते हैं कि छोटे कर्मचारियों का वेतन बढ़े । इसी उम्मीद से प्रस्ताव रखा है । आप इस पर गम्भीरता से विचार करें ।

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर से आए हुए माननीय सदस्य ने हाउस के सामने अभी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । उस प्रस्ताव के अन्दर

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

मैंने तीन संशोधन प्रस्तुत किए हैं, उनके द्वारा रखे गए शब्दों में तीन जगह परिवर्तन करने के लिए है। वह मैं प्रस्तुत करते हुए कुछ बातें इस लिहाज से अर्ज करना चाहता हूँ, जहां प्रस्तावक महोदय ने यह कहा है कि एक और पांच के अनुपात से राजस्थान के अन्दर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहों का फर्क होना चाहिये उस १ और ५ के बजाय मैंने १ और ६ रखा है और जहां प्रस्तावक महोदय ने कम से कम १००) रुपये रखा है वहां मैंने १५०) रुपये किया है और जहां उन्होंने ५००) रुपया अधिक से अधिक रखा है वहां ६००) रुपये का प्रोविजन होना चाहिये, यह मैंने परिवर्तन चाहा है। इस तरह से मैंने मूल प्रस्ताव में तीन परिवर्तन करने की बात कही है। यह क्यों कही है? इसका बहुत बड़ा कारण है और वह कारण यह है कि आज जिस परिस्थिति में हमारा देश और हमारा प्रान्त है उन सारी बातों को देखते हुए और जिस नीति का एक राज्य हम अपने देश में और प्रान्त में स्थापित करना चाहते हैं उस समाजवाद के लिये हमारे पास कुछ ऐसे नियम होने चाहिये कि जिनके आधार पर समाजवाद समाज व्यवस्था की स्थापना हम देश में और हमारे प्रान्त में कर सकें। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को जिनके हाथ में यह डिपार्टमेन्ट भी हैं और जो इन सारी बातों के लिए जिम्मेदार हैं उनको १५-२० वर्ष पहले की बात याद दिलाना चाहता हूं जब प्रजामंडल में काम करते थे। मेवाड़ के अधिकारी और मिनिस्टर लोग थे और उन लोगों को उस वक्त तनख्वाहें दी जाती थी उनके लिए हम क्या कहते थे और किस आधार पर कहते थे। उनके लिए यह कहते थे कि जनता के गरीब लोगों से पैसा आता था, चाहे भू-राजस्व हो, चाहे टैक्स हो, चाहे पिलाई का टैक्स हो, चाहे और किसी रूप में वह पैसा इकट्ठा किया जाता हो और वह ज्यादा से ज्यादा पैसा जितना सरकार के खजाने में आता था उसमें से ७० और ७५ परसेन्ट पैसा गरीब लोगों से ही आता था सरकारी खजाने में और वह किन लोगों को दिया जाता था उसकी हम एक नाप तोल करते थे और इसीलिए कहते थे कि गरीब से अधिक से अधिक पैसा लेकर, ज्यादा लोगों से अधिक पैसा लेकर कम लोगों को दिया जाता था और उनकी तनख्वाहें बहुत अधिक थी।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह एक सिद्धान्त हमारे सामने उस वक्त था। आज हमारे हाथ में सरकार है। हम ही इस सरकार को चलाने-वाले हैं। किन्तु उस सिद्धान्त का पालन करने के लिए हमारे हाथ में ताकत क्यों नहीं है? आज जो सरकार में अधिकारी हैं ज्यादातर उनमें से वे ही लोग हैं जो पुराने जमाने में रियासतों के वक्त में काम करने वाले थे। मैं नहीं कहता कि उनको हटा दिया जाय। आज उनका पे स्केल बहुत बढ़ा हुआ है। जिन लोगों को पन्द्रह वर्ष पहले स्टेट के जमाने में ७००), ८००) रु. तनख्वाह मिलती थी आज उन्हीं लोगों को १,८००) रु. और २,२५०) रु. तनख्वाह दी जाती है। कितना बड़ा फर्क इन दस, पन्द्रह वर्षों में हो गया! मैं पूछना चाहता हूं दस वर्ष पहले छोटे २ कर्मचारियों को, नौकरों को तनख्वाह दी जाती थी वह ३६) रु. के करीब थी और आज उनकी तनख्वाह ४०) रु. और अधिक से अधिक ७०) रु. है। यह नये वेतन

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

स्केल जो सरकार ने रखे हैं उनके अनुसार है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को ७००) रु. मिलता था उसको आज अधिक से अधिक २,२५० रु.) दिया जा रहा है और जिनको ३०) रु. तनख्वाह दी जा रही थी आज उनको ४०) रु. और अधिक से अधिक ७०) रु. दी जा रही है। मैं यह कहना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूं कि दस वर्ष में से ३०) रु. को बढ़ा कर ४०) रु. किया गया और दूसरी तरफ ७००) रु. को बढ़ा कर २,२५०) रु. किया गया; यह जो परिवर्तन किया गया है, क्या यह हमारे समाजवाद का नक्शा है ? हम अपनी कही हुई बातों पर, उस सिद्धान्त पर चलना चाहते हैं तो इस प्रकार से तो इसको देखते हुए यह बहुत गलत बात होगी। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, उस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वित्त मंत्रीजी का भाषण हुआ तो उन्होंने स्पष्ट रूप में यह कहा था कि राजस्थान की जो आर्थिक स्थिति है वह ठीक नहीं है और विकास के कार्य करने हैं, योजनाओं को चलाना है। हजारों, लाखों रुपया खर्च करते हैं, लाखों और करोड़ों रुपया हमको कर्ज लेना पड़ता है, विकास कार्यों में लगाना पड़ता है। सन् १६५१ से लेकर ६२ तक राजस्थान सरकार ने लोगों पर कर लगाये, करोड़ों रुपयों के रुप में जो टैक्स वसूल करते हैं उसको लेकर। लाखों, करोड़ों रुपये तनख्वाहों में बढ़ा कर उन लोगों को दिया जाता है जिनकी तनख्वाहें एक हजार से अधिक हैं। क्या यह समाजवाद है ? उन लोगों को नहीं दिया जाता है जिनकी तनख्वाहें कम हैं। यदि सरकार समाजवाद के सिद्धान्त पर चलना चाहती है, समाजवादी समाज व्यवस्था की रचना चाहती है तो लोगों को यह बताना पड़ेगा कि इस समाजवाद की नीति में गरीब और अमीर का इतने पोइन्ट से लेकर इतने पोइन्ट होगा न कि एक जो ७०) रु. और दूसरे को २,२५०) रु. जो पचास गुना से अधिक होता है। यदि इस तरह का फर्क रखते हैं तो समाजवाद नहीं होगा। आज सरकार की ओर से जितनी सहूलियतें दी जा रही हैं तो उन्हीं लोगों को दी जा रही हैं जिनको ज्यादा तनख्वाहें मिलती हैं। मैं अर्ज करूं कि हाउस लोन दिया जाता है, मकान बनाने के लिए कर्जा दिया जाता है, जिन लोगों को इनकम टैक्स देना पड़ता है, ५००) रु. से अधिक तनख्वाह मिलती है तो उन राज्य कर्मचारियों को १६ से २० हजार रुपया लोन का मिलता है। कार खरीदने के लिए ८ से १० हजार रुपया दिया जाता है। उन्हीं लोगों को इस प्रकार की फेसिलिटीज़ दी जाती हैं जिनको ५००) रु. से २,२५०) रु. तनख्वाह मिलती है। मैं अध्यक्ष महोदय, आदर से पूछना चाहता हूँ राजस्थान सरकार से कि वह एक, दो नमूने पेश करे जिससे यह मालूम हो सके कि किसी चपरासी को एक झोंपड़ा और मकान बनाने के लिए लोन दिया गया है, गाड़ी खरीदने के लिए लोन दिया गया है, उसके बाल-बच्चों को दूध पिलाने के लिए पैसा दिया गया है ? यदि छोटी २ तनख्वाह वाले कर्मचारियों के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था की हो तो मैं मान सकता हूँ कि सरकार ने समाजवाद की ओर कदम बढ़ाया है। यह कदम उस तरह का नहीं है।

(१.० म. पू.)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ एक खास बात है जो बार बार यहां सदन में

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

उठाई जाती है । चाहे राजस्थान प्रान्त हो, और कोई प्रान्त हो, चाहे सेन्टर की सरकार हो एक ही नीति से आज काम कर रही है और वह है शहर वालों और गांव वालों के बीच में बहुत बड़ा फर्क कायम करें । मैं कहना चाहूँगा कि यह देश के लिए अभिशाप है । देश के लिए यह एक घातक चीज़ होगी और यही कारण है कि आज छोटे २ गांवों के लोग यह महसूस करने लग गये हैं कि यह सरकार हमारे ऊपर थोपी हुई है; राजस्थान की भलाई के लिए नहीं है, छोटे २ लोगों की तरक्की के लिए नहीं है, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए नहीं है ।

आप शहरों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठा रहे हैं । यह जो आपकी नीति है उसका प्रमाण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । जितने भी कर्मचारी जो ५००) रु. से लेकर २,२००) रुपया तक पाते हैं उनमें से ७० प्रतिशत आदमी ऐसे हैं जो शहर से आते हैं और उनको क्या क्या फेसीलिटीज हैं, यह भी देखने की चीज है । सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थायें चलाई जाती हैं । उन संस्थाओं के अन्दर भी सरकारी अधिकारियों के ही लड़के पढते हैं । आपके यहां का राजस्थान कॉलेज ही ले लीजिये, जिसको एक अच्छे स्टेन्डर्ड का कॉलेज कहा जाता है । क्या सरकार या शिक्षा विभाग यह बता सकता है कि इस कॉलेज में एक भी लड़का ऐसा है जिसका पिता फोर्थ क्लास सरवेन्ट हो ? एक भी छात्र आपको नहीं मिलेगा, सारे–जितने भी पढ़ने वाले छात्र हैं वे सब सरकारी अहलकारों के और बड़े बड़े अधिकारियों के लड़के हैं । वे वहां से पढ़ कर निकलते हैं और बाद में ऑफिसर बन जाते हैं । लेकिन हमारी सरकार की जो नीति है गरीब लोगों को, गांव के लोगों को चाहे वे छोटे-मोटे व्यापारी हों, किसान हों या और कोई मध्यम श्रेणी के लोग हों उनको पीछे रखने की जो मनोवृति है, वह हमारे प्रतिनिधि जो सरकार में जाकर बैठते हैं, जिनका ज्यादा समय भाषणों में, उद्‌घाटनों में ही जाता है मूल नीतियों को जहां तक बनाने का सवाल है वे उस पर ध्यान नहीं देते और जो सरकारी अधिकारी आई० ए० एस० अधिकारी नीति बना कर दे देते हैं उन्हीं नीतियों का वे पालन करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं । आज हमारे देश के अन्दर जितनी भी असमानतायें हैं उसका मुख्य कारण यही है । आज हमें इस नीति का एकदम परिवर्तन करना होगा, जब तक परिवर्तन नहीं करेंगे सही मायने में समाजवाद नहीं आ सकता । आज कांग्रेस के समाजवाद की जो आलोचना की जाती है वह इसलिये की जाती है कांग्रेस का जो समाजवाद है वह किसी सिद्धान्त पर आधारित नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई योजना नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि समाजवाद की हमारी यह दिशा है और हम इस तरफ इस तरीके से बढ़ रहे हैं । इस–लिए जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया जहां बड़ी बड़ी तनख्वाहें हम अधिकारियों को देते हैं वहां भ्रष्टाचार भी ज्यादा बढ़ा है । वह इस तरह से कि अपने अपने लोगों को सरकारी विभागों में रखवाने के लिये नई नई पोस्ट्स क्रिएट करवाई जाती हैं और उसके लिये अलग से ग्रेड करवाया जाता है । मैं उदाहरण की तौर पर निवेदन करूं अभी अभी माइनिंग डिपार्टमेंट के अन्दर एक स्पेशल पोस्ट कायम

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

की गई ६५०) रु० से १,४००) रु० के ग्रेड में इसमें कौन आदमी लिया जायेगा, वह कैसा आदमी होगा, उसके लिए नियम बनाए जा रहे हैं और वे नियम भी इस तरह के बनाए गए हैं जिससे अपने आदमियों को रखा जा सके। जब इस तरह से नया आदमी आता है और उसके लिए ऊंचा स्केल होता है तो पुराने आदमी जो क्वालिफाइड होते हैं उनमें इस बात की प्रतिक्रिया होती है। उसका नतीजा यह होता है कि विभाग का काम अच्छा होने की बजाय बिगड़ता है। मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि एक ही विभाग में जहां ६–६ सेक्रेटरीज काम करते हैं, एक सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, जोइन्ट सेक्रेटरी, असिस्टेन्ट सेक्रेटरी इतना अधिकारियों का स्टाफ होते हुए भी वहां जाकर देखिये एक कागज जो यहां पेश होता है उसका जवाब ६ महीनों तक गांवों के अन्दर नहीं पहुंच पाता, सरकारी दफ्तरों में जवाब नहीं पहुंचता। मैं आपके सामने एक फाइल है जो रखना चाहता हूं। एक कर्मचारी १९५३ के अन्दर सरविस से रिटायर होता है, जिसकी तीन साल की तनख्वाह ७६) रुपया मासिक थी। उसने अपने केस के लिये जो पोस्टेज खर्च किया वह २५०) रुपये का है, जिसमें उसने राष्ट्रपति से लेकर राजस्थान के अधिकारियों तक को उसके बारे में लिखा है। इतना लिखते हुए भी उसको आज तक जवाब नहीं मिला। अब जाकर उसका कुछ फैसला हुआ तो उसमें तीन साल की तनख्वाह एड नहीं की गई। उसके लिए सारे जवाबात हैं कलेक्टर के, कमीशनर के, रेवेन्यू बोर्ड के अधिकारियों के, रेवेन्यू सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी तक ने यह लिखा है कि यह गलती हुई है और कहां से हुई है, इस बारे में सरकार विचार कर रही है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें देकर भी कार्य में एफीशियेन्सी नहीं है। मैं अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय से अर्ज करना चाहता हूँ कि आप अपना १५ साल के पहले का इतिहास याद करिये। आप लोगों ने कहा था कि हिन्दुस्तान में जब आजादी आयेगी तो उसके अन्दर जो भी सरकारी कर्मचारी होगा उसकी कम से कम तनख्वाह सौ रुपया और ज्यादा से ज्यादा १ हजार से ज्यादा नहीं होगी। मेरा निवेदन यह है कि जब प्रति व्यक्ति सालाना आमदनी २६०) रुपये है तो उसके अनुपात में ज्यादा से ज्यादा वेतन ६००) रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिये। तहसीलदार, कलेक्टर आदि की जगहों को खत्म कर दिया जाना चाहिये, इससे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे में बचत हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : इस प्रस्ताव पर बहस ११ बजे तक चलेगी और उसके बाद मुख्य मंत्री इसका जवाब देंगे।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव रखा गया है वह मूल में ही ठीक नहीं है इसलिये मैंने तीन जगहों पर संशोधन करने के लिये निवेदन किया है।

शब्द 'वेतन स्तर' के पश्चात् तथा शब्द 'का हो' के पहले प्रयुक्त अंक '१:५' के स्थान पर '१: २२।३' प्रतिस्थापित किये जांय तथा शब्द 'कम से कम' के पश्चात् और शब्द और

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

अधिक' के पहले अंक '१००' के स्थान पर शब्द और अंक '७५–३–६०–४–११०–५–१२० ई० बी०–५–१६० रुपये की वेतन शृंखला' प्रतिस्थापित किये जांय तथा शब्द 'से अधिक' के पश्चात् और अंक '५०० रुपया' से पहले शब्द और अंक '५५०–३०–८२०–ई० बी०–३०–८५०–५०–६५० रुपये की वेतन शृंखला' प्रतिस्थापित किये जांय ।

नई जो रिवाइज्ड पे है उसमें वेतन शृंखला ६ से शुरू किया जाय और २८ तक से ज्यादा न रखा जाय इसी के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं ।

पहली श्रेणी के लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं जिनके लिये ४५ रुपया पे रखी गई है । नई रिवाइज्ड स्केल में २० महंगाई और जोड़ दीजिये । आज इतनी महंगाई है कि जयपुर शहर में एक चपरासी मकान लेकर रहता है तो कम से कम उसको २०) रुपया माहवार मकान किराया का देना पड़ता है । इस तरह से यह पे इतनी कम है कि इसमें उसका गुजारा नहीं चल सकता । इसलिए शुरूआत ७५.२०.६५ से की जाय तो उनको कुछ सन्तोष मिलेगा ।

अगर हम प्रस्ताव की तरह मान लेते हैं कि १:५ का वेतन स्तर हो, बढ़ने वाला नहीं हो, एक सौ नीचे वालों का और पांच सौ ऊपर वालों का रख दिया तो इससे काम करने की उसको आगे इच्छा नहीं रहेगी । वह सोचेगा कि मेरा आगे तो कुछ बढ़ने वाला नहीं है । इसलिये वेतन शृंखला २८ जिसको राजस्थान सरकार ने भी सही माना है, ठीक रहेगी । आर. ए. एस. से ज्यादा अच्छी सर्विस कोई नहीं कही जा सकती राजस्थान के लिए । उसको इस स्केल में लिया है । तो इनसे कौन ऊंचे लोग हो सकते हैं, जिनको ज्यादा वेतन दें ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : Point of order Sir, there is no minister.

श्री रामकिशन (बैर) : समाजवाद में इनको कोई दिलचस्पी नहीं है ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : (मुख्य मंत्री के आ जाने पर) : जब राजस्थान बना था तब चपरासी को आठ, दस रुपये मिलते थे और ऊंची से ऊंची तनख्वाह हजार, बारह सौ थी । तो उस समय वेतन का यह अन्तर सवा सौ से डेढ़ सौ गुना तक था । तो आज इसमें फर्क जरूर आया है और वह आज २५ गुना तक आ गया है । एक और पचीस का फर्क है । तो फर्क तो पड़ा है पहले से । पहले तो बिल्कुल ही अन्धेर हो रहा था एक और डेढ़ सौ का फर्क था । पर यह भी बहुत ज्यादा फर्क है । इसको भी हमें कम करना पड़ेगा और वह एक और आठ के आस-पास हो जाना चाहिये जिससे कि लोगों को सन्तोष मिले । और इससे ज्यादा खर्चा भी नहीं होता है । ५५०) रु० से ६००) रु. का वेतन मिल जाता है एक को तो क्या चाहिये फिर आज के जमाने में इससे ज्यादा ? वो जो वेतन की नई शृंखला बनाई गई है राजस्थान सरकार के द्वारा उसमें काफी लोगों की ग्रेड बढ़ी है । यहां तक बढ़ी है कि उसमें एक जगह तो ११०) रु० पाने वाले का वेतन

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

५५०) रु० तक बढ़ा दिया गया है । इससे दूसरे लोगों में जो उसी के स्तर के लोग हैं असन्तोष होता है । उनकी मन:स्थिति ठीक नहीं हो पाती और इस तरह काम करने में उनका मन नहीं लग सकता ।

इसी प्रकार डिप्टी डाइरेक्टर, एम्पलोइज को ४०० से ३६० में ले लिया गया है । ४०० मूल में मिलते थे, उनका न्यूनतम नहीं लिखा ! इसी तरह इन्सपेक्टर जिसका वेतन ३००) रु० से शुरू होता था, ४३५) रु. में ले लिया । तो इस प्रकार की कुछ गल्तियां तो हैं इसमें, जिनको वापिस सुधारना चाहिये । यह फर्क पड़ जाता है तो बहुत लोग चिल्लाते हैं । नीचे के लोग कहते हैं कि हमारा तो इस रिवाइज्ड पे स्केल से नुकसान होता है । यह बात सही है अगर सही माने में इसे देखा जावे तो उनके नुकसान की पूर्ति की जावे और कम वेतन पाने वालों का बढ़ाया जावे ।

जब वेतन बढ़ाने की बात आती है तो सरकार कहेगी कि इतना पैसा कहां है, हमारे पास ? तो मैं निवेदन करूं कि आज जो ऊपर वालों को ज्यादा देते हैं या कुछ ऐसे खर्चों को जिन्हें कम कर सकते हैं उनको कम करके बचत का रुपया कम वेतन वालों को दे सकते हैं । इसकी छानबीन करने के लिये एक कमेटी नियुक्त की जा सकती है ।

अब आज आप वेतन किनका बढ़ाते हैं ? मैं बताऊं आप उनका वेतन बढ़ाते हैं कि जिन्होंने तीसरी, दूसरी योजना काल में सरकार को आर्थिक नुकसान में डाला है, जनता का नुकसान किया है । ऐसे कितने ही अधिकारियों का वेतन आपने बढ़ाया है । जैसे लेबर विभाग की बात करूं । यहां मजदूरों का प्रश्न है । ई० एस० आई० की तरफ से दूसरी योजना काल में ३,६५,०००) रुपया स्टेट से और इससे साठ गुना ज्यादा भारत सरकार से सहायता मिलने वाली थी अस्पताल बनाने के लिये । अब लेबर कमिश्नर अगर-लेबर की टेक्निक को जाननेवाले होते तो पूरा रुपया खर्च होता । पर वह नहीं हुआ । बहाने भले ही वे अब बीसों बना लें । पर सच्चाई है कि अगर वे जरा सी भी लेबर की टेक्निक को जाननेवाले होते तो इस रुपये का उपयोग अवश्य कर लेते । तो भारत सरकार ने सहायता नहीं दी और इससे नुकसान हुआ ।

इसी तरह से ई० एस० आई० की तरफ से अस्पताल में ५५ बैड नये बनाने की बात थी मजदूरों के लिये दूसरी योजना काल में ! पर कमिश्नर साहब कहीं सो गये । कागज सेक्रेटेरियट में चले गये । कोई मजदूरों की टेक्निक जाननेवाला वहां भी सेक्रेटरी है नहीं । लेबर की टेक्निक की शिक्षा लेकर जो आते हैं वह लेबर कमिश्नर साहब के असिस्टेन्ट बन कर ही रह जाते हैं । तो यह भी पांच लाख रुपया वैसे ही लैप्स हो गया ।

इसी प्रकार टी. बी. के वार्ड बनाने की दो जगह स्कीमें थी दूसरी योजना काल में ; एक जयपुर में और दूसरी बडी में । जयपुर वालों का इस ओर ध्यान चला गया तो वहां बन गया, पर बडी में नहीं बन पाया ।

१८ सेन्टरों में लेबर वैलफेयर की बिल्डिंगें बनाने की बात थी । तीन, चार दिन पहले अखबारों में भी देखा कि बहुत बड़ा काम

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

किया है इस विभाग ने, तीन सेन्टर में बिल्डिंगें बना दी हैं। पर मैं कहता हूँ यहां तो १८ बनाने की बात थी और इसका दस लाख रुपया यों ही गया। ये अफसर लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते। आप उनकी तनख्वाह जरूर बढाते जा रहे हैं। मजदूर जात में यह मामूली बात नहीं है इस तरह के नुकसान की। यह सारा नुकसान मजदूरों का हुआ। जो सहायता मिलनेवाली थी वह ५१ लाख, ७५ हजार की थी।

इन्डस्ट्रियल एस्टेट बनाने की बात थी दूसरी योजना में उसको पूरा नहीं बना पाये। इसकी जिम्मेदारी लेबर कमिश्नर साहब पर हैं लेबर सेक्रेटरी साहब की है। वे इन कामों को पूरा नहीं कर पाये। तो इसकी उनको सजा मिलनी चाहिये थी, तनज्जुली मिलती, पर यह सब किनारे रहा, उल्टे सब के वेतन बढ़े और बहुत ज्यादा बढ़े।

इसी प्रकार लेबर को जहां कानूनी हक मिलने का प्रश्न आता है उसमें भी वे लेबर अधिकारी, जिसमें भी ज्यादा करके लेबर कमिश्नर साहब आते हैं, जिनको आज १,५००) रु० मासिक वेतन मिलता है उनको ग्रेड से भी बहुत ज्यादा दूसरी तरह के कई भत्ते मिलते हैं। वे लेबर के लॉज से मिलने-वाला फायदा मजदूर को नहीं दिला पाते। सरकार के कई जगह काम चलते हैं, जैसे पावर हाउस हैं। तीस-तीस साल से सर्विस करने-वाले टेम्परेरी हैं। मर्जी आई तब निकाल देते हैं, कोई स्टेन्डिग ऑर्डर नहीं हैं। इससे क्या होता है ? मजदूरों को कब्जे में करने के लिये कुछ लोगों को बैठे हुए तनख्वाह देनी पड़ती है, जिससे राज्य का नुकसान होता है। तो लेबर कमिश्नर उनसे लॉज नहीं मनवा सकते और स्टेन्डिग ऑर्डर नहीं निकलवा सकते।

सरकार का ट्रान्सपोर्ट का काम चल रहा है। आबू में पहले से चल रहा है। पर वहां भी कोई लेबर के लिये स्टेन्डिग ऑर्डर नहीं। जब चाहें तब मजदूर को निकाल देते हैं। लेबर विभाग का लेबर, कमिश्नर का फर्ज है कि वहां जहां सौ से अधिक आदमी काम करते हों वहां स्टेन्डिग ऑर्डर बने। पर सरकार खुद ही अपने कानून को नहीं मानती है। ट्रान्सपोर्ट अधिकारियों से यह विभाग कानून को नहीं मनवा सकता।

आयुर्वेद की फार्मेसियां चलती हैं, सौ से अधिक आदमी वहां काम करते हैं। न्यूनतम से कम वेतन मिलता है वहां काम करनेवालों को। तो उनको भी यह विभाग कानून नहीं मनवा पाता।

माइनिंग डिपार्टमेंट में मेजर मिनरल तो भगवान की कृपा से सेन्ट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है पर माइनर मिनरल जो इनके हाथ में है वहां के लिये कोई स्टेन्डिग ऑर्डर नहीं बना पाये हैं। तो जो अधिकार आपके हैं, आपका फर्ज है कि आप उनको काम में लें। आप स्टेन्डिग ऑर्डर बनवाएं। आपकी सरकार है। एक दूसरे विभाग में समन्वय से काम हो सकता है। पर आज तक वर्षों से स्टेन्डिग ऑर्डर नहीं बनवा पाये हैं। मजदूर बेचारे त्राहि माम् त्राहि माम् कर रहे हैं। उनकी बड़ी दयनीय दशा है। सोचते हैं कोई साहब जरा सा भी नाराज हो जावेगा तो हमें निकाल देगा। तो ये सारे बड़े बड़े अधिकारी सरकार के राज-

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

स्थान के कानून की, लेबर लॉज की अवहेलना करते हैं। इसकी बड़ी से बड़ी और कठोर सजाएं मिलनी चाहिये उनको, प्रोसीक्यूशन होना चाहिये उनका। पर यह तो क्या होगा, उल्टा इनाम मिल रहा है उनको, उनके वेतन बढ़ाये जा रहे हैं। कहते हैं वेतन बढ़ाये बिना काम नहीं हो सकता। और काम जो करते हैं वह मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूं।

दूसरी योजना में माइनिंग डिपार्टमेन्ट में तय यह हुआ था कि........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं दो मिनट में खत्म कर दूंगा।

१४ लाख, १५ हजार रुपये प्रदेश में माइनिंग के उद्योग को पनपाने के लिये खर्च किये जायं। वह क्या था? १० लाख, ४५ हजार रुपया लगा कर एक माइका ग्राइन्डिंग फैक्टरी लगाई जाय ताकि लाखों मन माइका का वेस्ट पड़ा है, जो राज्य की सम्पत्ति है, उपयोग में लाई जा सके। उसको ग्राइन्ड करने से करोड़ों रुपया मिल सकता है। पर वह नहीं बनाई गई दूसरी योजना काल में। एस्टीमेट कमेटी को १९५९ में इस विभाग के डाइरेक्टर ने आश्वासन पर आश्वासन दिये कि अभी कर रहे हैं, तब कर रहे हैं पर आज तक वह नहीं बनाई गई। कोई न कोई बहाना इसके लिये ले लिया जाता है। तो यह पैसे भी यों ही गये और हमारे देश में जो धन बेकार पड़ा हुआ था, वह उपयोग में नहीं लाया जा सका।

इसी प्रकार मुलतानी मिट्टी के लिये उद्योग को पनपाने के लिये १० लाख, ४५ हजार की फैक्टरी बनाने की बात थी। वह भी ऐसे ही चला गया पैसा। वह फैक्टरी भी नहीं बनाई गई। यह कह देते हैं कि सोडियम नहीं मिलता है। देश में इसका उत्पादन कम है, इसकी खपत नहीं होगी। एस्टीमेट कमेटी में संचालक महोदय ने कहा है कि जल्दी कर रहे हैं। कभी कहते हैं जल्दी हो हो जावेगा। तो ऐसा कहते कहते यह पैसा यों ही लैप्स हो गया। वह खर्च नहीं हुआ और बिल्कुल नहीं हुआ, बेकार पड़ा रहा और बातों ही बातों में इसे टालते रहे।

माइनिंग विभाग के जो संचालक हैं उनका कर्त्तव्य है कि देश में जो माइनिंग का काम करते हैं उनको जाकर यह सलाह दें कि इस तरह से आप लोगों को काम करना चाहिए और इस तरह से देश के धन में वृद्धि होगी। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि संचालक महोदय कभी इस काम के लिए नहीं गये। आप बतादें किसी एक दिन भी उन्होंने माइन्स के अन्दर उतर कर बताया हो कि यह माइन्स इस तरह से ठीक चलेंगी? लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उनका वेतन बराबर बढ़ता जाता है, जो हमारा नुकसान करते जा रहे हैं। जितने भी माइनिंग इन्जीनियर्स हैं वह माइन्स के ऊपर नहीं जाते हैं केवल कागजोंका काम ऑफिस में करते रहते हैं। लेकिन माइन्स पर कोई भी इन्जीनियर नहीं जाता है और उनकी वेतन हर साल बढ़ जाती है। इसके अलावा उनको चटपट प्रमोशन्स भी मिल जाते हैं असिस्टेन्ट इन्जीनियर से माइनिंग इन्जी-नियर और माइनिंग इन्जीमियर से चीफ माइ-निंग इन्जीनियर। इस तरह से हमारी प्रवृत्ति यही रही तो यह माइनिंग डिपार्टमेन्ट हमारे

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

देश की आय में वृद्धि नहीं ला सकता। ऐसे काम करने वालों को हमने किसी प्रकार की सजा नहीं दी और उनको बराबर वृद्धि देते रहे तो उनकी प्रवृत्ति इस प्रकार की हो जायेगी कि वह कोई काम नहीं करेंगे और वह समझने लगेंगे कि हम काम नहीं करेंगे तो भी आय में वृद्धि तो हो ही जायेगी।

मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। राणा-प्रताप सागर के पास बांध बन रहा है वहां के सिंचाई विभागवाले बार बार कहते हैं कि यहां पर आप पत्थरों की रॉयल्टी का ठेका मत दीजिए। लेकिन इसके लिए माइनिंग डिपार्ट-मेन्ट नहीं माना और आखिर उसका नीलाम किया गया तीन हजार रुपये में। उस सिंचाई विभाग को ३ लाख रुपये रॉयल्टी के देने पड़ेंगे। अगर इस तरह का नुकसान न हो तो कम से कम यह चने के ऊपर तो कर नहीं लगे। यह नहीं बचाया गया। आज उन्हें ३ लाख रूपये देना पड़ेगा। सिंचाई विभाग और माइनिंग विभाग अभी तक इसी बात पर लड़ रहे हैं। तो जो अधिकारी राष्ट्र का नुक-सान करते हैं, जो डवेलपमेंट के कामों में ध्यान नहीं देते हैं आप उनको हटा दें। अगर आप उनको नहीं हटाना चाहते हैं

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो वह जैसे थे उनको वैसे ही रखिये। जैसे छोटे बच्चों को ऊंचा पद दे दिया जाता है और उस पर काम नहीं कर पाते और उनको वापिस वहीं बैठा दिया जाता है तो उनको भी आप वहीं बैठा दीजिए।

मुझे तो यही निवेदन करना है कि जो आर. ए. एस. का ग्रेड है उससे ज्यादा नहीं मिलना चाहिये तब तो यह फर्क मिट जायेगा। एक तो आपने आर. ए. एस. के भी दो, तीन ग्रेड बना दिये हैं २६, २७ और २८। कुछ को आपने २६ के अन्दर रखा है उनको ३५०) रु. मिलेंगे और कुछ को ५५०) रु० मिलेंगे, जब कि दोनों ऑफिसर एक ही तरह का काम करते हैं। सभी डाइरेक्टरों की ग्रेड बढ़ गई लेकिन आयुर्वेद संचालक की ग्रेड नहीं बढ़ी। पता नहीं क्या कारण है। उसको डाइरेक्टर एकदम नीचे चला गया है। तो जो ग्रेड आयुर्वेद संचालक का है उसी का ग्रेड इनका कर दिया जाये। तो मैं तो समझता हूं कि जो रिवाइज्ड पे ६ है और २८ है इनको देखें और ज्यादा से ज्यादा यह कीजिए कि कुछ विभागों को सुधार ने की बात निश्चय ही करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने बहस के लिये जो सब्जेक्टिव मसला है वह यह रखा गया है कि जो तनख्वाहों के अन्दर इतना लम्बा चौड़ा विभेद है उसको खत्म किया जाना चाहिये और जो बहस हो रही है इसमें इफीशियेन्सी और इन-इफीशियेन्सी के बारे में भी सदन का बहुत सारा समय जा रहा है। जहां तक इफीशियेन्सी और ऑफिसरों की कारगुजारी के बारे में शिकायत है उसके लिए तो सही है कि गवर्नमेंट उसके ऊपर गौर करें लेकिन जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव के द्वारा जो यह कहा गया है कि जो तनख्वाहों में डिस्पेरिटी है जिसको कई गुना प्रस्तावक महोदय ने कहा है और सदन के सामने इस

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

मसले को जितना सहल तरीके से रखा गया है मैं उस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इस मसले को जिस सहल तरीके से कहना चाहते हैं यह उतना सहल नहीं है। एक फैशन सा बन गया है विरोधियों के लिए कि वह किसी तरह से हमारी जो सर्विसेज़ हैं उनके बारे में इस प्रकार की बातें फैलायें कि जिससे छोटी सर्विसेज़ के बारे में जो छोटी सर्विसेज़ के लोग हैं उनके लिए इनके दिल में बड़ा ही प्रेम है और यह उनका बड़ा ही भला करना चाहते हैं ताकि उनको ऐसा लगे इन चीजों को दिखा कर यह जो विचार-विवेक पैदा करके सर्विसेज़ के अन्दर एक कैवोस पैदा करें। मैं कहना चाहता हूं कि जब किसी बात पर बहस होगी तब भी सवाल यही उठेगा, कोई बहाना मिलेगा तब भी आप इसी सवाल को लायेंगे कि सर्विसेज़ की तनख्वाह का सवाल है, उसमें बढ़ोत्तरी नहीं हुई, इनको तनख्वाहें मुकाबले ऑफिसरों के बहुत कम मिल रही हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सदन में मैं उसका दूसरा पहलू रखना चाहता हूं। सवाल यह है कि तनख्वाहें किस तरह से बढ़ती हैं? आप उधर की तरफ बैठे हैं तब भी गैरजिम्मेदारी की बात करते हैं। लेकिन सर्विसेज़ के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये मगरमच्छ के आंसू काम में आने वाले नहीं हैं। छोटी सर्विसेज़ के लिए........

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : यह तो आप ही करते हैं।

श्री रामकिशन (बैर) : अध्यक्ष महोदय, यह गैर जिम्मेदारी शब्द ठीक है क्या?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं बहुत अच्छी तरह से कहना चाहता हूं और जो प्रस्तावक महोदय हैं उन्होंने जिस तरह से इस मसले को रखा है वह मसला यह नहीं है। मसला यह है कि आज ४०० डॉक्टर्स नहीं हैं। आज सारे देश के अन्दर जो क्रम है उसके साथ राजस्थान को चलना है और उन सर्विसेज के अन्दर इस राजस्थान को चलाना है और अगर हम अच्छी क्वालिफिकेशन्स के लोग लेते हैं तो सारे हिन्दुस्तान के साथ आपको चलना पड़ेगा। सरकार ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह नहीं देना चाहती है लेकिन आप देखिये डॉक्टरों के बगैर कई अस्पताल पड़े हैं। लेकिन तनख्वाह बढ़ाने का प्रश्न आता है तो आप कहते हैं कि डिस्पेरिटी बहुत ज्यादा है और इसलिये इनकी तनख्वाह नहीं बढ़नी चाहिए। आज आपके २०-४० हजार के अस्पतालों में डाक्टर आदमियों की सेवाओं के लिये मिलने मुश्किल हो जायेंगे। हां, मैं इस बात का जरूर हामी हूं कि जो क्रिटिसिज्म है कि हम जितनी पे देते हैं उसके लिए सरकार देखे कि वह अधिकारी एक एक पैसे को हलाल करें। अगर वह ऑफिसर गलती करें तो उनको छूट नहीं मिलनी चाहिए। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कई जगह सरकार करप्ट ऑफिसरों को लाइसेन्स देती है और उनको बढ़ावा देती है कि वह और गलतियां करें। इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाये, यह मैं जरूर मानता हूँ। लेकिन जहां तक डिस्पेरिटी का सवाल है उसके बारे में स्पष्ट कहना चाहता हूं कि राजस्थान में फाइव ईयर प्लान और दूसरी चीजों को चलाना है तो यह जो स्पेशल एजूकेटेड लोग हैं उनकी सर्विसेज को लेना पड़ेगा और उनको अच्छी

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

तनख्वाह दी जाये। जो छोटे आदमी हैं और जिनकी तनख्वाह कम हैं उनके लिये सरकार चाहती है और हम भी चाहते हैं कि उनकी तनख्वाह बढ़े। तो हमें माली हालत को लाने के लिये यह जरूरी है कि वह ऑफिसर इफीशियेन्सी के साथ काम करें। यह आवश्यक है कि हमारी माली हालत बढ़े और हम इस काबिल बनें कि हमारी जो सर्विसेज के छोटे लोग हैं, जिनको कम तनख्वाह मिलती है उनको और अधिक तनख्वाह मिल सके। इस हालत के अन्दर राजस्थान को पहुँचाना है और सरकार को पहुंचाना है और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी छोटी तनख्वाह के लोग यहां के विरोधी पक्ष के लोगों को ज्यादा जानते हैं........

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : जज्बात को प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आज हम भी उसी जज़्बात से जीना चाहते हैं। हमने भी सेवायें की हैं, हम भी मजदूरों के अन्दर रहे हैं, हम भी आपके जज़्बातों के साथ एक हैं; लेकिन आपका और हमारा मकसद दूसरा है। आप छोटी सर्विसेज के लोगों में असन्तोष पैदा करना चाहते हैं। आप राजस्थान को २०–३० वर्षों में भी छोटे लोगों की तनख्वाह बढ़ाने की हालत में नहीं लाना चाहते हैं। इसलिये जरूरी है कि हम इस चर्चा को इस तरह से न चलायें। हम इस तरह से चलायें कि जो तनख्वाह में डिस्पेरिटी है वह कोई राजस्थान के करने से नहीं की जा सकती; तनख्वाह कोई आपके कहने से नहीं हो उकती हमें २५०) रुपये मिलते हैं। हमारी एम०-एल० एज० की सर्विसेज को देखिये। हम यहां वोट करें तो हमारी तनख्वाह २,५००)रू० की कर सकते हैं। पर वह इसलिये नहीं कर सकते कि अपने राजस्थान की हालत ऐसी है कि यह २५०) रुपये भी एक तरह से उस पर वजन पड़ता है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आपके साथ होते हुए भी खाली हाथ उठा दें तो आपकी तनख्वाह बढ़ जाये लेकिन आप तो शायद इसके लिये तैयार हो जायें, लेकिन इस तरफ बैठने वाले तैयार नहीं हैं। क्योंकि आपकी जरूरतें ज्यादा हैं। आपको पी० ए० भी चाहिए। आपको पढ़ने को भी चाहिए, लिखने को भी चाहिये, यहां आने को भी चाहिए। यह जरूरतें हैं एक एम०-एल० ए० की। हम भी जरूर मानते हैं। लेकिन राजस्थान की स्थिति नहीं है कि हम अपनी तनख्वाहें बढा सकें। यह स्थिति नहीं है। लेकिन उनकी तनख्वाहें घटाने की स्थिति में भी नहीं हैं। हुकूमत को चलाना है तो तनख्वाहें देनी पड़ेगी। एक्सपर्ट्स को सारे हिन्दुस्तान से एट्रेक्टिव तनख्वाहें देने में सरकार को कभी नहीं घबराना चाहिए।

श्री नत्थीसिंह : मिनिस्टर लोग एक्सपर्ट नहीं हैं। उनको तनख्वाहें कम कर दी जायें। हम यह निवेदन करना चाहते हैं और हम यह दावे के साथ कहते हैं कि एम० एल० ए० की तनख्वाहें कम करके १५०) रु० कर दें अगर हो हिम्मत तो।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): आप वॉलेन्टरी कट करके पथ–प्रदर्शन करदें।

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस वालों को पहले कट करना चाहिए।

Page No. 56

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अब कहने लगे कि कांग्रेस वालों को पहले कट करना चाहिए। आपकी कथनी और करनी में कितना फर्क है।

श्री हरिराम चौहान : आपने कम करके देख लिया है और वापिस ले लिया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हमें सदन में इस बात पर जोर देना चाहिये कि हम हिन्दुस्तान के टेलेन्ट्स को इकट्ठा करें और पैसों की परवाह नहीं करें। उनका पैसा काट लें और सब को २००), २५०) या ५००) रुपये की जगह २५०) रुपये हो जायं तो कितना रुपया बचनेवाला है ? ८ आने, ४ आने की तरक्की नहीं हो सकती ! उसके ऊपर उनको गुस्सा दिला कर आप समझते हैं कि छोटे लोगों की हिमायत कर रहे हैं। आप तनख्वाह बढाने की बात कर रहे हैं, आप डिस्पेरिटी को खत्म करने की बात कर रहे हैं, उससे छोटे लोग खुश हो जायेंगे। आप उनमें इस तरह से असंतोष पैदा करना चाहते हैं। आज सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। छोटी सर्विसेज की तनख्वाहें बढी हैं और बढ रही हैं लेकिन वह सारी कांग्रेस की वजह से। × × × ×

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : This is objectionable and this should be expunged.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I withdraw,

श्री मानिकचन्द सुराणा : This should be expunged, Sir.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I have already withdrawn.

×××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अपने भाषण के बारे में कह रहे थे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप अपने भाषण के बारे में कह रहे हैं तो आदेश क्यों दिया जाना चाहिए एक्सपन्ज करने का ?

श्री अध्यक्ष : फिर भी इसको एक्सपन्ज कर देंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप भी बहुत हकारते हैं इन्हीं बातों को लेकर।

श्री अध्यक्ष : काफी भाषण हो चुका है। समाप्त करें जल्दी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। यह बोल गये बीच में नहीं तो कभी का बैठ जाता।

एक बात है कि आप चाहते हैं कि किसी तरह से सर्विसेज में डिससेटिस्फेक्शन रखा जाय, यह मैं स्पष्ट कहूंगा। इससे ये लोग इन चीजों से कुछ लोगों को गुमराह करने में कामयाब होते हैं।

(१०. ३४ म० पू०)

(श्री केसरीसिंह सभापति, पदासीन)

सरकार को आगाह रहना चाहिए कि इन सब चीजों के असरात से उन पर क्या असर पड़ता है कि सर्विसेज के लोग इनके मकानों पर जाकर चक्कर काटने लगते हैं। वह गलत है। सरकार को समझना चाहिए। (श्री भैरों सिंह को हंसते हुए देख कर) वह हंस रहे हैं। आपने हुकूमत में ये खराबियां पैदा की हैं। तुम्हारा राज्य कभी आये तो यह हमारे घरों

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

के चक्कर काटेंगे।

श्री नत्थीसिंह : यह चक्कर काटना आपने सिखाया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह डिस्टर्ब करते हैं इसलिए दो मिनट और दें।

मैं अर्ज करता हूं कि सर्विसेज अच्छी तरह समझती हैं, वे आगाह हैं इस प्रस्ताव से। हम इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करते हैं। सर्विसेज बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि यह मगरमच्छ के आंसू के सिवाय कोई बात नहीं है। हमको बढ़ाना है। हमको डिस्पेरिटी को ठीक करना है। उसका एक ही तरीका है, वह यह है कि छोटी तनख्वाहवालों को बड़ी तनख्वाह तक पहुंचा दें। यह मगरमच्छ के आंसू हैं। क्योंकि उनके हाथ में नहीं है कि वे बढ़ा सकें, लेकिन मुंह से कहते हैं कि बढ़ा दी जाय। मुंह से कहते हैं चाहे पैसा हो या नहीं। हम लोग कदम उठा चुके हैं। १४ वर्षों में कितनी तनख्वाहें बढी हैं। आपने बाहर डेमोक्रेसी के लिये डिमॉन्सट्रेशन ही किये होंगे। यहां तो पैसे पहुंचाये हैं उनके घरों में। हमेशा तरक्की की है। इसलिए मैं सदन के सदस्यों से अपील करूंगा, सीरियसली अपील करूंगा अगर आप राजस्थान को बढाना चाहते हैं तो सारे राजस्थान के ही नहीं; बल्कि सारे हिन्दुस्तान के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह प्रोवाइड करके जो आने वाला समय है उसमें सारे प्रान्तों के साथ राजस्थान को ला सकें। उस चीज को कम करने वाले इस प्रस्ताव को आप वापिस लेंगे, नहीं तो सदन इस प्रस्ताव को रिजेक्ट करेगा। इन शब्दों के साथ में मैं इसका विरोध करूंगा।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के सामने विचारार्थ है शायद कुछ माननीय सदस्य उसकी भावनाओं के विपरीत भाषण दे रहे हैं। प्रश्न यह नहीं कि सर्विसेज में असंतोष पैदा हो या छोटे कर्मचारियों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्ताव की असल मन्शा यह है कि हमारे मुल्क में, प्रदेश में जो असमानता है, गैर बराबरी है वह किसी सीमा तक दूर की जा सके और मैं समझता हूं कि अगर इस उद्देश्य से इस पर विचार किया जाय तो जो माननीय सदस्य अभी बड़ा जोरदार भाषण दे रहे थे वह भी सहमत होंगे, क्योंकि वे भी पुराने समाज़वादी रहे हैं। वेतन का प्रश्न नहीं है। वेतन तो शुरुआत करने का एक क्रम है। असल प्रश्न तो यह है कि मुल्क के राष्ट्रपति और एक महत्तर की जो आमदनी और खर्चा है उसमें इतना ज्यादा अन्तर है कि और किसी भी मुल्क में इतना अन्तर नहीं मिलेगा। आप ताज्जुब करेंगे कि हमारे प्रधान मंत्री पर एक दिन में २०,०००) रु० खर्च होता है। उसी जगह एक नागरिक रहता है प्रधान मन्त्री का माली उसको ४०) रु० खर्च मिलता है। असल प्रश्न है इस असमानता को दूर करने का। जहां तक सर्विसेज का सवाल है उसके लिए मनुष्य की हमेशा इच्छा रहती है कि मानव जाति बराबर के स्तर पर खड़ी हो। बराबरी के दो पहलू होते हैं, एक तो सम्भव बराबरी और एक सम्पूर्ण बराबरी। इस वक्त हम सदन में विचार कर रहे हैं कि किस सीमा तक हम संभव बराबरी ला सकते हैं। सम्पूर्ण बराबरी सम्भव नहीं है, न कभी वह मानव जाति में संभव हो

(श्री रामकिशन)

सकेगी। लेकिन मानव जाति का एक स्वप्न है कि कभी सम्पूर्ण बराबरी हो । लेकिन संभव बराबरी किस तरह से हो सकती है, इस पर गंभीरता से विचार करना है। हो सकता है कि इसमें अनिवार्यता लगे, हो सकता है कि कुछ पैसों की भी कमी लगे । लेकिन हमें यह मान कर शुरुआत करनी चाहिए कि आज जो गैर बराबरी है कम की जा सकती है । यह गलत है कि छोटे कर्मचारियों को १००) रु० नहीं दे सकते हैं। मुमकिन है आज हम इस स्थिति में न हों। लेकिन जिन कर्मचारियों की आमदनी और खर्चा १,०००) रु० से ऊपर हो उनको कम कर सकते हैं। यह साधारण सी बात है । आज हम देखते हैं कि एक तर्क दिया गया था कि एक्सपर्ट को आकर्षित करना चाहते हैं राजस्थान में। यह बिल्कुल सही बात है कि टैक्निशियन या दूसरे ज्ञानवान लोग हैं उनको राजस्थान में आकर्षित करें। लेकिन मंत्रियों का हिसाब-किताब देखेंगे तो उनका खर्चा डेढ लाख रुपया कारों के मेन्टीनेन्स पर होता है, उनके बंगले, कोठियों, दौरों के भत्ते और दूसरी सुविधाओं को मिलाया जाय तो वह........

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): This has been off repeated in the House. I will request the House that

श्री रामकिशन : मैं तब तक नहीं समभूंगा जब तक कि आप हिन्दी में नहीं बोलेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं चेयर को एड्रेस कर रहा हूँ। आपको समझाने का प्रश्न नहीं है।

श्री रामकिशन : आप नहीं समझाना चाहते हैं तो मुझे समझने की जरूरत भी नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : I want observations from the chair, Sir and not from the Hon'ble Member, Sir.

श्री सभापति : आप क्या चाहते हैं, वापिस फरमाने की कृपा करें ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अब वे समझ गये हैं।

श्री रामकिशन : तो इस तरह से खर्चा बढ़ता चला जा रहा है। तो इस पर नियन्त्रण लगाने की जरूरत है। हम देखते हैं कि एक माननीय सदस्य ने दूसरे मुल्कों की मिसालें दी जो संभवत: यूरोप की जातियों ने प्राविधिक ज्ञान पैदा करके आमदनी के स्तर को एक विशेष ढंग पर डाल दिया है। लेकिन घाना जो हम से बाद में आजाद हुआ है उसके लिए कांग्रेस की 'आर्थिक समीक्षा' नाम की पत्रिका में यह दिया हुआ है कि वहां पर एक नागरिक और दूसरे नागरिक में १ और १२ का अन्तर है। इजराइल में १ और ७ का अन्तर है, लेकिन हिन्दुस्तान और राजस्थान जैसे देश-प्रदेश में जहां एक की आमदनी ३१५) रु० रखी गई है तो दूसरे जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, राजस्थान के सर्वोच्च प्रतिनिधि हैं उनका खर्चा कम से कम ६ लाख रुपया रखा गया है। अब यह कौनसी समता में आता है, यह समझ में नहीं आता।

कुछ माननीय सदस्यों ने गांधीजी का

(श्री रामकिशन)

जिक्र किया । लेकिन मैं समझता हूँ अब गांधीजी का नाम लेना इस मुल्क में व्यर्थ है। गांधीजी का युग त्याग, तपस्या और कुरबानी का युग था । आज हम रह रहे हैं नेहरू युग में जहां ऐय्याशी और फिजूलखर्ची है । कल प्रधान मंत्री के बारे में पढ़ा था कि उनको गुलाब का फूल नहीं मिला इसलिये दो दिनों तक परेशान रहे........

श्री निरंजननाथ आचार्य : I again make an objection, Sir. The relevant portion is not before the House, Sir.

श्री रामकिशन : आप भी पढ़ लीजिये। आप अखबार नहीं पढ़ते हैं यही मुश्किल है ।

श्री निरंजनानाथ आचार्य : A reference of paper cannot be made before the House, Sir.

श्री रामकिशन : आप तो पढ़ते हैं दूसरी तरह के पत्रों को । ऐसी जब स्थिति है मुल्क की तो उसमें आमदनी और खर्च की निश्चित सीमा बांधने की शुरूआत करनी चाहिये । एक ओर राजस्थान में शुद्र, भील, हरिजन और आदिवासी हैं जिनकी आमदनी प्रोग्रेस रिपोर्ट में दी है आर्थिक निर्णय के लिये वह ५,६ आने रोज पड़ती है और दूसरी ओर राज्य के मुख्य सचिव हैं, पुलिस अधिकारी हैं, महालेखापाल हैं उनकी आमदनी और खर्चे में समानता नहीं है । तो माननीय सदस्य जो सरकारी पक्ष में बैठते हैं और जो ३-४ साल से समाजवाद की बात कह रहे हैं तो वह उसके अनुसार कुछ न कुछ शुरूआत तो करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। यहां संतोष और असंतोष का सवाल नहीं है ; प्लानिंग कमीशन कहता है कि अधिक से अधिक समानता लाने की कोशिश करेंगे । लेकिन सारा आचरण उसके विपरीत हो रहा है । तो मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिये । इस रूप में नहीं कि ५००) रु० और १००) रु० दिये जायं लेकिन कोई न कोई सीमा बांधनी चाहिये कि आदमी का खर्चा इतने से ज्यादा नहीं होगा । तनख्वाह का सवाल नहीं है । तनख्वाह आप देंगे ज्यादा से ज्यादा ७००), ८००) रुपये माहवार । मेरा निवेदन है कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति को देखते हुए १ हजार तय की जा सकती है । लेकिन शुरूआत करनी चाहिए । अगर आप शुरूआत करेंगे तो आपको देख कर दूसरे प्रदेश भी शुरूआत करेंगे । राजस्थान मशहूर है शुरूआत करने के लिए । विकेन्द्रीकरण करने में भी राजस्थान ने शुरूआत की है और दूसरे लोग राजस्थान से प्रेरणा ले रहे हैं । तो मैं समझता हूँ मुख्य मंत्रीजी असली मुद्दे पर आ जायेंगे । हम तो कह रहे हैं असंतोष है लेकिन उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी । लोग कहेंगे कि एक प्रदेश के मुख्य मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने आमदनी और खर्च की सीमा बांधने की शुरूआत की है ।

जहां बजट का सवाल है, आज जरूरी नहीं है कि तनख्वाह १००) रुपये कर दी जाय लेकिन जो बड़े लोग हैं उनकी तनख्वाह घटाई जा सकती है । आप दूसरे तरीके से सोचते हैं कि पैसा कहां से आयेगा ? पैसे का रास्ता है लेकिन वह अपनाया नहीं जाता । राजाओं की पेन्शन बंद की जा सकती है, जागीरदारों का मुआवजा कम किया जा सकता है, केपिटल पर लेवी लगाई जा सकती है, जिनके पास मकान ज्यादा

(श्री रामकिशन)

हैं उनको छोटे महकमों को देकर पब्लिक काम में ला सकते हैं। तो लोग कहते हैं उस तरह की हालत नहीं है लेकिन मुश्किल यह है कि वे करेंगे नहीं लेकिन जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं जिनमें दो, चार क्रान्तिकारी हैं उनकी समझ में यह बात आ सकती है। लेकिन जो नई पीढ़ी के लोग हैं जिनको न क्रान्ति से वास्ता है, न संघर्ष से ऐसे लोगों के साथ जब पुराने क्रान्तिकारी बैठते हैं तो वे भी पथभ्रष्ट हो जाते हैं। नये लोग इस मामले में वकालात करने लग जाते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि क्रान्ति से निश्चित दुविधा में फंस जाते हैं। वे भूले हुए होते हैं जैसे माननीय सदस्य भूले हैं। यह मानवीय प्रश्न है, आदर्श का प्रश्न भी है। इस पर समदृष्टि से विचार किया जाय तो कठिनाई नहीं होगी।

इसी तरह से दूसरी स्थिति भी है। जहां तक अभी जो कुछ कहा जा रहा है विभागों के बारे में, शिकायत के बारे में वह शिकायत नहीं है? हम भी मनुष्य हैं, काम करते हैं। वे भी मनुष्य हैं। हम अपने को श्रेष्ठ नहीं मानते हैं। कम से कम मेरी मान्यता है कि हम कोई उत्तम और वे हीन नहीं हैं। वे भी सहयोग देंगे छोटे लोगों के कल्याण के लिये अधिक से अधिक क्या किया जाय। आदिवासी, शिड्यूल्ड कास्ट के उत्थान, जमीन के संशोधन आदि की शुरूआत करें तो १०-१२ साल में संभावित समता ला सकते हैं। यदि सम्पूर्ण समता नहीं आवे तो भी सम्भावित समता ला सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ। मैं समझता हूं सरकार के प्रति इस तरह कहना असंतोष और नाराजगी का प्रश्न नहीं है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आदरणीय चेयरमैन,....

श्री सभापति : श्री मानसिंह महार।

श्री मानसिंह महार : आदरणीय चेयरमैन महोदय, सदन के समक्ष प्रसोपा नेता की ओर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव आया है। उसका एक हिस्सा ऐसा है जिसको मैं अपना हार्दिक समर्थन देता हूं। वह यह है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को कम से कम १००) रु० वेतन देना चाहिये। इसके लिये मैं कभी इन्कार नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी ओर जब इसका दूसरा हिस्सा देखता हूं तो उसको देख कर बड़ा दुःख होता है। जितनी खुशी १००) रु० तनख्वाहवाली बात से हुई उससे अधिक दुख यह देख कर हुआ कि वे देश का स्तर इतना नीचा गिराना चाहते हैं कि ५००) रु० से अधिक की कोई चीज नहीं होनी चाहिये। सरकारी नौकरी में कल्पना नहीं की जा सकती, आज के मंहगाई के जमाने में राजस्थान सरकार के चीफ सेक्रेटरी ५००) रु० में अपना निर्वाह कर लेंगे। यह तो ऐसी बात हो गई कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार को और भी अधिक व्यापक करना चाहती है........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): आपको अलाउन्सेज बंद करने का डर है क्या ?

श्री मानसिंह महार : आप चिन्ता मत करिये, और प्रान्तों को देखिये, चीन में जाकर देखिये, रूस में जाकर देखिये........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चीन और रूस प्रान्त नहीं हैं, देश हैं। प्रान्त और देश की परिभाषा में अन्तर है।

श्री मानसिंह महार : चीन को एशिया का प्रान्त मान लीजिये। यहां पर हम रूस की दृष्टियों का विरोध करते हैं पर वहां पर ख्रुश्चेव के बंगले में ऐसा एयर कंडीशन्ड लगा हुआ है........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ख्रुश्चेव चीन में रहता है क्या ?

एक माननीय सदस्य : आप वहां पर जाकर आये हैं क्या ?

श्री मानसिंह महार : हमारे मित्र मुक्तिलालजी रुस जाकर आये हैं, वे बात कर रहे थे। मैं कुछ कहता हूं, इस चीज को जाने दीजिए। वास्तविक चीज यह है कि यदि तनख्वाहों का स्तर गिरा दिया गया तो योग्य आदमी नहीं आयेंगे........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तब तो आपका भत्ता बंद होगा।

श्री मानसिंह महार : हमारे भत्ते से तनख्वाहों का कोई लेन-देन नहीं है। आप चिन्ता मत करिए। मैं अपनी तरफ से कहता हूं कि यदि जागीरदारों को सरकार भत्ता देती है तो अभी बंद कर दे। मैं यहां भी मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करुंगा कि हमको भत्ता देती है सरकार तो उसे बंद कर दे। हमको कोई भत्ता नहीं चाहिये........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुआवजा ?

श्री मानसिंह महार : मुआवजे के बदले में तो चीज दी है उसका पैसा दे रहे हैं। इसमें कोई एहसान नहीं है आपका और सरकार का। हम पैसे के गुलाम नहीं हैं, चीज दी है, उसका पैसा लेते हैं। भत्ता बांधा है, यह कतई गलत बात है। जो चीज दी है उसका मुआवजा लेंगे और शौक से लेंगे।

श्री सभापति : Please state your point briefly.

श्री मानसिंह महार : मुझे बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं, मैं क्या करूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड नजर आ रहे हैं !

श्री मानसिंह महार ; मैं निवेदन कर रहा था कि मामूली से मामूली मिल में चले जाइये वहां के मैनेजर को ढाई, तीन हजार रुपये तनख्वाह मिलती है। आसाम के चाय के बगीचों में चले जाइये वहां पर भी काफी अधिक तनख्वाह मिलती है। आजकल का हमारे यहां का योग्य टेलेन्ट कलकत्ता, बंगाल, आसाम की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। मौजूदा तनख्वाह सरकार की है वह इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिये। हमारे यहां के जो योग्यतम बच्चे हैं वे उधर डाइवर्ट हो रहे हैं। यह तो जिनकी नौकरी उधर नहीं लगती है वे इधर आते हैं आर० ए० एस०, आर० पी० एस० में और अगर फिर भी गिरा कर पांच सौ रुपया कर देंगे तनख्वाह, जैसा कि मेरे प्रसोपा के मित्र ने कहा, तो मैं आप से नम्र निवेदन करूंगा कि राजस्थान में जो सर्विस का स्तर है वह और गिर जायेगा, बहुत गिर जायेगा....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आपका कोई संशोधन होगा तो मैं स्वीकार

(श्री मुरलीधर व्यास)

कर लूंगा, हजार हो, पन्द्रह सौ हो, आप बता दें ।

श्री मानसिंह महार : मैं कोई सीलिंग नहीं करना चाहता अपनी तरफ से ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रिवी-पर्स के बराबर तनख्वाह की मांग कर रहे हैं ?

श्री मानसिंह महार : मैं कोई सीलिंग नहीं बांधना चाहता ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : कम से कम तो करें, ज्यादा से ज्यादा नहीं तो ।

श्री मानसिंह महार : कम से कम रहे, मैंने जो कहा था वह माननीय मित्र ने सुना नहीं । मैंने कहा कि जो सौ रुपये की बात है, उसका मैं समर्थन करता हूं । मैं चाहता हूं कि गरीबों को ऊंचा उठाया जाय । मैं....

श्री हीरा भाई (कुशलगढ़) : बढा कर घाटे की पूर्ति कैसे की जायेगी ?

श्री मानसिंह महार : घाटे की पूर्ति । और चार करोड़ के नोट ज्यादा छप जायेंगे, तो घाटे की पूर्ति होगी । आप कैसी बात आज के युग में कह रहे हैं घाटे की पूर्ति की ? आज घाटे की समस्या नहीं है, घाटा-वाटा की कोई चिन्ता नहीं है । हमारी सरकार डेफिसिट फाइ-नेन्शिग में माहिर है । उसके लिए कहना ठीक नहीं कि घाटा कैसे पूरा होगा । घाटा तो अपने आप पूरा हो रहा है, और थोड़ा बहुत रुपया कम हो जायेगा तो भारत सरकार से दस करोड़, बीस करोड़ का कर्जा ले लेंगे । इसमें क्या बात है ? पर कोई तनख्वाहों में कमी करेंगे

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

पांच मिनट........

श्री सभापति : दो मिनट ।

श्री मानसिंह महार : हमारी तनख्वाहों में कमी करेंगे तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का स्तर गिरेगा । इसलिए जो वन इज टू फाइव का रेश्यो मेरे मित्र ने रखा है, उसका मैं विरोध करता हूं, हालांकि मैं सौ रुपयेवाली बात का पूर्ण समर्थन करता हूं । लेकिन इस रिजोल्यूशन का जो दूसरा हिस्सा है वह देश के लिए बहुत घातक है, प्रान्त के लिये बहुत घातक है । इसलिये मैं सदन के प्रत्येक मित्र से और खास तौर से मेरे प्रसोपा के मित्र से प्रार्थना करूंगा कि उनके केरल में मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने क्या किया है । दूसरों को कहना आसान होता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है । केरल में वही आई. ए. एस. की ग्रेड है, वही आई.पी.एस. की ग्रेड है । सब उसी प्रकार हो है । आप जरा इस एक्सपेरिमेंट को वहां कीजिये । मैं कहता हूं कि इस प्रकार की गलत बात सदन में लाकर हमारी सरकार को एम्ब्रेस करने की बात नहीं करनी चाहिए । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि हमारी सरकार को चाहिए कि वह नीचे के तबके के लोग हैं उनकी तनख्वाह सौ रूपये से जरूर शुरु करे लेकिन पांच सौ पर ले जाकर सीलिंग लगाने की बात है, इसका मैं विरोध करता हूं और सदन के सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इस गलत चीज का कोई भाई समर्थन नहीं करे ।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : यह हमारी कब से हो रही है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): On a point of parliamentary practice, Sir. The lady Member from Bhim is likely to move a resolution about Rajasthani language. It has been the practice of the House to give preference to a Lady Member, Sir, more so because in the history of our legislature Sir, this is for the first time that a lady Member is tabling a resolution. I would, therefore; request the Chair to control and regulate the debate just to give an opportunity to the lady Member.

श्री रामकिशन (वैर) : ग्यारह बजे तक उसका टाइम था।

श्री सभापति : Order please! Shri Kumaranand,

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : आप नाम नहीं जानते हैं। आप नाम नहीं जानते हैं, चेअरमैन साहब।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : माननीय सभापति महोदय, जो प्रस्ताव हमारे कॉमरेड मुरलीधरजी ने रखा है उस प्रस्ताव का मैं समर्थन करने के लिए खडा हुआ हूं और मैं आप से कहना चाहता हूं कि हम सब कई बार महात्मा गांधी को दृष्टान्त देते हैं और खास करके हमारे कांग्रेस के जो हेबीचुअल खदर बीयरर हैं वे महात्मा गांधी के अनुयायी अपने आपको कहते हैं। १९२१ की मार्च में नागपुर में महात्मा गांधी ने कहा बड़े खुले शब्दों में कि किसी भी राज्य में एक भी आदमी भूखा रहे, एक भी आदमी बेकार रहे तो उस सरकार का बिल्कुल नाश कर देना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा कि हम अहिंसा के पुजारी हैं, कट्टर पुजारी हैं लेकिन इस बात के लिए हिंसा भी करते हैं तो कोई दोष नहीं है। यह महात्मा गांधी का कहना है। तो मैं कहना चाहता हूं महात्मा गांधी की हत्या की गोडसे ने, उनके शरीर की हत्या कर दी गोडसे ने लेकिन असली महात्मा गांधी की हत्या की है आज की कांग्रेस ने जो आज महात्मा गांधी की बात करती है और गांधी के सिद्धान्तों के खिलाफ कार्यवाही करती है। मैंने इस सदन में एक बार नहीं, इस सदन में दो बार कहा है और आज भी कहता हूँ किसी भी सरकार को समझने के पहले उस सरकार का क्लास करेक्टर क्या है यह जानना चाहिये। हमारे यहां की सरकार है, उसका क्लास करेक्टर मॉनोपोलिस्ट केपिटेलिस्ट है और बात करती है समाजवाद की। अर्नाकुलम कांग्रेस में हमारे जो स्टेटमेंट थे, हमारी ऑल इण्डिया कांग्रेस के खास करके कॉमरेड डांगे का स्टेटमेंट था उसमें उन्होंने कहा था कि करांची कांग्रेस में तय किया था पांच सौ से ज्यादा कोई तनख्वाह लेगा नहीं लेकिन कामरेड डांगे ने कहा कि आज हम टेली करें सारी स्थिति तो वह १९३० था और आज १९६२ है तो सारे डिटेल्स स्टडी करें और कॉस्ट ऑफ इन्डक्स को देखें जो दिन पर दिन बढ़ रहा है, कॉमरेड डांगे ने कहा कि सारी स्थिति पर विचार करके अगर इस पर भी विचार करें तो यह हो सकता है कि सरकार चाहे तो पांच सौ रुपया नहीं, एक हजार रुपया भी महीने का दे सब को यानि एक हजार से ऊपर तनख्वाह नहीं दे, सरकार ऊपर वालों की तनख्वाह कम करके एक हजार रुपया तनख्वाह दे दे। तो कम से कम

(श्री कुमारानन्द)

सौ रुपया और ऊपर ज्यादा से ज्यादा एक हजार तनख्वाह रखे। यह भी सरकार रखे तो मैं कह सकता हूं कि लोगों को अच्छी तरह से तनख्वाह दी जा सकती है हिसाब करके। माननीय सदस्य, जो अजमेर से आये हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि उनके राजनैतिक जीवन से भी काफी परिचय है! ये सदस्य वर्षों चिल्लाये हैं यह सरकार निकम्मी है, इसको खत्म कर देना चाहिए। यह सरकार निकम्मी है, यह सरकार रोजो रोटी नहीं दे सकती है। ये वर्षों चिल्लाये हैं! इसलिए मैं राजस्थान में कोई नया नया नहीं हूँ, हर एक कांग्रेसी की नस नस पहिचानता हूं। अब मैंनें यह देखा, जहां मैं ठहरता हूं गवर्नमेंट होस्टल में कि वहां पचास, पचास रुपया लोगों को तनख्वाह देते हैं और लोग वर्षों से काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट होस्टल में वार्डमैन हैं, जो पन्द्रह, बीस वर्षों से होंगे, गवर्नमेंट होस्टल में काम करते हैं। उन वार्ड मैन को पचास, पचपन रुपये तनख्वाह मिलती है। हम समाचारपत्रों में पढ़ते हैं कि अर्थाभाव से कितनी फेमिली, फेमिली का सारे परिवार ने मिल कर आत्म-हत्या करली। इस स्थिति में मैं जानता हूँ कि अगर मैं भी जाकर माननीय मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ जाऊंगा तो मैं इस हालत में नहीं चेंज कर सकता, ज्यादा तनख्वाह नहीं दे सकता। मैं साफ कहता हूं। लेकिन ऐसा किया जाय कि जितनी अच्छी अच्छी तनख्वाहवाले हैं उनकी तनख्वाह कम की जाय और ज्यादा से ज्यादा हजार रुपये की तनख्वाह रखी जाय, यह स्थिति आ जावे तो मैं कहता हूं कि आसानी से यह बात हल हो सकती है। और मैं कोई प्रोग्राम नहीं रखना चाहता। लेकिन यह बात सही है, कुछ लोग कहते हैं कि जब तक ऑल इण्डिया सरकार नहीं करती है तब तक राज्य सरकार कैसे कर सकती है? यह बहुत से लोग पूछते हैं। लेकिन राज्य सरकार भी इस दिशा में ऑल इंडिया सरकार को मूव कर सकती है। आज कॉमरेड मुरलीधरजी के प्रस्ताव को हम इस सदन में स्वीकार करते हैं........

एक माननीय सदस्य : कॉमरेड कब से हो गये?

श्री कुमारानन्द : इस प्रस्ताव पर आज से ही कार्यवाही शुरू हो जाय और राजस्थान सरकार ऑल इण्डिया सरकार को मूव करे कि राजस्थान सरकार की जनता की ओपिनियन है, राजस्थान की जनता यह चाहती है। अभी नैनीताल में जो ट्री पार्टाइट कॉन्फ्रेन्स हुई उसमें भी हर पार्टी ने मिल कर जिसमें मिल मालिक की पार्टी के लोग थे, जिसमें सरकार की पार्टी के लोग थे, जिसमें और उद्योगों की पार्टी के लोग थे, जितने राजनैतिक विचारधारा के लोग थे, उनमें यह तय हुआ कि कम से कम सौ रुपये तनख्वाह मिलनी चाहिये। यह ट्रीपार्टाइट कॉन्फ्रेन्स का फैसला है....

(समय-समाप्ति-सूचकघंटी)

इसलिये ज्यादा समय न लेते हुए....

श्री सभापति : दो मिनट में समाप्त कर दें। फिर राज्य सरकार की तरफ से जवाब होगा।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, टाइम बढ़ा दिया जाय तो अच्छा रहेगा।

श्री कुमारानन्द : मैं इस प्रकार के प्रस्ताव का, जो कॉमरेड मुरलीधरजी ने रखा है पूरा पूरा समर्थन करता हूँ।

श्री सभापति : अब सरकार की तरफ से उत्तर होगा।

(११.० म० पू०)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): चेयरमैन महोदय, जो संकल्प इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, मैं नहीं जानता कि जिस माननीय सदस्य ने यह संकल्प प्रस्तुत किया है उन्होंने इस पर जो असर हो इसके इम्पलीकेशन पर, उस पर गहराई से सभी पहलुओं पर विचार किया हो। सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज इसको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है :—

(१) एक तो यह कि कम से कम वेतन क्या हो,

(२) दूसरा यह कि ज्यादा से ज्यादा वेतन क्या हो ?

जहां तक कम से कम वेतन का सवाल है, यह उस प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर, वहां की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करने वाला प्रश्न है। जो इसमें मांग की गई है कि १००) वेतन हर व्यक्ति का कम से कम हो इसमें कोई मतभेद होने का प्रश्न नहीं है। मैं समझता हूं कि जो लोग इस तरफ बैठे हैं इनमें से भी किसी के दिल में यह भावना नहीं कि कम से कम यह १००) हर व्यक्ति को हम दे सकें या उससे भी ज्यादा संभव हो दिया जाना चाहिये। यह सब देने की शक्ति पर निर्भर है और यह देखना है कि हमारी आय कितनी है।

दूसरा मैं चेयरमैन महोदय, यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट इम्प्लॉइज का वेतन स्तर होगा उसका असर समाज के आम आर्थिक स्तर पर भी होगा। हम बिल्कुल अलग यह समझ कर चलें कि एक फोर्थ क्लास सरवेन्ट है और एक मजदूर दूसरी फैक्ट्री में काम करता है उनके वेतन के बीचमें कितना अन्तर हो। क्योंकि यह सारी की सारी स्थिति है यह भी हमेशा एक दूसरे पर असर डालती है और इसका असर स्वाभाविक तौर से होगा ही। आज राजस्थान में जो हमारे मिनिस्टीरियल क्लास फोर्थ सरवेन्ट का वेतन १९५२ में था वह पहले से ऊंचा हुआ है। आज से कुछ समय पहले क्लास फोर्थ सर्वेन्ट्स को ४५) रु० मंहगाई के साथ मिलते थे। इन पिछले दस वर्षों में उसको ४०) रु० मिलते थे। इन १० वर्षों में मंहगाई बढी है, यह सही है लेकिन उनका वेतन ४० से ५५) रु० तक पे मिनिमम किया गया है। लेकिन जहां मेग्जिममका सवाल है, १९५२ का जो मेग्जिमम है जो आई. ए. एस. का है उसको समझ कर चलें तो वह वहां का वहां है, बल्कि जो इनकम टैक्स का स्ट्रेक्चर बदला है गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का उससे मेग्जिमम पानेवालों में कमी होती है और मिनिमम में कुछ वृद्धि हुई है। दोनों के बीच का अन्तर है उसके अन्तर में और पहले के अन्तर में फर्क पड़ता जा रहा है, यह स्पष्ट है। दूसरा मैं यह भी निवेदन कर दूं कि दूसरी सर्विसेज जो मेग्जिमम पर है, हम आई. ए. एस. को ही ले लें। हम उनके मेग्जिमम को २,२५०) रु० मान कर चलते हैं। मगर उनको रीक्रूटमेंट के समय ४२०) रु० ही मिलते हैं। ३५०) रु० बेसिक पे और ७०) रु० डी. ए.- इस तरह से कुल मिला कर ४२०)रु० होते हैं।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

वह ग्रेजुअली, धीरे धीरे २,२५०) रू० पर पहुंच सकता है। इसलिये यह जरूरी नहीं कि वह २,२५०) रू० पर पहुंचे ही। दूसरी तरफ क्लास फोर्थ सरवेन्ट है वह ८०) रू० तक पहूंचता है। इसके अलावा हमने सलेक्शन ग्रेड मुकर्रर किया है उसमें और सुविधाएं उसको मिलती हैं।

दूसरा चेयरमैन महोदय, सर्विसेज के लिये हमने शिक्षा और मेडिकल और दूसरी जो भी फेसीलिटीज उनको मिल सके उनको पिछले १० वर्षों में बढ़ाने की कोशिश की है, जिससे उनको इनडाइरेक्टली रीलिफ मिल सके और उनकी जो डिफिकल्टीज हों वे दूर हों। अगर हम इस प्रस्ताव को पास करते हैं तो हमको यह मान कर चलना होगा कि हम यह फैसला करते हैं कि राजस्थान ऑल इन्डिया सर्विसेज में न रहे। क्योंकि जो अभी हम ऑल इन्डिया सर्विसेज में हैं तो हम यहां बैठ कर विधान सभा में इस बात का फैसला नहीं कर सकते कि आई. ए.-एस. को ३५०) रू० से १,८००) रू० तक वेतन या १,८५०)रू० से लेकर २,२५०) रू० तक है उसको घटा कर ५००) रू० तक कर दिया जावे। जब हम ऐसा करना चाहते हैं तो हमें यह फैसला करना होगा हम आई. ए. एस. या आई. पी. एस. को नहीं रखना चाहते और ऑल इन्डिया सर्विसेज के साथ नहीं रहना चाहते। मैं समझता हूं कि ज्यादा उपयुक्त यही होगा कि हम ऑल इन्डिया सर्विसेज में रहें। अगर हमें मेडिकल कॉलेज खोलना है, अगर हमें कोई इरिगेशन कॉलेज खोलना है तो उसमें टैक्निकल सर्विसेज की जरूरत होती हैं। उनके लिये हमें काफी एक्सपर्टों को लाना पड़ता है और उनकी आवश्यकता होती है और जब हम लोगों को लाते हैं और यह कहेंगे कि हम तो ५००) रू० से ज्यादा नहीं देना चाहते तो मैं समझता हूं कि लोग आवेंगे नहीं और राजस्थान में और दूसरी स्टेटों में जो सर्विसेज का स्टेन्डर्ड होगा उसमें बहुत जबर्दस्त अन्तर हो जावेगा और आज के दिन लोग प्राइवेट सेक्टर में चले जावेंगे। उनके प्राइवेट सेक्टर में जाने की संभावना है, ऑल इन्डिया में जाने की संभावना है। आखिर राजस्थान में क्या तय करना चाहिये ? यह जो संकल्प है यह व्यावहारिक संकल्प नहीं है। आज हम देखते हैं कि पहले केरल में सरकार कम्युनिस्टों की आई उसने भी ५००) रू० का फैसला नहीं किया और दूसरे लोग भी ५००) रू० का फैसला नहीं कर पाये। इसलिये हमें इस मसले पर गहराई के साथ सोचना चाहिये कि हमें क्या करना चाहिये। आज हम देखते हैं कि किसी सर्जरी या मेडिकल एक्सपर्ट या प्रोफेसर को लावें तो आज के कम्पिटिशन के युग में राजस्थान में जहां पर रेस्ट्रेक्शन आपने इम्पोज किया है क्या वह रहना पसन्द करेगा ? वह दूसरी जगह चला जावेगा। हमें यह चाहिये कि हम ऐसी स्थिति पैदा करें कि योग्य व्यक्तियों को ला सकें। लेकिन ऐसा करके हम ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि योग्य व्यक्तियों को नहीं ला सकेंगे। आखिर आप देखें २,२५०) रू० के ग्रेड की कल्पना आप कर सकते हैं। ठीक है, इस जगह पर ज्यादा से ज्यादा १० आदमी हो सकते हैं। इसमें अंतर करोड़ों या लाखों रुपयों का नहीं पड़ता है। यह इस लाइट में इन्टेन्सिव है। इससे क्या लाभ हो सकता है ?

माननीय चेयरमैन, मैंने जैसा आपको

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

निवेदन किया कि इस प्रश्न को हमें एक छोटे दायरे में नहीं सोचना चाहिये, वाइड दायरे में सोचना होगा। मैं समझता हूँ कि सर्विसेज में बैस्ट लोगों को ऑपोर्चुनिटी देने की बात आवेगी और वे इसके जरिये समाज की सेवा कर सकें, इसके लिये उनको मौका देना होगा। आज अगर एक आर. ए. एस. का व्यक्ति आता है तो उसको पहले कुल मिलाकर ३००)रु. के आसपास वेतन मिलता है और फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हम यह कहें कि लोअर ग्रेड कर दें। मैं समझता हूं कि वे दूसरे प्राइवेट सर्विसेज में चले जावेंगे अगर आप उनका ग्रेड कम कर देंगे।

दूसरी बात हम यह तय करें कि प्राइवेट सेक्टर न रहे और उनका भी मिनिमम और मैग्जिमम तय कर लें।....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : That will be a necessary corollary to that. That is why we want that...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप इसको नेसेसरी कोरोलरी समझते हैं पर मैं समझता हूं पहले वह अचीव हो जाय उसके बाद इसकी बात करें तब तो बात की जा सकती है। पर वहां वही सर्कम्स्टेन्सेज एग्जिस्ट करती हैं तो यहां इस प्रकार की बात करना स्टेट सर्विसेज को इन्फीरियर करना होगा। जो टैक्निशियन्स हैं, जो इस मामले में योग्यता रखने वाले हैं उनमें और साधारण से साधारण कर्मचारी में १ से ५ के डिफरेंस का कहा। मैं समझता हूं किसी साम्यवादी देश में यह नहीं है........

श्री रामकिशन (वैर) : मैंने डेन्मार्क, नॉर्वे और स्वीडन का कहा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं, मैं जनरल बात कह रहा हूं। इसलिये इस प्रश्न की भावना और भावावेश के आधार पर चर्चाएं करें और इस निर्णय पर पहुंचने की कोशिश करें कि यह घटा देना चाहिये, वह घटा देना चाहिये तो यह उचित नहीं। मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमारी आर्थिक स्थिति ज्यों ज्यों अच्छी होती जाय तो मिनिमम को बढ़ाते जायें। ऐसा हमने किया भी है। पहले ४० मिनिमम था उसको बढा कर ५५ मिनिमम लाये। इस तरह इसमें अन्तर लाने की कोशिश की जा रही है। सलेक्शन ग्रेड लाकर भी इसमें अन्तर लाने की कोशिश की है। तो ज्यों ज्यों मिनिमम बढता जायेगा यह अन्तर कम होता जायेगा।

सदन इन बातों पर विचार करेगा तो मैं समझता हूं यह प्रस्ताव स्वयं में अव्यवहार्य है, जो कार्य रुप में परिणत नहीं किया जा सकता और न यह राजस्थान के हित में ही होगा कि इस प्रकार के प्रस्ताव को यहां पारित करें और हमारी सर्विसेज में यह असर डालें कि योग्य व्यक्ति इसमें नहीं आयें।

माननीय चेयरमैन महोदय, बहस के दौरान में कहा गया कि हमारे यहां बड़े बड़े आदमियों के लड़कों को पढने का मौका मिलता है, गरीबों के लड़कों को पढने का मौका नहीं मिलता, दूसरे कॉलेजेज में और राजस्थान कॉलेज का खास तौर से जिक्र किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ५० प्रतिशत के आसपास लोगों को वहां स्कॉलरशिप दी

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जाती है, अगर वे क्वालिफिकेशन्स की मेरिट्स के आधार पर पूर्ति करें। उनमें कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके मातापिता इनकम टैक्स पे नहीं करते।

एक माननीय सदस्य : On a point of information Sir, क्या कोई चपरासी का लड़का है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : चपरासी का लड़का यदि वह योग्यता रखता है तो जरूर जा सकता है। यह क्राइटेरिया तो रख नहीं सकते कि अमुक का लड़का हो और अमुक का लड़का नहीं हो। अगर सेकिन्ड डिविजन है और दूसरी क्वालिफिकेशन्स हैं तो उसको एडमिशन मिलता है। तो वहां एडमिशन मेरिट्स के ऊपर है....

श्री उमरावसिंह ढ़ाबरिया (बनेड़ा) : कई फर्स्ट क्लास हैं उनको चान्स नहीं दिया जाता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एडमिशन मेरिट्स के आधार पर होता है। फिर तो आपका यह प्रश्न होगा कि मेरिट्स को नहीं इन इन चीजों को कन्सीडर किया जाय।....

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : ५०)रु. माहवार लेते हुए कैसे अपने लड़कों को योग्य बना सकते हैं ? आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो शिक्षा भी अच्छी दिला सकेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं ऐसे लड़के हैं जो इन्जीनियरिंग में पढ़ते हैं, राजस्थान कॉलेज में हैं या नहीं, इसका मुझे पूरा पता नहीं।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे यहां जो रिवाइज्ड पे स्केल लागू किये उससे कुछ लोगों को नुकसान हो गया है। मैं कहता हूं कि नुकसान किसी को भी हो नहीं सकता जो ऑलरेडी सर्विस में हैं। हां, यह हो सकता है कि मिनिमम में रिविजन हुआ है उसके कारण कोई नया आनेवाला है उसको मिनिमम कम मिल सकता है। पर किसी की आज तनख्वाह है उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं हो सकती, किसी को आज जो तनख्वाह मिलती है उसमें कमी आने का प्रश्न नहीं।

तो इस सम्बन्ध में ज्यादा समय सदन का न लेकर यही निवेदन करना चाहूँगा कि यह ऑल इंडिया का प्रश्न है, ऑल इन्डिया केलिबर के लोग हैं उनका प्रश्न है, इन सब बातों पर विचार करेंगे तो स्पष्ट हो जाता है कि ५००) रु० की मेग्जिमम तनख्वाह मुकर्रर करके इस प्रस्ताव को लागू करें तो यह अव्यवहार्य होगा। इसलिये जिस रूप में प्रस्ताव पेश किया गया है उसको सरकार स्वीकार नहीं कर सकती और न हम संशोधनों को स्वीकार कर सकते हैं।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : वन टू टेन के बारे में आपकी क्या राय है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस समय तो मैं जो प्रस्ताव है उसके सम्बन्ध में ही अपने विचार पेश कर सकता हूँ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : सीकर के एक चपरासी का लड़का राजस्थान कॉलेज से बी. ए. पास करके गया है।

श्री हरिराम चौहान : एक चपरासी के लड़के को देख कर बड़े खुश हो रहे हैं उधर वाले ।

श्री सभापति : श्री मुरलीधर व्यास ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सभापति महोदय, मुख्य मंत्री ने जो कुछ जवाब दिया है, व्यावहारिक पहलू रखा है, और व्यवहारिक दृष्टिकोण रखा है, हिन्दुस्तान व्यापी इस भेदभाव को कैसे मिटाया जा सकता है, यह बात रखी है। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय कर्मचारियों का वेतन बढा हुआ होते हुए भी केन्द्रीय सरकार उनके वेतन को बढ़ा रही है तो राजस्थान के कर्मचारियों के लिये भी यह सवाल है कि वे भी सरकारी कर्मचारी हैं, केन्द्रीय कर्मचारी अच्छा वेतन पाते हैं तो राजस्थान के कर्मचारियों का भी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समानान्तर वेतन करना आवश्यक है । इस आवश्यक पहलू को मुख्य मन्त्री ने यों ही उड़ा दिया, इसका कोई उत्तर नहीं दिया और दूसरी ही बातों का जवाब दे दिया। मुख्य मन्त्री ने कहा कि दूसरे व्यवसायों में काम करने वालों का वेतन बढ़ाना पड़ेगा, इस पर सोचना पड़ेगा। इस पर मैं भी, सर्वे होकर जो एक रिपोर्ट आई है उसके कुछ फैक्ट्स सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ। उस रिपोर्ट में लिखा है कि लक्ष्मी मिल को ७४ प्रतिशत लाभ हुआ है, टैल्की को ४५ परसेंट, अम्बिका को १५० परसेंट, अनिल को ६८ परसेंट और इन्श्योरेंस में १६७ परसेंट लाभ हुआ है। यह सैकड़ों बड़ी बड़ी फर्मों की लिस्ट है। इनका मुनाफा १६७ तक पहुंच गया है। १५० से सब जगह ज्यादा हुआ है। तो सरकार को चाहिये तो यह था कि बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज को भी बाध्य करती कि तुम्हारा मुनाफा ड्योढा हो गया है तो मजदूरों का वेतन भी बढ़ाओ। यह न करके उल्टे इस प्रकार की दलील देना कि दूसरी जगह चले जायेंगे, यह ठीक नहीं। इन बड़े बड़े पूंजीपतियों को ड्रेढ गुना और पौने दो गुना लाभ हुआ है। ऐसी दशा में आपका यह उत्तर समाजवाद के बिल्कुल विपरीत है।

दूसरे सम्माननीय सदस्यों ने कहा कि ५००)रु. बहुत कम हैं इससे ज्यादा होने चाहिये तो इसे मैं १. १० के रूप में मानने को तैयार हूं, कम से कम १००) और ज्यादा से ज्यादा १,०००) इसके लिये भी आप अपनी आर्थिक स्थिति को बीच में रख कर कह सकते हैं कि इतना नहीं कर सकते तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का वेतन राजस्थान सरकार के कर्मचारियों से ज्यादा है फिर भी उनके वेतन को केन्द्रीय सरकार बढ़ा रही है, बढ़ाया है। उनके वेतन को केन्द्रीय सरकार ने ज्यादा किया है तो राजस्थान सरकार को भी राजस्थान के कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाना चाहिये। इन सब बातों को रखते हुए मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी इस बात को स्वीकार करें। ऐसा कहना कि यह हो नहीं सकता, यह असम्भव है, अव्यावहार्य है, यह तो कोई नीति नहीं। पूंजीपतियों को छूट दें जो कि पौने दो गुना मुनाफा कमा रहे हैं। तो जो पचास करोड़ रुपया ज्यादा राज्य की आमदनी बढ़ी वह कहीं न कहीं तो जानी चाहिये। योजनानुसार यह नहीं होती है और जो बढ़ी हुई आय है वह पूंजीपतियों की जेब में चली जाती है। तो कुछ भी कहिये, नीति की दृष्टि से यह आप नहीं कर रहे हैं। यह पैसा गरीबों के पास नहीं जा रहा है, किन्तु

(श्री मुरलीधर व्यास)

पूंजीपतियों के पास जा रहा है। इसमें परिवर्तन करने के लिए राज्य सरकार ने जो साइन्टिफिक आंकड़े रखे हैं उनको हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। केवल, मैं यह कहूंगा, आप ऊपरी हवा देकर टालना चाहते हैं। कम से कम सौ और अधिक से अधिक हजार रुपया हो, इस प्रकार का जो मेरा संकल्प है उसको मैं प्रेस करता हूं और विथ्ड्रॉ नहीं करता हूं। हां, इसको मैं संशोधित रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। सरकार इस पर विचार करेगी। मैं इसको पेश करता हूँ और किसी हालत में वापिस नहीं लेना चाहता हूं।

श्री सभापति : Would any of the Members who have put up their amendments like to withdraw them ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : जो संशोधन रखे हैं उनको, प्रस्तावक महोदय ने मंजूर कर लिया है इसलिये उन्हें विथ्ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : I request my friend, the Honourable Member, to consider his decision.

श्री निरन्जननाथ आचार्य (राजसमन्द) : It does not debar the Honourable Member from withdrawing the amendment, which has been accepted by him.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री मुरलीधर व्यास ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : मुझे अपने संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री सभापति : मुझे क्षमा किया जाय। पहले अमेन्डमेन्ट्स होंगे।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री गोकुलप्रसादजी ने प्रस्तुत किये हैं उनको वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : अब प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री मुरलीधर व्यास ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : There is an amendment of Shri Umrao Singh also. That should also be...

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री उमरावसिंह ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(मतदान)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : इधर से आवाज ज्यादा थी।

श्री सभापति : प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री

(श्री सभापति)

मुरलीधरजी व्यास ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(मत–दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता, संकल्प गिर गया।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : 'हां' पक्ष जीता है।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : हम डिवीजन चाहते हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : संकल्प गिर गया है।

महारावल श्रीलक्ष्मणसिंह (आसपुर) : I once again want to draw attention of the Chair. There is a principle involved. The principle may be exceptional in many respects. But it is premature and I would request my Hon'ble Members not to press for a division.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : Yes, it is certainly a question of principle and, therefore, we want to see that everybody registers his voice in writing, so that posterity may see who were really fighting for certain revolutionary change in society and who wanted to cling to traditions.

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : The Hon'ble Members can be requested to please stand by their seats and votes can be counted.

श्री रामानन्द अग्रवाल : It should be in writing so that the names may be recorded.

श्री सभापति : जो माननीय सदस्य इस संकल्प के पक्ष हों वे कृपा कर अपने स्थान पर खड़े हो जायें।

(विरोधी पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों का अपने आसन पर खड़े होना)

(मत–विभाजन घंटी)

श्री मुरलीधर व्यास : पहले तो घंटी हुई ही नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : There should be counting. The bell should ring first.

(मत-विभाजन घंटी)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री मुरलीधर व्यास ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(मत–दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : हम डिविजन क्लेम करते हैं।

श्री सभापति : जो पक्ष में हों वे माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो जायें।

श्री मुरलीधर व्यास : डिविजन क्लेम करने का और संख्या दर्ज कराने का हमारा अधिकार है।

श्री सभापति : Order please! Order please!!

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : डिविजन दर्ज कराने का हमारा अपना अधिकार है।

श्री सभापति : Order please! I think it is unnecessary.

जो संकल्प के पक्ष में हों वे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जायें।

(विरोधी पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों का आसन पर खड़े हो जाना)

जो विपक्ष में हों वे भी कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जायं।

(सरकारी पक्ष के माननीय सदस्यों का अपने आसन पर खड़े हो जाना)

संकल्प गिर गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : Opposition is also be counted.

श्री सभापति : काउन्टिंग की जरूरत नहीं है।

Order! Order please!!

काउन्ट करने की आवश्यकता नहीं दिखाई देती है और संकल्प गिर चुका है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : जो विरोध में हैं उनका नम्बर आना चाहिए...,

श्री सभापति ; ऑर्डर! ऑर्डर!! संकल्प गिर गया।

(विराम)

श्री भैरोंसिंह।

वर्तमान अरबन इम्पूवमेंट ट्रस्ट भंग करने सम्बन्धी संकल्प

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन की सम्मति है कि वर्तमान अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, जयपुर को भंग किया जाय।

सभापति महोदय, जयपुर रियासत के समय जयपुर नगर के विकास के सम्बन्ध में एक योजना द्वारा विकास का काम सरकार अपने हाथ में लेना चाहती थी। उस समय तत्कालीन राज्य सरकार ने जयपुर में अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड के नाम से एक संस्था कायम की थी। जिस समय यह संस्था कायम हुई थी उस समय जयपुर के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर सर मिर्जा इस्माइल जो आज नहीं हैं लेकिन उनके समय में नगर के विकास को लेकर हिन्दुस्तान में वे एक मशहूर आदमी समझे जाते थे, उनके समय में जयपुर नगर का विकास किया गया। विकास सम्बन्धी योजनायें बना कर उनको लागू की और आज यह कहना चाहिये कि जयपुर को बसानेवाले महाराजा सवाई श्री जयसिंहजी के समय से लेकर सर मिर्जा इस्माइल के समय तक जयपुर का जिस प्रकार से विकास होना चाहिए वह एक योजनाबद्ध तरीके से विकास होता रहा है।

(श्री भैरोंसिंह)

लेकिन यह बदकिस्मती रही जब राजस्थान सरकार बनी और जयपुर नगर को राजस्थान की राजधानी बनने का गौरव प्राप्त हुआ उस समय से लेकर अब तक कुछ सड़कें बनायी गई, कुछ बड़े बड़े सरकारी भवन बनाये गये इनको लेकर यह कहा जाय और संतोष कर लिया जाय कि जयपुर नगर का विकास जिस गति से होना चाहिये उस गति से हुआ है तो मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि यह केवल मात्र भ्रम है।

सभापति महोदय, मैं आज दिन कह सकता हूं, सरकारी आंकड़ों के आधार पर यह साबित कर सकता हूँ कि नगर विकास मंडल द्वारा जिन लोगों का विकास होना चाहिये था, जिन क्षेत्रों का विकास होना चाहिए था उन क्षेत्रों के व्यक्तियों का और उन क्षेत्रों का विकास न होकर उन व्यक्तियों के विकास में वृद्धि की गई है जो स्वयं भली प्रकार से विकसित हैं। जयपुर अरबन इन्प्रूवमेंट बोर्ड को राज्य सरकार ने १९५९ में भंग करके इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट नाम से एक कानून बनाया। यह कानून बना उस समय से हमारी सरकार ने इस सदन में आश्वासन दिया था कि जयपुर रियासत का कानून होने के कारण नगर के विकास में हमारे सामने कई बाधायें उपस्थित हो रही हैं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए राजस्थान की दृष्टि से नगर विकास कानून लागू करना चाहते हैं और इस तरह से सन् १९५९ से वह कानून लागू किया गया। लेकिन जिस समय यह कानून लागू हुआ उस समय से लेकर अब तक जो विकास कार्य जयपुर नगर में हुए हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाय तो ऐसा लगता है हमारी सरकार का लक्ष्य चाहे कुछ भी हो नगर विकास ट्रस्ट दूसरी ओर ही जाने की चेष्टा कर रहा है। मैं आज वह सारी लिस्ट लाया हूं सदन के माननीय सदस्य उसको देख सकते हैं, माननीय मंत्री महोदय देखना चाहें तो उनको भी मैं बताने के लिए तैयार हूं वह सारी लिस्ट उन लोगों की है जिन लोगों को नगर विकास ट्रस्ट की ओर से अलॉटमेन्ट किया गया है। वह लिस्ट इस समय मेरे पास मौजूद है। जयपुर नगर में सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस समय लगभग २५ हजार फेमिलीज ऐसी हैं जिनका विकास किया जाना आवश्यक है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार २५ हजार एप्लीकेशन्स ऐसी हैं जिनको प्लॉट्स दिये जाने आवश्यक हैं। वैसी स्थिति में २५ हजार परिवार, २५ हजार एप्लीकेशन्स यह कोई एक दूसरे की नहीं हैं। इस तरह से जिन लोगों के परिवारों को विकसित कराना है उनकी लगभग संख्या ५० हजार होती है। उधर जो २५ हजार प्रार्थना-पत्र प्लॉट्स के लिए हैं यह जो सरकारी आंकड़े हैं वे मैं समझता हूँ वास्तविकता के विपरीत हैं। इस तरह से भी इससे ज्यादा लोगों को प्लॉट्स देने हैं। इसमें यह बात भी नहीं कि सभी लोगों ने प्लॉट्स के लिए दर्ख्वास्तें दी हों। यह बात नहीं। दर्ख्वास्तें नहीं देने वालों की भी संख्या ज्यादा हो सकती है। सरकारी आंकड़ों के आधार पर इस जयपुर नगर की जनसंख्या जहां ४ लाख मान कर चलते हैं वहां इस ४ लाख की जनसंख्या में से करीब एक लाख व्यक्ति ऐसे हैं जिनको आज बेघरबार कहा जा सकता है। ये ऐसे लोग हैं जो अपने

(श्री भैरोंसिंह)

रहने के लिए घर बनाना चाहते हैं । इस हालत में आप अन्दाज लगा सकते हैं जिस शहर की आबादी का एक-चौथाई हिस्सा यानि एक-चौथाई जनसंख्या बिना मकान के, बिना भूमि के अगर इस प्रकार से रहती है । इस कमी को हम किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं, यह सोचने की बात है । यह इस बात को जाहिर करती है कि यहां का विकास मंडल इस कमी को पूरा करने में असमर्थ रहा है, उसने इस संबंध में कोई उचित कार्य-वाही नहीं की है ।

१९५९ में ट्रस्ट एक्ट लागू होने के बाद उसके अन्तर्गत जो नियम बने उनमें आवश्यक है कि हम जयपुर नगर विकास के लिए एक मास्टर प्लान बनायें । दुर्भाग्य से कहना पड़ता है जयपुर नगर के लिए कोई मास्टर प्लान नहीं, नगर विकास मंडल को स्वयं को इस बात का ज्ञान नहीं कि हमारे पास कितनी भूमि है, कितने लोगों को प्लॉट्स देने हैं, कितनी जमीन को एक्वायर करके इस कमी को पूरा कर सकते हैं, किस किस क्षेत्र में प्लॉट अलॉट कर सकते हैं । माननीय मंत्री महोदय कह सकते हैं हमने एक नक्शा बना रखा है जिसको मास्टर प्लान की संज्ञा वे दे सकते हैं । लेकिन मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि यह प्लान एक चीफ इन्जीनियर का बनाया हुआ एक नक्शा है, मास्टर प्लान नहीं । इस पर पब्लिक की ओपीनियन नहीं है, शहर में रहनेवालों की किसी प्रकार की भी स्वीकृति नहीं है । यह मास्टर प्लान जैसा है इसको लेकर मास्टर प्लान का कोई फेज प्रोग्राम नहीं । अमुक क्षेत्र में अमुक प्रकार से हमें विकास करना है आदि बातों का समावेश इसमें नहीं है । मैं आज की स्थिति के अन्दर माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि सरकार इस पोजीशन में नहीं सरकार यह नहीं बता सकती कि उनके पास कुल कितनी भूमि है, उसमें कितने प्लॉट्स वे अलॉट कर सकते हैं । उसके बाद में जो आदमी बचते हैं उनको कहां और किस जगह अलॉटमेंट कर सकते हैं, किस विभाग को किधर जोड़ना है आबादी के लिहाज से ।

हमें जयपुर नगर के विकास की बातों पर विचार करना है । बदकिस्मती है कि एक तरफ तो हम समाजवाद की बात करते हैं लेकिन उसके लिए व्यवस्था नहीं करते । हालांकि मैं कांग्रेस के समाज वाद में विश्वास नहीं करता फिर भी मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हम प्लॉट्स के अलॉटमेंट के बारे में, क्षेत्र के विकास के बारे में किसी भी प्रकार से वर्ग भेद पैदा न होने दें । एक तरफ तो लेबर कॉलोनी बसाई जाती है, उन लोगों की कॉलोनी बसाई जाती है जिनकी इनकम कम है । अमीरों के लिए, ज्यादा आमदनी वालों के लिए, अफसरों के लिए, जो अच्छा वेतन स्तर पाते हैं उनके लिए अलग कॉलोनी बसाते हैं । इससे लोगों में आप जबरदस्त वर्ग भेद पैदा करते जा रहे हैं । इससे आज हर व्यक्ति चाहता है कि उसको 'सी' स्कीम में प्लॉट दिया जाय । जिस जिस प्रकार की एमेनिटीज बड़े बड़े बंगले-वालों के लिए उपलब्ध की जाती हैं वह एमेनिटी लेबर कॉलोनी, बेनीपार्क, घाट दरवाजा और जो कच्ची बस्तियां हैं उनको उपलब्ध नहीं हैं । आज देखा यहां तक गया है जहां ये छोटे लोग रहते हैं वहां तो पाइप लाइन भी छोटी है और आपको 'सी' स्कीम

(श्री भैरोंसिंह)

में पाइप लाइन भी बड़ी मिलेगी, बिजली की सहूलियत ,मिलेगी । वहां कॉलेज और एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स की सहूलियतें मिलेंगी । प्राइमरी स्कूलें मिलेंगी । जितनी हैल्थ की फेसिलिटी हो सकती हैं वे सभी मिलेंगी । गवर्नमेंट के ऑफिसेज की फेसीलिटीज मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा और बाकी के क्षेत्रों में ऐसा समझ कर चला जा रहा है कि वहां तो केवल विकास के नाम पर मकान बनाने हैं, बाकी की सहूलियतों की चिन्ता नहीं । स्कूल खुलें या न खुलें, कॉलेज हों या न हों, प्राइमरी स्कूलें बनें या न बनें, हैल्थ की सारी व्यवस्था हो सके या न हो सके, रीक्रिएशन की व्यवस्था करें या न करें, बाग-बगीचों की व्यवस्था करें या न करें; इसकी चिन्ता नहीं । आप इनमें से किसी को वहां के क्षेत्रों के लिये जरूरी नहीं मानते ।

मैं पूछना चाहूंगा कि आप जब यह कहते हैं कि बस्तियां बसानी हैं और उनमें स्कूल, अस्पताल, बच्चों के खेल की सुविधा और ऐसी अन्य फेसीलिटीज़ जो बहुत आवश्यक हैं वे भी देनी हैं तो कहां कहां, किस किस बस्ती में आपने ये फेसीलिटीज दी हैं ? मैं कहता हूं आप विपरीत आचारण कर रहे हैं । आप कुछ बस्तियों में ये फेसीलिटीज़ दे रहे हैं और कुछ में नहीं । आप इस तरह से एक वर्ग भेद पैदा कर रहे हैं । आप बस्तियां भी वर्ग के आधार पर बना रहे हैं । कम आमदनी वाले, ज्यादा आमदनी वाले, मजदूर, चपरासी इनकी अलग, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की अलग, बड़े पैसेवालों की अलग, कम आमदनी वालों की अलग, इस तरह की बस्तियां आपने बसाई हैं । आज के दिन आप शायद ऐसा समझते होंगे कि कॉमन प्रोग्राम वाले लोग एक जगह रहें, उच्च वर्ग के लोग एक जगह रहें और निम्न वर्ग के दूसरी जगह, उच्च वर्ग वालों को सभी फेसिलिटीज़ मिलती रहें, निम्न वर्ग वाले रोते रहें, उच्च सरकारी अधिकारी अलग ऊंचे महलों में रहें, निम्न क्लर्क लोग अलग रहें । आप ऐसा करके वर्ग भेद के बीज़ बो रहे हैं और मैं बता दूं आपको एक दिन ऐसा आ सकता है जब कि लेबर कॉलोनी के लोग यह महसूस करें कि 'सी' स्कीम में ज्यादा फेसीलिटीज दी जाती हैं और हम चूंकि कम वेतन पाने वाले हैं, कम आमदनीवाले हैं इसलिये कोई फेसीलिटी नहीं दी जाती तो यह वर्ग भेद उस स्थिति में इतना भयंकर हो जावेगा एक दिन कि यह नौबत आ सकती है है कि एक बस्ती दूसरी बस्ती के खिलाफ कुछ कार्यवाही करने को तैयार हो जावे । तो आज आप जिस वर्ग भेद का निर्माण करने जा रहे हैं उसे रोकिये । इस तरह से बस्तियों का निर्माण आपको नहीं करना चाहिये । जिनकी आय अल्प है उनकी हालत और भी खराब है, जिनकी तनख्वाह २५०) रु० माहवार से कम है उनको किसी प्रकार का लोन नहीं दिया जाता । मैं कहना चाहूंगा कि आपका समाजवाद का नक्शा क्या यही है कि जितने गजेटेड अफसर हैं, अच्छी तनख्वाह पाने वाले हैं, अच्छी आमदनी वाले लोग हैं उनको ही लोन दिया जाय, कम वेतन वालों को, कम आमदनी वालों को नहीं दिया जाय ? आप मुझे बताइये गरीबों को, कम वेतन पानेवालों को, कम आमदनी वालों को आपके द्वारा कितना लोन दिया गया है आज दिन तक ? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिनकी आय

(श्री भैरोंसिंह)

२५०) रु० से कम है उनको आपने जितना लोन दिया उसका एक परसेन्ट भी उनको लोन नहीं दिया; बल्कि रूल्स आपने ऐसे बना रखे हैं कि जिनके आधार पर लोन मिलना इन लोगों को एक प्रकार से असम्भव सा ही है ।

आज गवर्नमेन्ट इस बात को ले कि जिनकी आमदनी ज्यादा है उनको लोन कतई नहीं दे । कच्ची बस्तियों में रहनेवालों को, कम आमदनीवालों को, २५०) रु० से कम पानेवालों को दे । पर आज तो बदकिस्मती यह है कि कच्ची बस्तियों में रहनेवालों को, इन कम वेतन पानेवालों को लोन नहीं मिलता ।

इस सदन में हमारे मुख्य मंत्री ने, स्वायत्त शासन मन्त्री ने कहा कि कच्ची बस्तीवालों को प्लॉट के बारे में प्राथमिकता दी जावेगी । मैं उनकी इस बात की सराहना करता हूं । पर अगर प्राथमिकता भी दे दें तो भी आपकी प्लानिंग के अनुसार वे एक मकान भी वहां नहीं बना सकते । उसे अपना कच्चा मकान डिमोलिश करना पड़ेगा और दूसरी जगह जाकर आबाद होना पड़ेगा । आप यह समझते हैं क्या कि जिनकी आय २५०) रु० से कम है वे अपना कच्चा झोंपड़ा डिमोलिश करके बिना सरकारी सहायता के आपकी प्लान के अनुसार बस्तियों में मकान बना लें ? वे मकान नहीं बना सकते । नजराने के आपके चार्जेज़ ही पहले तो ऐसे इतने अधिक होते हैं कि वही नहीं चुका सकता वह, फिर लीज के चार्जेज़ भी आपके कम नहीं हैं । डवेलपमेंट के नाम पर कॉस्ट बढ़ा दी जाती है । फिर मकान बनाने में कुछ पैसा तो लगता ही है । ऐसी स्थिति में आप उम्मीद करते हैं क्या कि वे अपना मकान बना लें ?

इसके साथ ही यह भी निवेदन करूं कि सरकार को इस बारे में सिम्पेटिक व्यू रखना चाहिये कच्ची बस्तीवालों के प्लॉट्स के बारे में राइट की व्यवस्था आपने की है पर यह कम्पलीकेटेड है । जमीन खेत की १५ अक्टूबर, १९५५ के दिन तक जिसके अधिकार में थी, चाहे उसका उस पर चार दिन पहले का ही कब्जा हो उसको आपने खातेदारी राइट दे दिये । एक पैसा उससे वसूल नहीं किया । मैं उसी सरकार से पूछता हूं कि १५ अक्टूबर, १९५५ को जो लोग इन कच्ची बस्तियों में काबिज थे और यही नहीं तीस-तीस, चालीस–चालीस और पचास–पचास वर्षों से रहते आये हैं क्या अधिकार है सरकार को कि उनसे किसी प्रकार का पैसा वसूल किया जाय ? सरकार को क्या अधिकार है कि उनसे कीमत वसूल करे इस जमीन की ? पर उनसे सरकार कीमत वसूल करना चाहती है केवल इसलिये कि उनके सामने इकॉनोमिक हार्डशिप क्रीएट कर दे और इस हार्डशिप के मारे वे वहां आबाद होने में असमर्थ रहेंगे तो इससे बड़े बड़े लोग जिनके बल पर आज आपकी सरकार चल रही है, उन प्लॉट्स को खरीद कर अपने मकान बना लेंगे । सरकार शायद यही चाहती है । उसकी अन्दरूनी मंशा यही है ।

मैं कहना चाहूंगा कि आप कुछ बस्तियों को बसाना चाहते हैं तो आपको उनसे रेन्ट लेने का अधिकार नहीं है, आप उनसे जमीन

(श्री भैरोंसिंह)

का पैसा मत लीजिये । आप यदि चाहते हैं कि उनसे डवेलपमेन्ट के नाम पर पैसा लें तो जो इस डवेलपमेन्ट की आप व्यवस्था करेंगे उसमें जो खर्चा आवेगा गरीब उसका एवजाना नहीं दे सकता । आप डवेलपमेन्ट के नाम पर एक जमीन के टुकड़े की आठ सौ या पांच सौ की कीमत लेना चाहते हैं और उधर उसके सामने अपने पेट का, अपने बीबी-बच्चों की भूख का सवाल शाम को पैदा होता है । उसको अपने बाल-बच्चों की और खुद के पेट की भूख की ज्वाला को शान्त करने के लिये पर्याप्त आय नहीं होती और इधर आप उससे जमीन का पैसा मांगते हैं । वह आपका पैसा जमा नहीं करा सकता, भूख की समस्या को उसे पहले हल करना होगा और ऐसी स्थिति में यह होगा कि उसका उस जमीन पर पजेशन नहीं हो सकता और पजेशन नहीं होगा तो उसे उस जमीन से हटना होगा और हटना होगा तो उसे दस मील दूर जाकर चार-चार रुपयों में सिरकियां खरीद कर उनके नीचे सिर छिपा कर बैठना होगा । सर्दी हो चाहे बरसात हो, चाहे चिलचिलाती धूप हो उसको सब सहन करना होगा । वे सब आपको बद दुआएं देंगे । आप बड़े बंगले वालों की तरफ ही ध्यान मत रखिये, कच्ची बस्तियों-वालों की परिस्थितियों को नजर में रख कर उधर भी नजर उठा कर देखिये ।

मैं यह भी कहूंगा आपने कच्ची बस्तियों के सम्बन्ध में कहा है, उनको बसाने की योजना बनाई है । जो भी कुछ योजना आपने बनाई हो वह पिछले दस वर्षों से चली आ रही है । विधान सभा की प्रोसीडिंग्स इसकी गवाही दे रही हैं । दस वर्षों से हसनपुरा में प्लॉट अलॉट करने की बात चल रही है, पर आज तक वहां ऐसे ही पड़ा है । सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि यह सरकार उनकी आर्थिक संकट की स्थिति को महसूस नहीं करती और इस कारण मुश्किल यह आ रही है कि न वहां कोई प्लॉट खरीदता है न मकान बनता है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इधर तो गरीबों का यह हाल है । दूसरी तरफ देखें । मैंने सदन में पिछली बार भी कहा था कि गये दिनों में एक कानून लागू हो गया और उसके अन्तर्गत अलॉटमेन्ट के रूल लागू नहीं किये गये । उस समय सरकार के हाथ में अलॉटमेन्ट आ गया । सरकार ने १३८ अलॉटमेन्ट किये । सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के नाम पर प्लॉट दिये गये, खादी में काम करने वालों के नाम पर दिये गये । मैं स्वायत्त शासन मंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि आपने कल जैसे ड्रास्टिक स्टेप लिया और यू. आई. बी. के चेयरमैन से कहा कि आप इस्तीफा दे दें........

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलत-राम सारण) : नहीं लिया ।

श्री भैरोंसिंह : आप इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दें ।

तो वैसी हालत में मैं यह कहना चाहूँगा कि जैसा आपने कल ड्रास्टिक स्टेप लिया उसी प्रकार का जिन्होंने इस तरह से प्लॉट अलॉट किये हैं उनके साथ लें । मैं जानकारी के लिये बताऊं, सभापति महोदय, आपके द्वारा, इन १३८ प्लॉट्स में से एक ही परिवार के ११-११ व्यक्तियों को अलॉटमेन्ट दिये हैं । मैं उन

(श्री भैरोंसिंह)

१३८ ही व्यक्तियों की लिस्ट आपके सामने पेश करता हूं और यह वही लिस्ट है जिसे आपने प्रस्तुत किया है। आप इस लिस्ट में से बता दीजिये कि इनमें से किन किन के पक्के मकान नहीं हैं ? आप इसमें से यह भी बता दीजिए कि इनमें से किनकी ढाई सौ रुपए मासिक से कम आमदनी है ? इनमें से सात व्यक्तियों को छोड़ कर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जयपुर में या बाहर कोई पक्का मकान नहीं है और ११ व्यक्तियों को छोड़-कर कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी २५०) रू. से कम आमदनी हो। आपने नियम बनाया है कि जिनकी ढाई सौ से कम आमदनी है उनको सरकारी कन्सेशनल रेट पर अलॉटमेन्ट किया जावेगा; पर जो इनकम टैक्स पे करते हैं उनको नीलाम से अलॉटमेन्ट दिया जावेगा और जो इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं उनको सरकार की कन्सेशनल कीमत पर दिया जावेगा। सरकार के नियमों के अनुसार इन १३८ अलॉट-मेन्ट्स में सारे के सारे इस लायक हैं कि उनको इन जमीनों से हटवाया जावे, उनसे ये जमीनें छुड़वाई जावें। अगर सरकार अपने नियमों की कुछ भी कदर करती है तो इस बात की कतई चिन्ता नहीं की जावे कि वे व्यक्ति कौन हैं। चाहे वे खादी संघ के अध्यक्ष हों, चाहे कोई भी हों, चाहे खादीघर चलाते हों, चाहे चौमूं के खादी संघ के मालिक हों। इन्होंने सब ने सरकार के कानून को तोड़ा है। गैर कानूनी ढंग से उन जमीनों पर जो गरीबों को, कम आयवालों को, ढाई सौ से कम इनकमवालों को मिलनी चाहिये थी उन गरीबों की जमीनों पर इन्होंने गैर कानूनी ढंग से अधिकार किया है। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि अगर आपको इस मामले में किसी गवाही की जरूरत है, अगर आपको इनके इनकम टैक्स के आंकड़े देखने हैं तो वे तैयार हैं, आप देख सकते हैं। फिर आपको अब क्या चाहिये ? आप क्यों नहीं ड्रास्टिक एक्शन लेने की बात करते ? फिर एक बात और है आपने इनको सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम पर प्लॉट दिये हैं और इस नाते उन्होंने डबल गुनाह किया है। ढाई सौ रुपये से अधिक की तनख्वाह होते हुए और इनकम टैक्स पे करते हुए उन्होंने ये अलॉटमेंट कराये हैं अपने नाम, सामाजिक कार्यकर्ताओं को आड में। आप कह सकते हैं कि सामाजिक कार्य-कर्ताओं को कन्सेशनल रेट पर दिया जा सकता है, पर मैं पूछता हूं आप से कि आपके नियमों में यह कहां लिखा है कि सामाजिक कार्य-कर्ताओं को कन्सेशनल रेट पर देंगे ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : नाम क्या है, नाम तो बता दीजिये उनका ?

श्री भैरोंसिंह : वे रामेश्वरजी अग्रवाल हैं। इनके ग्यारह परिवार के व्यक्तियों के नाम पर काका, चाचा, ताऊ, बेटी उन सब के इसमें नाम हैं। मेरा समय जाया होगा, मैं एक एक के नाम आपको गिना सकता हूं और एक एक की विगत बता सकता हूँ। उन सब पर मैंने इस लिस्ट में नोट लगा रखे हैं। कौन कौन हैं वे, किस-किस जगह उनके मकान हैं, किन किन की तनख्वाह कितनी कितनी है, सारा स्टेटमेन्ट मैंने बना रखा है। आप उसे देखना चाहें तो दिखा सकता हूं।

ऐसी हालत में, सभापति महोदय, सवाल यहीं समाप्त नहीं हो जाता है, केवल इतना ही मामला नहीं है। हमारी सरकार ने बताया

(श्री भैरोंसिंह)

है कि उसने १,२०० प्लॉट अलॉट किये हैं। मैं सरकार से पूछता हूं कि आप पहले मुझे यह बता दें कि आपने अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के जिनको मेम्बर बनाया है उनकी चार पीढियों में भी कोई व्यक्ति ऐसा बचा हुआ है क्या कि जिसको प्लॉट नहीं मिला ? चार पीढ़ियों से मतलब, बहिन का रिश्तेदार, ससुराल का रिश्तेदार, बच्चे की ससुराल, ससुराल का रिश्तेदार। आप इनमें से कोई भी ऐसा मेम्बर मुझे बता दीजिए जिसने अपने परिवार का और अपने चार पीढ़ियों के रिश्तेदारों का पोषण नहीं कराया। इस ट्रस्ट के चेयरमैन और मेम्बर सब ही को देख लीजिये। सबसे पहले उन्होंने यह किया है अपने रिश्तेदारों को प्लॉट देने का काम। मैं मिसाल दूं। आदर्श-नगर में एक मेम्बर का प्लॉट था। उसको अपने लड़के के नाम करवा दिया। खुद ने दूसरा ले लिया। क्योंकि इस समय तो इसमें चांदी है। यह तो एक दुकानदारी हो गई। जिस किसी प्रकार का प्लॉट चाहिये ले लें किसी प्रकार कब्जा करें, चाहे जो करें, कोई देखने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, यह मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं........

श्री दौलतराम सारण : मेम्बर का नाम तो बता दें ?

श्री भैरोंसिंह : वह मेम्बर यहां मौजूद नहीं है इसलिए बताना ठीक नहीं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेम्बर का नाम बता दें, कोई हर्ज नहीं।

श्री भैरोंसिंह : श्री तीरूमलजी। वह ट्रस्ट के भी मेम्बर हैं। आप नाम पूछना चाहते थे वह मैंने बता दिया। आप और पूछते जाइये मैं बताता जाऊंगा....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : और कांग्रेस पार्टी के भी मेम्बर हैं।

श्री भैरोंसिंह : मेम्बर होना ही तो डिसक्वालीफिकेशन है। जो कांग्रेस पार्टी का मेम्बर होता है वह गड़बड़ी किये बिना नहीं रहता। तो सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमने कानून में व्यवस्था की है और व्यवस्था का मतलब यह है कि जिस आदमी को नज़राने की जमीन दी जाये वह पहले उसका नज़राना जमा कराये और नज़राना जमा कराने बाद में उस जमीन के ऊपर अपना पजेशन ले और अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट भी उसी समय उसको लैटर ऑफ अलॉटमेन्ट इश्यू करता है। लेकिन सभापति महोदय, यहां तो बदकिस्मती ऐसी है कि अगर कोई गरीब आदमी नज़राने का पैसा जमा नहीं कराता तो उसको लैटर ऑफ अलॉटमेंट इश्यू नहीं होता, पर यदि सरकारी अधिकारी और बाकी के ऐसे लोग जो पैसा जमा नहीं कराते उनको अलॉटमेंट का लैटर इश्यू किया जाता है। मैं सरकार के लिए ऐसे डिफॉल्टर्स की जिनमें राजस्थान के सचिवालय के सचिव, राजस्थान के हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट्स, राजस्थान के बड़े बड़े अधिकारी, राजस्थान के बड़े बड़े व्यवसायी और राजस्थान के कई ऐसे लोग हैं जो डिफॉल्टर्स की श्रेणी में आते हैं, मैं आपको बताता हूं कि जिन लोगों ने रकम नहीं चुकाई उसमें उन लोगों

(श्री भैरोंसिंह)

का नम्बर १२ आता है। फतहटीबा कॉलोनी में ८ आते हैं और अरबन असेसमेन्ट की रकम नहीं चुकाई 'सी' स्कीम में १३२, बेनी पार्क में नज़राना नहीं चुकाया जो कि कानून की दृष्टि में ६२ हैं, गांधीनगर में ४१, आदर्शनगर में १०३, मोती डूंगरी स्कीम में ६२ और मिसलेनियस हैं ३८। हरिजन कॉलोनी में ६०, हरिजन कॉलोनी फतह टीबा में १८ और इस तरह से कुल मिला कर डिफॉल्टर्स की संख्या लगभग ६००–७०० पर आती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपने १,२०० प्लॉट्स देने तय किये और उसमें से ७०० के करीब डिफॉल्टर्स हैं और वह तो अभी तक पेमेन्ट के मामले में हैं अगर इसके बारे में जांच की जाये कि उनके मकान जयपुर शहर में कितने हैं, उदयपुर में कितने हैं, जोधपुर में कितने हैं और बाद में उनको देखा जाये तो यह नम्बर १,२०० में से १००० पहुंच जायेगा। मंत्री महोदय, मेरे साथ चलें और लिस्ट ले लें। मैं उनको एक एक मकान के ऊपर जाकर बताता हूँ कि कई सरकारी अधिकारियों ने प्लॉट्स बेच दिये हैं और दूसरी जगह उन्होंने अपने प्लॉट्स बनाने की व्यवस्था कर ली है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि यह मसला ऐसा है कि जिसकी जुडीशियल इन्क्वायरी होनी चाहिये और यदि जुडीशियल इन्क्वायरी वह नहीं कराना चाहते हैं तो मंत्रीजी जिसको चाहें अपनी विधान सभा के किसी भी सदस्य को नियुक्त कर दें। मैं उनके साथ चलता हूं, किसी सरकारी अधिकारी को नियुक्त कर दें, मैं उनको चल कर बताता हूँ। कांकरोली से आनेवाले माननीय सदस्य इस समय हां कर रहे हैं कि मैं जांच करूंगा....

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : आप बड़ी अन्तर्दृष्टि रखते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो बाह्यदृष्टि देख कर कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि यह मुझ से बहुत ज्यादा विरोध करते हैं और मैं उनके विरोध करने पर भी इतनी हिम्मत रखता हूँ कि सही तथ्यों के आधार पर मैं उनको मजबूर करूंगा कि वह रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत करें जिस रिपोर्ट में जो बातें हैं वे साबित हो जायें....

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपकी मजबूरी का प्रश्न मैं खूब जानता हूं।

श्री भैरोंसिंह : इसके बाद सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह जो मैंने डिफॉल्टर्स की पोज़ीशन बताई है उसी प्रकार से आज इसके ऊपर रकम ड्यू होनी चाहिये, आज अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में ड्यूज़ की बात नहीं आती है। इर्रिगेशन डिपार्टमेन्ट नहीं है, इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट नहीं है और वाटर वर्क्स का बोर्ड नहीं है जिसमें ड्यूज़ का प्रश्न हो सकता है; लेकिन आज अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट में १६५५ के अन्दर लगभग ४ लाख, १५ हजार के करीब ड्यूज़ थे, १६५५-५६ में ६५ हजार, ५६–५७ के अन्दर ८४ हजार, ५७–५८ में १ लाख के करीब, ५८–५६ में १ लाख, २१ हजार और ५६-६० में ६२ हजार की रकम बकाया है। कौनसी रेवेन्यू से आपको वसूली करनी है, लेकिन आज कर नहीं पाते हैं और कर इसलिए

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं पाते हैं कि जिन लोगों में बकाया है वे या तो रिश्तेदार हैं या मित्र हैं और मित्र होने के नाते हम किसी प्रकार की सख्ती नहीं कर सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि डिफॉल्टर्स के साथ रियायत करना और जिन लोगों के अलॉटमेंट राइट्स नहीं हो सकते थे उनको प्लॉट्स अलॉटमेंट करना सब अच्छी बातें नहीं हैं। मेरे पास एक लिस्ट ऐसी है कि जिसको बता सकता हूं कि जिन लोगों को ४–४ वर्ष हो गए प्लॉट्स अलॉट हुए लेकिन उन्होंने मकान नहीं बनाये। ऐसे प्लॉट्स की संख्या १२ है। आज अगर गरीब आदमी मकान नहीं बनाये तो आपका नोटिस उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन १२ प्लॉट्स आज दीखते हैं; सारी दुनिया को दीखते हैं कई वर्षों से ये प्लॉट्स बिना बने हुए पड़े हैं और वह भी जिन लोगों से आपने कन्डीशन्स लिखाई थी कि हम ६ महीने के अन्दर काम करना चालू करा देंगे। उनके खिलाफ एक्शन इसलिए नहीं ले सकते कि जो आदमी सारे के सारे एक्शन लेनेवाले हैं वह स्वयं डिफॉल्टर्स हैं और जब स्वयं काम करने वाले ही डिफॉल्टर्स हों तो वह किसी के खिलाफ एक्शन लें, सम्भव नहीं है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि मंत्री महोदय जानते होंगे कि हमारे यहां योजनाबद्ध चालाकियां की जाती हैं। वह क्या होती है कि जयपुर के अन्दर कई जागीरदार, कई गरीबों की बस्तियां, कई ऐसे छोटे छोटे स्थान जो सरकार के नहीं हैं वह दूसरे लोगों की बस्तियों में हैं हमारी सरकार लैण्ड एक्विजिशन के आधीन उनको नोटिस देती है और उन पर प्रभाव डालती है कि या तो हमारे सामने सरेण्डर करो नहीं तो हम लैण्ड एक्वायर करेंगे। सरेण्डर कराने का तरीका यह है कि कुछ अधिकारी और ट्रस्ट के मेम्बर्स मिल कर उनके अन्दर प्लॉट्स लेते हैं। उसके बाद में जो लैण्ड एक्विजिशन का नोटिस आता है वह विथ्ड्रॉ कर लेते हैं। मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ कि आपके जितने भी नोटिस लैण्ड एक्विजिशन एक्ट के तहत जाते हैं विथ्ड्रॉ होते हैं। चाहे वह डिग्गी हाउस हो, चाहे कानोता हाउस हो. चाहे राम बाबू का अहाता हो, चाहे लालजी की कोठी हो, चाहे सीवाड़वालों की जमीन हो, चाहे दूदू का बाग हो, किसी के बारे में भी आप देख लें जहां भी लैंड एक्विजिशन के तहत नोटिस दिया है वह विथ्ड्रॉ किया है। तो वह इसलिए विथ्ड्रॉ नहीं किया है कि गवर्नमेन्ट उसको लेना चाहती थी, बल्कि इसलिये कि वहां पर मेम्बर्स ने अपने प्लॉट्स लिए हैं। मैं डिग्गी कंवर साहब की बात को मानने वाला हूं कि उन्होंने अपनी जमीन पर उन्हीं को बसाया कि जो भी मकान बनायेंगे वह हारेंगे। क्या टीकारामजी पालीवाल हों, जयनारायणजी व्यास हों, रामकिशोरजी व्यास हों, या दामोदरलालजी हों। उन्होंने इनको प्लॉट्स दिये और वह विधान सभा में आने से रह गए। उस जमीन में इतनी ताकत जरूर है कि जो भी गलतियां करे उसको उसी स्थान पर दण्ड दे दे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि वह तरीका सही नहीं है। कानोता हाउस में जमीन ले ली जिनके नाम पर ऑलरेडी प्लॉट्स थे उन्होंने भी उस जमीन पर प्लॉट्स ले लिए। आप एक्शन लेना चाहें तो यह भी जांच कर लें कि जो नोटिस लैण्ड एक्विजिशन एक्ट के

(श्री भैरोंसिंह)

तहत दिया गया था उसमें ऐसे कितने मेम्बर्स शरीक थे ।

(१२.० मध्यान्ह)

जिस स्कीम के अनुसार प्लॉट्स का डिस्ट्रिब्यूशन होना चाहिये था वह मिला है या नहीं । लैण्ड एक्विजिशन का नोटिस केवल उसी समय दिया जाता है जिस समय हमारी सरकार के सामने या हमारे अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के सामने एक प्री-पेयर्ड प्लान हो कि हम इस प्रकार से इन बस्तियों का, इन क्षेत्रों का विकास करना चाहते हैं । लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि बिना प्लान के अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जमीन को एक्वायर करना चाहता है । एल० ई० ओ० उसका नोटिस देता है और जो जमीनों के मालिक हैं वह सरकार के लोगों के पास आकर उनको घूंस देते हैं और ४–५ प्लॉट् के ऊपर अपना अधिकार करते हैं और फिर प्लॉट मिलते ही सरकार को मूव कर देते हैं कि इस जमीन की सार्वजनिक उपयोग के लिए आवश्यकता नहीं है इसलिये इस नोटिस को वापिस ले लिया जाये । मैं कहता हूँ कि यदि आप इसकी जांच करायें तो मैं भी आपको आंकड़े दूंगा और आप भी इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करें कि इस प्रकार से नोटिसेज़ देने की और उनको विथ्ड्रॉ करने की क्या आवश्यकता है ।

मैं सभापति महोदय, ज्यादा समय न लेकर इतना और कहना चाहूँगा कि मैंने जो रेज्योल्यूशन मूव किया है उसके दो पार्ट हैं, एक तो यह कि जितने भी अलॉटमेन्ट हुए हैं उनमें जितनी भी गड़बड़ियां हुई हैं और दूसरे जो अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को जो काम करने चाहिए थे और वह नहीं किये उन दोनों बातों को लेकर मैं ऐसा समझता हूँ कि वर्तमान अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट से जयपुर नगर का विकास नहीं हो सका है । अब तो बदकिस्मती यह होगी कि जो वर्तमान चेयरमैन हैं उनका अपोइन्टमेंट अनकॉन्स्टीट्यूशनल है । हमारी सरकार ने इसको स्वीकार किया है और आज बदकिस्मती ऐसी है कि हमारी सरकार जो कहती है कि हम कॉन्स्टीट्यूशन के आधार पर चलते हैं, यदि विरोधी दल कोई गलतियां बताये तो हम उसको स्वीकार करते हैं, मैं चुनौती देकर कहता हूँ कि जिस चीज को आपने अनकॉन्स्टीट्यूशनल माना है उसके अनुसार आचरण करके आप चेयरमैन को हटाना चाहते हैं । आज विधान सभा इस बात की साक्षी देगी कि जो भी सरकार कहती है कि हम किसी अनकॉन्स्टीट्यूशनल एक्शन को प्रोटेक्शन नहीं देते इस प्रस्ताव पर मेरे विरोध में वोट दिये गये तो इसका मतलब यह होगा कि हमारी सरकार जिद् के नाम पर अपनी अनकॉन्स्टीट्यूशनल कार्यवाही को भी प्रोटेक्शन देने के लिए विरोधी दल का जो प्रस्ताव है उसको गिराने की चेष्टा करती है ।

मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके द्वारा यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अब अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट केवल कांग्रेस का नहीं है । मैं यह भी कहना चाहूँगा कि अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड में अब तक कांग्रेस के लोगों को नोमीनेट करते थे और अगर जनरल इलेक्शन्स को पब्लिक विशेज का इन्डीकेशन मान कर चलते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस के लोगों की जयपुर नगर में किस प्रकार की क्या हालत रही है । उस हालत में पीपल्स रिप्रेजेन्टेशन के नाते अरबन

(श्री भैरोंसिंह)

इम्प्रूवमेंट बोर्ड बनना चाहिए। तो मौजूदा लोग जो हैं किसी प्रकार से कोई सदस्य नहीं रहना चाहिए। लेकिन आप चला रहे हैं अपने लोगों के लिए, आप चला रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, जयपुर नगर के लिए नहीं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी मेम्बर्स हैं उन मेम्बर्स के बारे में इन्क्वायरी कराना चाहें तो परिवार के लोगों के नाम बता दूं जिनको कि प्लॉट्स अलॉट किये गये हैं कुछ लोगों की एप्लीकेशन्स को सुपरसीड करके। आम लोगों में जो एप्लाई करता है तो उसके लिए बिना पैसा दिये प्लॉट्स नहीं मिलते हैं लेकिन उनको प्लाटस दिये हैं। तो उनके बारे में सारी स्थिति रखना चाहता हूँ। ऐसी हालत में आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड को भंग किया जाय और भंग करने के साथ साथ मैं यह कहूंगा कि देवीशंकरजी तिवाड़ी को हटा कर अगर रामकिशोरजी व्यास को बना दें तो कोई भला नहीं होने वाला है, दामोदरजी व्यास को काम दे दें तो भला नहीं होने वाला है। मैं स्पष्ट शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि यदि जयपुर नगर का विकास करना है तो आप अपने लोगों को नोमीनेट नहीं करें, बल्कि राजस्थान के किसी सीनियर आई. ए. एस. और एक टाउन प्लानर को, चाहे उसमें कितना ही खर्च करना पड़े, इन दोनों को नियुक्त करें और उसके बाद में जयपुर नगर के विकास के सम्बन्ध में योजना बना कर उसको लागू करने की व्यवस्था की जाय। जब यह नहीं करते हैं तो मैं मानकर चलता हूं कि अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड नगर विकास के लिए नहीं है, बल्कि अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड गरीबों की कीमत पर कांग्रेस और कांग्रेस के पिट्ठुओं के विकास के लिए है। अगर आप वास्तव में भला चाहते हैं तो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को भंग कर दें देवीशंकरजी तिवाड़ी नहीं रहेंगे तो भी क्या हुआ बाकी के मेम्बर्स के नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ लेकिन मैं कह सकता हूँ कि घरवालों के नाम कितने ही प्लॉट्स अलॉट किये गये हैं ? इसी संदर्भ में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो कानून बना है इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का और उसके अन्दर जो रूल्स बनाये हैं अलॉटमेंट के तो इन दोनों में तालमेल नहीं है। विधान सभा के सदस्यों की क्या इच्छा थी, इस इच्छा की पूर्ति नियमों के अन्दर नहीं की गई। जिस समय यह कानून बना था उस समय बद्रीप्रसादजी मन्त्री थे। उन्होंने सदन को एश्योरेन्स दिया था कि इस कानून में कम आमदनी के लोगों को प्रोटेक्शन दिया जायेगा। लेकिन यह प्रोटेक्शन नहीं मिला। हमारी सरकार भी यह कहे कि डेवलपमेंट के पोइन्ट ऑफ व्यू से पैसा इकट्ठा करने के लिए तो मैं सरकार से कहता हूं कि आपके यहां कॉमर्शिल लैण्ड्स भी हैं। जितनी आबादी की बस्तियां हैं उनमें दूकानों के नाम पर, सिनेमा के नाम पर और बाकी की कॉमर्शियल कन्सर्न के नाम पर भूमि काफी रहती है। उस भूमि को ऑक्शन के जरिये लोगों को दें तो ज्यादा से ज्यादा कीमत मिल सकती है। यह गलत नहीं है। घाट गेट के समीप नई बस्तियां बनाई जा रही हैं। जिसकी योजना है तो उस योजना में पैट्रोल पम्प के लिए जमीन दी गई लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि अगर उसको ऑक्शन किया जाता तो जिस जमीन के ५०,०००) रु० आये हैं उसकी कीमत ड़ेढ़ लाख के करीब आती, ड़ेढ़ लाख से भी ज्यादा बढ़

(श्री भैरोंसिंह)

सकती थी। लेकिन ऑक्शन केवल इसलिए रोक दिया गया कि हम इण्डियन ऑयल कम्पनी को इसलिए दे रहे हैं कि वह हमारे भारतवर्ष की है। यदि वहां पर बर्मा शैल वगैरह आयेगी तो वे भारतवर्ष की नहीं हैं। भारतीयों के साथ न्याय देकर यह व्यवस्था की है। यह जो पॉलिसी है कि कॉमर्शियल पर्पजेज के लिए ऑक्शन करके जमीन देंगे वह उसके विपरीत जाती है। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि कॉमर्शियल लैण्ड्स थी उन कॉमर्शियल लैण्डस के ऊपर प्लॉट्स काट कर दे दिये जाते हैं वे उन व्यक्तियों को दिये गये हैं जिनका वसीला है—किसी भी प्रकार का वसीला है उनको कॉमर्शियल लैण्ड को खत्म करके आम प्लॉट्स दिये गये हैं।

मैं सरकार से कहना चाहूंगा और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि कच्ची बस्तियों से कीमत लेना चाहते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि अगर मैं कच्ची बस्ती का नागरिक होता तो सरकार को एक पैसा भी नहीं देता। मैं यह चाहूंगा कि कच्ची बस्तियों के जो रहनेवाले लोग हैं, जिनका उन पर अधिकार है, जो जयपुर रियासत के वक्त से वहां रह रहे हैं उन लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ बाहर दूसरे स्थान पर बसायें और पैसे लेकर जमीन देना चाहें तो उन लोगों के साथ में बहुत जबरदस्त अन्याय है। जो कई लोगों ने छोटे छोटे फार्म्स किये हैं और जो जयपुर शहर में सब्जी की कमी थी उसको पूरा किया है, हमारी सरकार, हम सुन रहे हैं, उन लोगों को नोटिस दे रही है कि वह उस जमीन को एक्वायर करना चाहती है। मैं सरकार से अर्ज करना चाहूंगा कि उनके पास कोई मास्टर प्लान नहीं है। आज यहां पर इतनी जमीन नहीं है पर्याप्त। यहां पर क्या आपका नक्शा है, किस जगह के अन्दर क्या चीज होनी चाहिए, किस जगह पर आप वेजीटेबल की व्यवस्था कर रहे हैं, कहां गार्डन के लिए व्यवस्था कर रहे हैं? यह इस बात की कमी है। हमारे दिमाग में प्लान नहीं है। हमारे दिमाग में कुछ लोगों को एडजस्ट करने का प्लान है। अगर आपका यह प्लान है, मैं मंत्री महोदय से जिनसे मैं बहुत बड़ी आशा लेकर चलता हूं, जयपुर नगर के नगरवासी मानते हैं, जिनकी कार्यकुशलता से परिचित हैं वे बहुत बड़ी आशा लेकर चलते हैं, निवेदन करूंगा कि जहां इम्प्रूवमेंट बोर्ड से चेयरमैन महोदय को अलग कर रहे हैं वहां इम्प्रूवमेंट बोर्ड को ही अलग कर दें और अलग करने के साथ साथ मैंने जो सुझाव दिया है उसको करने की कोशिश करें।

मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आखिर सरकार को वह करना पड़ेगा। मैं जो बात कहना चाहता हूं उससे आज इन्कार कर दें लेकिन ज्योंही विधान सभा खत्म होगी सरकार को ऑर्डीनेन्स इश्यू करना पड़ेगा और इसलिए करना पड़ेगा, सभापति महोदय, कि आज तक तिवाड़ीजी की चेयरमैनशिप में जितने प्लॉट्स हैं २००, ३०० अलॉट हुए हैं उनका अलॉटमेंट इल्लीगल है, अनकॉन्स्टीट्यूशनल है, अगेन्स्ट दी रूल्स है। आज कोई आदमी पैसा नहीं दे तो नहीं दे। आज किसी आदमी के खिलाफ पी० डी० आर० की कार्यवाही की जाय अगर कोई पैसा नहीं चुकाना चाहे तो नहीं चुकाये। इसलिए नहीं चुकाये कि जिस आदमी ने जारी किये हैं, जो ऑथेरिटी है वह बिल्कुल

(श्री भैरोंसिंह)

अनकॉन्स्टीट्यूशनल है और अनकॉन्स्टीट्यूशनल ऑथेरिटी के द्वारा जितने भी प्लॉट्स अलॉट किये गये हैं वे सारे के सारे इल्लीगल हैं। उन सारे के सारे प्लॉट्स को लीगल करने के लिए आज जो बात कहता हूँ वह १५ दिन के बाद में साबित होगी और सरकार की तरफ से ऑर्डीनेन्स इश्यू होगा और रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जायेगा, जो प्लॉट्स अलॉट किये गये हैं उनको लीगेलाइज़ किया जायेगा। आज जो पोजीशन एराइज होती है तो मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि वे आज घोषित कर दें कि अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड को भंग किया जाता है। यदि भंग नहीं करते हैं तो सदन को कहना चाहता हूं कि आज की तारीख के अन्दर अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जो है वह इस समय जब कि मैं भाषण दे रहा हूँ इस समय अनकॉन्स्टीट्यूशनल है, सरकार नहीं कह सकती है कि वह कॉन्स्टीट्यूशनल ढंग से बना हुआ है। जिन चीजों को अनकॉन्स्टीट्यूशनल आज के दिन मानते हैं, विधान सभा में बहुमत के आधार पर उसकी कॉन्स्टीट्यूशनल पोजीशन को सेफ करना चाहते हैं तो यह गलत चीज होगी। वह विधान सभा की भयंकर तोहीन होगी। विधान सभा कोई कानून बनाये तो विधान सभा के कानून को अमल कराने की जिम्मेदारी सरकार पर आती है। आज के दिन इस घड़ी अनकॉन्स्टीट्यूशनल मानती है उस चीज को सरकार वोट के आधार पर उसको सही ढंग से मानने कि स्थिति में आती है तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि सरकार के सामने राज्य करने के लिए माननीय सदस्यों की ब्रूट मेजोरिटी के दुरुपयोग करने का सवाल है। मैं सरकार को चुनौती देता हूँ कि आपको उदाहरण रखना चाहिए कि जिस चीज को शुरू से ही आप अनकॉन्स्टीट्यूशनल मानते हैं उस चीज पर इस घड़ी से ही अमल करना शुरू कर दें कि आज शाम को कोई भी प्लॉट अलॉट किया जायेगा तो वह अलॉटमेंट इल्लीगल होगा, यदि कोई स्कीम बनी तो वह स्कीम अनकॉन्स्टीट्यूशनल होगी, किसी आदमी से नजराना लिया तो वह नजराना इल्लीगल होगा, किसी आदमी को रिमूव किया तो वह इल्लीगल होगा, किसी के मकान को डिमोलिश किया तो वह इल्लीगल होगा।

हसनपुरा के अन्दर छप्पर की कच्ची बस्तियां हैं। अरबन इम्प्रूवमेंट के लोग इन बस्तियों को हटाना चाहते हैं। आज मैं कहता हूँ कि अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड को कोई अधिकार नहीं है कि वह आज के दिन उन लोगों के मकानों को डिमोलिश करने का ऑर्डर दे। उनको कोई अधिकार नहीं होता। लैण्ड एक्विजिशन एक्ट के मातहत लैण्ड एक्वायर करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि उस जमीन को एक्वायर करके प्लॉट्स का अलॉटमेंट करें। जो चीज आज के दिन इल्लीगल है उस चीज के लिए मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मंत्री महोदय इसमें एक स्टेप ले लें और ऑर्डीनेन्स का इन्तजार नहीं करें।

सदन की कार्यवाही चल रही है। हम १० तारीख तक इसको पास करेंगे। लेकिन यदि बाद में ऑर्डीनेन्स आता है तो ध्यान रख कर चलिये, १० दिनों के अरसे में कई लोगों को ऑब्लाइज करना चाहते हैं। जिन्होंने पहले प्लॉट नहीं लिया है, जिनकी एप्लीकेशन

(श्री भैरोंसिंह)

पेन्डिग हैं, जो जयपुर नगर के नागरिक बनना चाहते हैं, जो पट्टा लेना चाहते हैं वे सारे लोग मंत्रीजी के पास आयेंगे और कहेंगे कि इन १० दिनों में बचा लो, हम जयपुर के सब प्लॉट ले लेंगे। क्योंकि सरकार की आदत है, सरकार के हुकम हाथ में रहे। खादी वालों को प्लॉट मिलेंगे। अभी तो खादी वाले आये हैं। भारत सेवक समाज के लोग बाकी हैं। उसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता भू-दान के लोग बाकी हैं। फिर ग्रामदान वाले बाकी हैं वे आयेंगे। फिर वाटर बोर्डवाले आयेंगे। सारे के सारे लोग आने लगे तो जयपुर में एक भी प्लॉट नहीं बचेगा। इसलिये मैं कहता हूं कि यदि सरकार ने उचित कार्यवाही नहीं की तो चेयरमैन और बोर्ड देखेंगे कि हम तो जाने-वाले हैं और वे कई लोगों को ऑब्लाइज कर जायेंगे और कॉम्प्लीकेशन्स होगा। ऐसी हालत में आप मोह छोड़े कि कौन कांग्रेसी है, कौन विरोधी है, इस बात की चिन्ता नहीं। मैं समझता हूं यदि मैं भी होता और मेरी पार्टी होती और गठन अनकॉन्स्टीट्यूशनल होता तो हम जिद्द नहीं करते। हमारे गठन अनकॉन्स्टीट्यूशनल है इसलिये एक दिन भी काम नहीं करते। अच्छा यह होता कि चेयरमैन अपने बोर्ड सहित मंत्रीजी को अपना रेजिगनेशन देते। लेकिन जिनकी आदत पड़ी है राज्य करने की वे ऐसा करने वाले नहीं हैं।

मैंने सुना है डिसीजन कल रात को लिया है वह इम्पलीमेन्ट होगा। जिस प्रकार कल स्टेप लिया है उसी प्रकार आज भी लें और बोर्ड को भंग करें। मैं व्यक्ति के बारे में शिकायत नहीं करता। लेकिन सीनियर आई. ए.-एस. जो इन्टिग्रिटी का हो उसको काम सौंपा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। यह बात सदन में प्रस्तुत करता हुआ मैं मंत्रीजी से यह बात कहूंगा, वैसे मुझे यह बात नहीं कहनी चाहिये, वैसे उन्होंने सहज स्वभाव से ईमानदारी का परिचय दिया और कहा कि पिछले चेप्टर को मत खोलें, आगे के लिये दुरूस्ती कर दी है, आज आप की परीक्षा है। आपने कहा था आइन्दा गड़बड़ी नहीं होने देंगे। या तो मुझे कायल कर दें कि आज शाम को अरबन ट्रस्ट प्लॉट अलॉट करता है तो वह इल्लीगल है। यदि आप इसको इल्लीगल मानते हैं तो मैं कायल होता हूं। यदि आप इसको इल्लीगल कहते हैं तो आपने आश्वासन दिया था कि मैं आइन्दा गड़बड़ी नहीं होने दूंगा और यदि शाम को गड़बड़ी होती है तो अपनी प्रतिष्ठा के लिये और इस सदन की प्रतिष्ठा के लिए मैं आशा करता हूं कि आप इसको इल्लीगल करार देकर उचित कदम उठावेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को सदन का मत प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। मुझे आशा जरूर है कि इस पर उचित कदम उठावेंगे।

श्री सभापति : साढ़े बारह बजे सरकार की तरफ से जवाब होगा। १५ मिनट का समय है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : मैं जानकारी चाहता हूं कि मैंने संशोधन प्रस्ताव परसों प्रस्तुत किया था उसका सक्यूलेशन नहीं हुआ है, उसका क्या हुआ?

श्री सभापति : (अश्रव्य)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापति महोदय, सभापति महोदय, सभापति महोदय....

श्री सभापति : श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Yes Sir. सभापतिजी, अभी जन संघ के नेता द्वारा जिस तरह से इस प्रश्न को उठाया गया है, आज पहली मर्तबा में, जिस तरह की बात कही गई है और उनकी बात के बारे में, उनके तथ्यों के बारे में मैं भी समझता हूँ कि यहां पर उनका कोई विरोध नहीं हुआ है तब वे तथ्य अवश्य ऐसे हैं जिन पर सरकार को गौर करना चाहिये।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इस सदन के अन्दर जिस तरह का वातावरण हमने बनाना शुरू किया, गवर्नर महोदय के एड्रेस के बाद और उसके बाद कोशिश की है सरकार की तरफ से और हमने यह भी कहा है कि तथ्यों के साथ यदि करप्शन की बात आती है और पूरी तरह से रखी जाती है और यदि उसमें सच्चाई मिलेगी तो सदन के सामने आश्वासन है हमारा कि हम उसका सामना करेंगे और उस करप्शन को खत्म करने की कोशिश करेंगे। मैं इसके साथ एक बात कहना चाहता हूं वह ढंग से सोचने की है। भंग की बात जहां तक है उस सिलसिले में मैं इतना ही कहूँगा कि किसी अफीमची के नाक पर मक्खी बैठी और दो, तीन बार मना करने पर भी नहीं मानी तो उसने कहा कि अब की बार बैठ गई तो बैठने की जगह ही नहीं रखूंगा। उसने अपने पास चाकू रखा और फिर आकर बैठे तो नाक काट ले तो यह तो गलत बात होगी। मैं कहता हूँ कि भंग की बात पर इतना जोर देना और परीक्षा की बात करना गलत होगा। मैं समझता हूं भंग करने की बात इस जोश में कहते हैं कि आज तक ट्रस्ट की तरफ से कार्यवाही हुई है तथ्यों के आधार पर अनऑथेराइज्ड हुई है, इसका हंगामा है। शायद इस शहर की खुशकिस्मती है कि इसे राजधानी होने का मौका मिला और यहां की जमीन की कीमत जिस तरह से ऊंची हुई उस तरह से मेरे खयाल से राजस्थान के किसी अन्य शहर में नहीं हुई; इस तरह का कोई तथ्य है। मैं यह कहता हूं कि गलत है विरोधियों का कहना, जन संघ के नेता का कहना है कि गरीब कांग्रेसियों को लाभ हुआ है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसमें कांग्रेसियों को कोई फायदा नहीं हुआ है....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : खादी बोर्ड वाले गैर कांग्रेसी हैं क्या?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्या कहा?

श्री भैरोंसिंह : खादी बोर्ड वाले और सामाजिक कार्यकर्ता गैर कांग्रेसी हैं क्या?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : खादी बोर्ड और बड़े बड़े लोग हैं उनकी बात नहीं करता। मैं बात करना चाहता हूँ कॉमन कांग्रेस मैन और गरीब कांग्रेस मैन हैं उनका इससे ताल्लुक नहीं है। वे तिगड़मी कांग्रेसी होंगे जिनको हम इधर वाले भी पसन्द नहीं करते हैं।

मैं एक सुझाव रखना चाहता हूँ सरकार के लिये। सरकार के पास एक ही तरीका है सब को ठीक करने का। आप जो तरीका बताते हैं उसके साथ एक तरीका मैं बताना चाहता हूं

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

जिससे प्लॉट लेने वालों की और पैसा लगाने वालों की तबियत खुश हो जाय और सदन उनसे पूरी तरह से बदला ले सके। मैं बाद में उस पर बताऊंगा।

जहां तक कॉन्स्टीट्यूशन की रक्षा करने का सवाल है, जहां तक हमारा कॉन्स्टीट्यूशन है, सदन चल रहा है और इसमें ऑर्डीनेन्स निकालने की चर्चा करें तो इस सदन की प्रतिष्ठा का सवाल है। कोई बात इस सम्बन्ध में उठाई गई है सदन में तो स्पष्ट नीति सरकार की होनी चाहिये। अगर बाद में ऑर्डिनेन्स निकालने वाले हैं तो उसके लिए बिल अभी लाने के लिये हमें अधिकार है। हमारा जो अधिकार है उसके उपरान्त ऑर्डीनेन्स नहीं निकाला जा सकता, बिल लाना पड़ेगा। सदन चल रहा है और आप जरूरी समझते हैं बाद में ऑर्डीनेन्स निकालना और इस समय सदन चल रहा है तो बिल के रूप में लाकर पास कराया जा सकता है। ऑर्डीनेन्स निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिये। कुछ तथ्यों और चीजों को जिस तरीके से रखा है, मैं समझता हूँ कांग्रेस के हित में है, सरकार के हित में है उसकी जांच करें और जांच के बाद यदि सभी कानूनी कार्यवाही खत्म हुई है और प्लॉट देना गैर कानूनी है तो आज भी मौका है हम कदम बढ़ा सकते हैं। भगवान् ने इसके लिये हमें मदद दी है और गैर कानूनी तरीके से फायदा उठाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ इसका उपयोग करना चाहिये। सरकार को इस तरह से करना चाहिये कि जो गैर कानूनी तरीके से अलॉटमेन्ट हुए हैं उनकी जांच हो। मैं मांग करता हूँ कि एक इस तरह का आयोग हो जो जमीन जयपुर में मिली है, गरीबों को इजेक्ट करने के लिए जिन लोगों ने जमीन ली है उनकी जांच करके रिपोर्ट पेश की जाय और उस रिपोर्ट के जरिये से सारे मुद्दों को तय किया जाय। उस रिपोर्ट के आधार पर कह सकें कि यह जायज है, यह नाजायज है, यह अधिकारी था इसने कोई काम नहीं किया, जिसमें भाई–भतीजावाद हुआ हो। इस तरह से हम पाक कर दें! यह समझाने के लिए जरूरी नहीं है कि हमने न्याय किया जनता के साथ, बल्कि जरूरी है कि जनता को समझायें और उस तरह से रखें उस चीज को कि जनता यह महसूस करे कि उसके साथ न्याय हुआ है। तभी हम भूठा कर सकते हैं हमारे विरोधी दल को, विरोधी दल को जवाब दे सकते हैं। जनता के लिए इस चीज को पैदा करें कि जनता माने, हां, न्यायपूर्ण ढंग से भ्रष्टाचार को, इस चीज को खत्म करने की कोशिश की है।

मैं अन्तिम रूप से, सदन का ज्यादा वक्त न लेते हुए, क्योंकि वक्त की कोताही है, सजेशन सरकार के सामने सीरियसली रखना चाहता हूं इस तरीके से सारी बदमाशी को खत्म करने का। मैं समझता हूं कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य मुझ से एग्री करेंगे। मैं कहता हूं कि जिस तरह का वातावरण जयपुर में बन गया है उसका असर सारे राजस्थान में पड़ता है। जो चीज यहां शुरू होती है या निकलती है उसकी नकल सारे राजस्थान में होती है। जो करप्शन यहां शुरू होता है उसको छिपाने के लिए जो दांव–पेच, जो बेस यहां बनाये जाते हैं वे दांव पेच सारे राजस्थान में फैल जाते हैं। इससे बचना है तो मेरा विचार है सीरियसली वह यह है कि

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

राजस्थान की केपीटल को अजमेर में बनायें। राजस्थान की केपीटल को अजमेर के अन्दर ले जाइये। अगर आप एग्री करते हैं इस बात से तो उसके बाद उनको मालूम होगा, जयपुर-वालों को जो जमीन के लेने वाले हैं, उनको पता लग जायेगा कि यहां पैसा लगाने का मतलब क्या है। या तो बदलो इस चीज को। यहां की राजनीति को हटाओ। वहां करप्शन है जयपुर के अन्दर, जयपुर की आबहवा के अन्दर जो बात पैदा हो गई है उस बात से सरकार को निकालो हमारे राजस्थान को बचाने के लिए। (करतल ध्वनि-हंसी) इसे राजस्थान से निकालो। मैं यह हंसी की बात नहीं बता रहा हूं। अब तालियां इधर से बजने लगी हैं, सुस्ती उधर आने लगी है। तुम क्या चाहते हो? अरे, तुम मेम्बर हो, मैं साफ तौर से इस सजेशन को दे रहा हूं। अरे! और कुछ नहीं केपीटल को अजमेर ले चलो। फिर सारे पैसे लगानेवाले तुम्हारे सामने रोते आयेंगे। मैं कहता हूं यहां करप्शन बढ़ाने वाले लोग हैं, करप्शन सहायता पहुंचाता है विरोधी दल को। इस करप्शन से हटा कर केपीटल को अजमेर ले चलो। वहां करप्शन नहीं ले जा सकते। मैं कहना चाहता हूं कि यह हराम की इनकम है कि एक प्लॉट को ६००) रुपये में लेवें और बाद में आठ हजार, दस हजार में बेच दें। आज यह हो रहा है और आपके सहारे से हो रहा है और इसलिए हो रहा है कि यहां केपीटल है। केपीटल का यह झंडा यहां गिरादो और बता दो, ऐ कांग्रेस वालो! पूरी तरह से। मैं अब दावे के साथ कहता हूं कि अजमेर में कुछ नहीं तो सोलह मिनिस्टरों के लिए सोलह बंगले मिल जायेंगे। तुम वहां रहो और सेक्रेटेरियट को यहां रहने दो, अठारह, अठारह गाड़ियां चलती हैं, दो ट्रेन चलती हैं........

श्री भैरोंसिंह : १०।

ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेहरबानी करो। तुम्हारी बात कह रहा हूँ। तुम्हारे में साहस है और ईमानदारी है तो ईमानदारी से चलो, तुम अपने स्वार्थ से निकलो। तुम यहां से चुन कर आये हो तो मैं सलाह देना चाहता हूँ कि तुम ईमानदारी से चाहते हो तो ईमानदारी से कदम बढ़ा कर करप्शन को बाहर निकालो....

एक माननीय सदस्य : अजमेर जाने से करप्शन मिट जायेगा?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप तशरीफ रखें। आपके लिए कोई बात नहीं कह रहा हूं, बाकी के लिए कह रहा हूं, विरोधियों के लिए। तुम उस चीज के लिए लड़ो। अगर बेईमानी को मारना है तो बेईमानी की मां को मारो। इसका खून करने के बाद में....

श्री भैरोंसिंह : बेईमानी की मां तो कांग्रेस गवर्नमेंट है—उसको मारो।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : पहले से चली आई है, उसका इतिहास तुम्हें मालूम नहीं है। यह पहले से चली आ रही है। इस गवर्नमेंट के आने से पहले से चली आ रही है....

श्री भैरोंसिंह : बेईमानी की मां को अजमेर क्यों ले जा रहे हो?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : नहीं। बेईमानी की वे चीजें सामने आयेंगी तो गर्दन नीची हो जायेगी। वह नहीं कहना चाहता। मैं कहना चाहता हूँ यह चीज सीरियसली लें। यह मजाक की बात नहीं है। मैं सीरियसली इस बात को कहना चाहता हूँ जो खुद के स्वार्थ में काम कर रहे हैं मैं उनके लिए बता रहा हूं कि वे डेमोक्रेटिक नहीं हैं और उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि डेमोक्रेसी की आड में इस प्रकार के काम कर रहें हैं उनको सुधारने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। जितने जयपुर शहर के लोग पैसा कमानेवाले लोग हैं उन लोगों को तुम खत्म करना चाहते हो, करप्शन खत्म करना चाहते हो तो तुम पूरे मिनिस्टरों को छः महीनों के लिए अजमेर ले जा करके देखो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कल ही ये पैसा लूटनेवाले लोग, प्लॉट लेने वाले लोग....

श्री भैरोंसिंह : पहले किसी मोहम्मद तुगलक को लाओ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मोहम्मद तुगलक के बारें में हिस्ट्री क्या कहती है, तुम क्या जानते हो? आज के इतिहासवालों ने उसे जीनियस माना है, उसे ईमानदार माना है; उसे जीनियस मान है।

आज यहां सुविधायें बढ़ गई हैं तो कोई हानि नहीं....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : इतिहास में दो ही जीनियस हुए हैं, एक तो आप और दूसरे मोहम्मद तुगलक।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप तशरीफ रखें। ८० मील चलने के बाद xxxx xxxxxxx मेरा दावा है, ८० मील पैदल चलने के बाद भी कोई xxxx नहीं है, आप और हम पैदल पहुंच सकते हैं।

ऐसी हालत में मैं कहना चाहता हूं, उस दलील को सोचो। तुम करो इस करप्शन को खत्म। यह जमीन दो, दो पैसे में बंटवा दो। यहां पर जिन्होंने मकान बनाये हैं उनको मजा आ जायेगा। एक दफा यह भी जानें कि क्या मजा आया है; तुमने कोई कदम उठाया है और इस करप्शन को खत्म किया है।

सभापति महोदय, यह जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं विरोध करता हूं और क्या नाम है, आपकी नाक कटने की जगह नहीं रहे। भले ही ट्रस्ट रहे लेकिन इसको जो खींचने लगे हैं इसका उपाय होना चाहिए; इसका जवाब मिलना चाहिए और आर्डीनेन्स नहीं निकालना चाहिए। तीसरी बात यह है कि मेरी आप से दर्ख्वास्त है कि सोलह के सोलह मिनिस्टर छः महीनों के लिए अजमेर चले जाएं....

एक माननीय सदस्य : उदयपुर ले जाओ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सेक्रेटेरियट को यहीं रहने दो, इन्हें यहां आबाद रहने दो। तुम अजमेर चलो और देखो कि क्या मजा आता है। वहां सब करप्शन खत्म हो जायेगा। यहां जो करप्शन हो रहा है और यहां का वातावरण खराब होकर सारे राजस्थान का

---

xxxx अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

वातावरण खराब कर रहा है। बस इतना ही मुझे कहना है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अजमेर का आदर्श कारागृह खाली करवा लो।

श्री सभापति : राज्य की तरफ से इसका जवाब होगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : सभापति महोदय,....

श्री सभापति : अब बहस नहीं होगी। अब राज्य की तरफ से इसका जवाब मिलेगा।

श्री भैरोंसिंह : मंत्री महोदय का जवाब हो जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल(जौहरी बाजार, जयपुर) : मंत्री महोदय का जवाब होगा फिर मूवर का जवाब होगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी : पांच मिनट बोलने दीजिये।

श्री सभापति : अब समय नहीं मिल सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप कह देना, मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ था, बोलने नहीं दिया।

श्री बरकतुल्लाखां : (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, जयपुर का ट्रस्ट १९६० के अन्दर बना और बनने के बाद जो पुराना ट्रस्ट था उसको इसने इनहेरिट किया और उस ट्रस्ट के अन्दर जो वसूलाई थी वह की वह वसूलाई इस ट्रस्ट के मत्थे लगी और इस तरीके से इस ट्रस्ट के खिलाफ जो आंकड़े दिखाये गये, इसके अन्दर वह वसूलाई बाकी थी। इस ट्रस्ट की वसूलाई नहीं थी, पहले से ट्रस्ट बना हुआ था, उसको इनहेरिट किया। उसके अन्दर था........

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मेम्बर यही थे।

श्री बरकतुल्लाखां : जहां तक मास्टर प्लॉन का ताल्लुक है, मैं अर्ज करूं मास्टर प्लान एक साल या डेढ़ साल में नहीं बनता। आम तौर से मास्टर प्लान को बनाने के लिए तीन से पांच साल लगते हैं। अपनी तरफ से यह कोशिश जारी है कि जयपुर शहर का मास्टर प्लान बने; क्योंकि जब तक मास्टर प्लान नहीं बनता, न तो ऑवरहाल पिक्चर आती है, न मालूम होता है कितने....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ऑन ए पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, यह जो हमने ट्रस्ट एक्ट बनाया है उसके अन्दर क्या कोई भी चीज शुरू करने के पहले मास्टर प्लान पहले बनाना जरूरी है?

श्री भैरोंसिंह : एक्ट एण्ड रूल्स बने।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Act and Rules.

श्री बरकतुल्लाखां : नहीं, जहां तक मुझे इल्म है, नहीं। चूंकि मास्टर प्लान आप बनाना चाहते हैं, एक एक्ट की मंशा होती

(श्री बरकतुल्लाखां)

है, तो मैं समझता हूं कि लैंड अलॉटमेंट डवेलपमेंट राजस्थान के लिए पांच साल के लिए रोका जाता और ऐसी कोई चीज होती तो पहले यह मान कर चलते कि पांच साल तक इस लैंड हंगर को बढ़ने दिया जाय और फिर मास्टर प्लान के जरिये पूरा किया जाय। जैसा मेरे दोस्त ने कहा, मैं मानता हूं कि आज जैसे पहले देहात में लैंड हंगर था वैसे शहर में लैंड हंगर है। शहर के लोग शहर के बाहर निकलना चाहते हैं और उस बाहर निकलने के लिए लोगबाग कोशिश करते हैं। उसके अन्दर चन्द बेईमान लोग लैंड स्पेकुलेशन के अन्दर इनडल्ज होते हैं और उससे नाजायज फायदा उठाते हैं। यह हमारी बदकिस्मती है कि हमारे समाज के अन्दर आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो गरीबों की कमजोरियों से फायदा उठाते हैं। उन लोगों से जो शहर की गन्दी बस्तियों से निकल कर बाहर आबाद होना चाहते हैं वे प्लॉट खरीद हैं, छः महीनों तक रख कर उसकी कीमत बढ़ाते हैं और फिर बेच देते हैं। यह कोशिश की जा रही है कि किसी तरह लैंड स्पेकुलेशन बन्द हो जाय, जमीन जिसको अलॉट की जाय वह खुद जमीन के ऊपर मकान बनाये। अगर नहीं बना सकता है तो जमीन को वापिस बोर्ड को दे दे। लेकिन ऐसा नहीं कि जमीन मैं लूं, मैं लेकर उसकी कीमत बढ़ाऊं और दूसरे आदमी को बेच दूं और दूसरा आदमी तीसरे आदमी को बेच दे। यह आर्टीफिशियल स्केयरसिटी है। एक सिम्पल सप्लाई और डिमान्ड होनी चाहिये। केपीटल जिस तरह से आबाद हो रही है, जिस तरह से आबादी बढ़ती जा रही है उस तरह से लोगों में मकान बनाने की इच्छा बढ़ती जा रही है। जब यह बढ़ रही है तो जितने प्लॉट्स की जरूरत है, उतनी नहीं होती है और उतने नहीं होते हैं तो प्राइस में इन्फ्लेमेशन आता है और जब इन्फ्लेमेशन आता है तो लोग अपना फायदा उससे उठाते ही हैं और इसको रोकने के लिए जवाब सिर्फ यही हो सकता है कि चाहे जितनी आप रोकथाम करिये इसका कन्ट्रोल नहीं होने वाला है। इसका कन्ट्रोल तो तभी हो सकता है कि जितने प्लॉट्स की डिमान्ड है उससे ज्यादा प्लॉट्स की सप्लाई की होनी चाहिये। अगर जयपुर में ५,००० प्लॉट्स की आवश्यकता है तो आप ५,०१० प्लॉट्स को शहर के लोगों के सामने रखिये तो यह रुक सकता है। इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है और अगर कोई भी दूसरा रास्ता निकालेंगे तो भी लोगों की शिकायत इसी तरह की होती रहेगी और लोग स्पेकुलेशन करते रहेंगे। इसलिये मेरी राय से किसी न किसी तरह से ज्यादा से ज्यादा प्लॉट बने इसकी तरफ ध्यान देना है। मास्टर प्लान बने, मास्टर प्लान में अगर देर हो तो इसके लिए कोई दूसरा रास्ता निकालें ताकि यह शिकायत लोगों की है वह खत्म हो जाए।

मेरे दोस्त जिन्होंने यह संकल्प रखा है जयपुर से जीत कर आते हैं इसलिए जयपुर के ही मानता हूं और उनकी पार्टी के एक और सदस्य भी जयपुर से जीत कर आये हैं। इसलिये वे यह कह सकते हैं कि वे जयपुर को बिलोंग करते हैं और जयपुर की जनता को रिप्रेजेन्ट करते हैं। मगर हम पूरे राजस्थान की जनता को रिप्रेजेन्ट करते हैं। हम भी यह चाहते हैं कि यह बोर्ड गवर्नमेंट का है वह

(श्री बरकतुल्लाखां)

रिप्रेजेन्टेटिव करेक्टर का बने इसलिए म्युनिसिपैलिटी को बार बार कहा गया कि वह अपने दो नोमीनीज भेजे लेकिन म्युनिसिपैलिटी अभी तक यह तय नहीं कर पाई कि किसको भेजा जाय।

श्री भैरोंसिंह : म्युनिसिपैलिटी करप्ट ट्रस्ट के अन्दर अपना रिप्रेजेन्टेटिव भेजना नहीं चाहती।

श्री बरकतुल्लाखां : इस तरह से तो आप किसी के लिए कह देंगे। जब आप कहीं पर चुनावों में नहीं जीतेंगे तो आप कह देंगे कि हम करप्ट पंचायतों में या करप्ट एसेम्बली में नहीं जाना चाहते। आप जब नहीं जीतते हैं चुनावों में तो आप यह कह सकते हैं कि भले आदमी करप्ट एसेम्बली में चुन कर नहीं आना चाहते। मेरे दोस्त एक ईमानदार लोगों में से हैं जो करप्शन के नाम से चिढ़ते हैं। मगर वे सुबह से शाम तक करप्शन की बातें करते रहते हैं और वे यह चाहते हैं कि करप्शन मिटे। इसके लिए उनको चाहिये तो यह था कि जिस प्रकार वे यहां पर करप्शन की बातें करते हैं उसी प्रकार थोड़ी सी असुविधा उठा कर और पाकर करप्शन को मिटाने के लिये इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में जाकर करप्शन को मिटाने के लिये लड़ते तो और भी अच्छा होता।

श्री भैरोंसिंह : आप क्या यह चाहते हैं कि हम लोग भी अनकॉन्स्टीट्यूशनल बोर्ड ऑफ ट्रस्ट में जाकर अपने को उसका भागीदार बनाएं ?

श्री बरकतुल्लाखां : आप यों क्यों नहीं कहते की आपकी पार्टी में आपस में टंटों-झगड़ों के कारण या बोर्ड में आपकी पार्टी में समझौता नहीं हो गया इसलिये नहीं भेजा गया। आप तो कांग्रेस वालों की धज्जियें उड़ा देते मगर चूंकि आपस में आपकी पार्टी वालों में समझौता नहीं हो पाया इसलिये नहीं भेजा गया ; सभी लोग जाना चाहते हैं। यों कहिये कि जाने वाले ज्यादा थे और जगह दो ही थी, इसलिये जा नहीं पाये। मैं पूरी बातें, यहां बताना नहीं चाहता........

एक माननीय सदस्य : आपको यहां बतानी चाहिये ताकि हम लोगों को भी जानकारी तो मिले।

श्री बरकतुल्लाखां : कच्ची बस्तियों के बारे में मैं यह बताना चाहता हूँ कि कच्ची बस्तियों के रहने वालों को पहले हक मिलेगा और उनको वहां से कोई नहीं हटा सकेगा और निकाल सकेगा।

कच्ची बस्तियों में कुछ इम्प्रूवमेंट भी किया जा रहा है और इसके लिए ट्रस्ट अपनी तरफ से कुछ रुपया भी लगाता है। जहां तक लोन देने का नियम है उसमें अगर नियमों में रद्दोबदल करते हैं तो आज आप यह कह रहे हैं कि लोन का अमाउन्ट लोगों को पूरा नहीं मिलता, कल यह कहेंगे कि लोन में भ्रष्टाचार होगा। आप कहेंगे कि आपने लोन देने पर पूरा राइडर नहीं रखा इसलिये इसका नतीजा यह होगा कि भ्रष्टाचार हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह : आप यह क्यों सोचते हैं ?

श्री बरकतुल्लाखां : मेरे दोस्त फौरन

(श्री बरकतुल्लाखां)

कह देते हैं। अगर एक गरीब ने गल्ती की तो सभी गरीबों की नाक कटवा देगा। आज एक गरीब गड़बड़ करेगा तो आप सब को बदनाम कर देंगे। आप स्वीपिंग रिमार्क्स करेंगे और कहेंगे कि हम तो सोशियेलिज़्म में विश्वास नहीं रखते। अगर एक गरीब आदमी से भी लोन वसूल नहीं हुआ तो फौरन बदनाम कर देंगे सभी गरीब आदमियों को। इसलिये मैं यह कहूंगा कि आप उन गरीबों को तो इस बदनामी से बचाइये। मैं जानता हूँ एक कांग्रेसवाला गल्ती करता है तो आप सभी कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। बोर्ड का एक व्यक्ति गलती करता है तो आप सारे बोर्ड को बदनाम करते हैं। इसलिए गरीबों को तो इस बदनामी से बचने दीजिये।

श्री गोकुलचन्द (कठूमर-सु) : क्या उन लोगों को लोन जमीनों के लिए दिया जावेगा ?

श्री बरकतुल्लाखां : जब कच्ची बस्तियों में इम्प्रूवमेंट किया जावेगा तो सब को एक ऑर्डर में लिया जावेगा और मकानों की एक लाइन होगी और जो मकान बीच में आते होंगे उनको तोड़ा जायेगा। वहां के रहने वालों को ही वह जमीनें दी जावेगी दूसरों को नहीं दी जावेगी।

मेरे एक दोस्त ने यह कहा कि नोटिस इश्यू कर देते हैं लैंड एक्विज़िशन के लिये और बाद में विथ्ड्रॉ कर लेते हैं। मेरी जानकारी में ऐसा नहीं हुआ और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं मेरे माननीय सदस्य को कि कोई ऐसा नोटिस इश्यू नहीं हुआ और विथ्ड्रॉ नहीं किया गया और अगर लैंड एक्विजिशन का कोई नोटिस दिया जावेगा तो सोच समझ कर दिया जावेगा इनडिस्क्रीमिनेटली इश्यू या विथ्ड्रॉवल नहीं किया जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं तो सिर्फ इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि इस छोटे से इश्यू को इतना लम्बा नहीं बढ़ाना चाहिये। हमें यह मान कर चलना चाहिये कि उन्होंने काम किया है और इसे ऑर्गेनाइज किया है और जब कोई एक्चुअल तरीके से काम करता है तो बिना जाने हुए कोई गलती हो सकती है। इसलिये हमें उन गल्तियों पर ध्यान नहीं देना चाहिये। हमें इस प्रकार का रूख लेना चाहिये कि गल्तियें हर कोई कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जान बूझ कर गलती नहीं करता और काम करते हैं तो गल्तियें रहती हैं। अगर उसके लिए इस सदन में डिस्कशन हो जावे और सदन में उसे चार्जशीट हो जाए तो मैं यह अर्ज करूंगा कि काम करनेवालों के लिये मुश्किल हो जावेगी और जो लोग काम करनेवाले हैं और काम करना चाहते हैं वे काम करने के लिए आगे नहीं आएंगे और कोई काम नहीं कर पाएंगे और दूसरे लोगों पर भी इसका बहुत बुरा असर होगा।

दूसरी बात जो उठाई गई है वह हाईपॉथेटिक है। जहां तक चेयरमैन महोदय का प्रश्न है, मेरी तरफ से कोई प्रश्न पैदा नहीं होता उनको नोटिस देने का। मैंने उनको कोई नोटिस नहीं दिया, न उनको कोई रिक्वेस्ट इस्तीफे के लिए की।

(श्री बरकतुल्लाखां)

माननीय सभापति महोदय, मैं आखिर में यह निवेदन करना चाहता हूं कि बोर्ड में अगर कोई शिकायतें हों तो वे दूर की जावेगी । गवर्नमेंट का प्लानिंग था कि भंगियों के साथ हाई क्लास के लोग जो छुआछूत में विश्वास रखते हैं वह दूर हो और इसके लिए हरिजन बस्तियों में उनको प्लॉट्स दिये गये और इसमें हाई कास्ट के लोग थे भंगियों के बराबर और भंगियों की बस्तियों में रहना चाहते थे । यह एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जो फेल हो गया । मगर सरकार को यह मालूम नहीं था कि उनको हरिजनों के साथ रखा जावेगा तो उसका मतलब गलत निकाल लिया जावेगा ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कई लोग हरिजनों के साथ रहने को तैयार हैं ।

श्री बरकतुल्लाखां : मैंने कहा कि एक्सपेरिमेन्ट फेल हो गया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : जब प्लॉट्स का अलॉटमेंट होता है तो उसमें डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि उसके दूसरा कोई मकान रहने के लिए यहां पर नहीं है । क्या सरकार उचित नहीं समझती है कि जिन लोगों ने गलत एफेडेविट दिये और प्लॉट हासिल किये उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री बरकतुल्लाखां : जहां तक अलॉटमेंट का ताल्लुक है उन्होंने एफेडेविट दिया है । अगर किसी ने झूठा ऐफेडेविट दिया है तो उसके लिये कानूनी कार्यवाही के लिये अदालत खुली है और कानून के अनुसार उसको सजा दी जा सकती है, कोई भी उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है । यही नहीं कि उसका प्लॉट कैंसिल ही किया जा सके मगर उसको जेल भी भेजा जा सकता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This assurance, I want on the floor of the House, क्या आप उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ? क्या सरकार उसके खिलाफ कार्यवाही करेगी क्योंकि उन्होंने सरकार को धोखा दिया है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उन्होंने ट्रस्ट को धोखा दिया है । इसलिये ट्रस्ट को चाहिये कि वह उन पर केस चलाए ।

श्री बरकतुल्लाखां : ऑफ हैन्ड तो कुछ कह नहीं सकता और कहना मुश्किल है कि कितने आदमियों ने इस प्रकार के झूठे एफेडेविट पेश किये हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर यह बता दिया जाए कि फलां व्यक्ति के मकान मौजूद है और उसने झूठा ऐफेडेविट देकर प्लॉट हासिल किया है तो क्या ट्रस्ट की तरफ से कोई कार्यवाही की जावेगी ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सरकार के पास एफेडेविट है । वे दबा कर बैठे हैं । प्रश्न यह है कि उन्होंने धोखा आपको दिया है दूसरा आदमी कोर्ट में क्यों जाएगा, जिसको धोखा दिया है वही कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ कार्यवाही करे ।

श्री बरकतुल्लाखां : मैं इस बात को

(श्री बरकतुल्लाखां)

नहीं मानता कि सरकार के नोटिस में यह हो कि ट्रस्ट ने उनको यह जानते हुए कि यह एफेडेविट गलत है प्लॉट्स दिये हों। सरकार ने तो उनको गुड फेथ में सही मान लिया। अगर सरकार को यह मालूम होता कि यह ऐफेडेविट गलत है तो उसको कैसे एक्सेप्ट करती ? दुनियां का यही कायदा है कि जब कोई एफेडेविट आता है तो उस पर विश्वास किया जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बात तो बाद में पता लगती है कि आया यह सही है या गलत। पहले तो यह पता नहीं लगता। इसीलिये उसको सही माना जाता है और यही कोर्ट की भी प्रेक्टिस है। जब मालूम हो तो आपको कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री सभापति : श्री भैरोंसिंहजी।

श्री बरकतुल्लाखां : मालूम कैसे हो, सरकार को कोई ख्वाब तो आता नहीं।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : नाम दें ? एक्शन लेने को तैयार हैं क्या या प्रोमोशन का असर आप पर भी आ गया ?

श्री बरकतुल्लाखां : आपका असर मेरे ऊपर आये बगैर तो रह नहीं सकता। आप और हम तो साथ रहेंगे, आपका असर मेरे ऊपर और मेरा असर आप पर।

तो इसके अन्दर आप चाहते क्या हैं ? अगर आप साबित कर सकते हैं कि किसी ने रोंग एफेडेविट दी है तो जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है मैं कार्यवाही करने को तैयार हूँ।

श्री मानसिंह महार : गवर्नमेंट का सवाल नहीं। आप उनको प्रोसीक्यूट कीजिये जिनके खिलाफ साबित कर दें कि गवर्नमेंट के ट्रस्ट को धोखा दिया है। उनको प्रोसीक्यूट कीजिये। हम सरकार से यह आश्वासन चाहते हैं।

श्री बरकतुल्लाखां : अभी तो बिल्कुल प्रिजम्पशन्स पर चल रहे हैं। ऐसा प्रश्न आयेगा तो आपका और हमारा दोनों का इम्तिहान होगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ऑन ए पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, सवाल यह है कि एफेडेविट दिये गये, एफेडेविट देने पर उन्हें अलॉटमेंट हुआ। रोंग एफेडेविट के बारे में अभी माननीय सदस्य ने कहा कि एफेडेविट रोंग दिये गये। उन्होंने १३८ की लिस्ट पेश की उसमें सब के मकान हैं। जब गवर्नमेंट के पास यह खबर पहुंच गई, यह अगर गलत हुई तो प्रिविलेज मोशन का केस चलायेंगे। इसकी जांच के बाद जो फैक्ट्स इस सदन में दिये गये हैं उनके अनुसार यदि उसके मकान मिलते हैं तो रोंग एफेडेविट देने के आधार पर उनकी जमीनें जब्त करने को सरकार तैयार है या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : अगर यह साबित कर दें कि किसी ने झूठे एफेडेविट देकर जमीन ली है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रूल्स में है कि औरत और बच्चों के नाम से जमीन अलॉट नहीं की जा सकती। जो १,०००) रु०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तनख्वाह पाते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं इसलिए वे बिना ऑक्शन के जमीन लेने के हकदार नहीं। इस तरह ऑक्शन से बचने के लिए उन्होंने अपनी श्रीमतीजी और बच्चों के नाम से अलर्टमेंट करवाया, क्योंकि उनकी श्रीमतीजी तो इनकम टैक्स नहीं देती। इनकम टैक्स देते हैं इस वजह से ऑक्शन में जमीन नहीं लेनी पड़े इससे बचने के लिये जो इस प्रकार की कार्यवाहियां की गई हैं, श्रीमतीजी और बच्चों के नाम से अलॉटमेंट कराये गये हैं, क्या इस सम्बन्ध में सरकार जानकारी करेगी, जांच करने को तैयार है ?

श्री मथुरादास माथुर : कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन दें तो पूरी इन्क्वायरी करके ऑनरेबल मेम्बर को इन्फॉर्म करूंगा और सीरियस हुई तो हाउस को इन्फॉर्मेशन दूंगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सभापति महोदय, मुझे इस बात का सख्त अफसोस है कि जिस प्रकार के उत्तर की मन्त्री महोदय से अपेक्षा करते थे उसके विपरीत उनका भाषण सुनने को मिला। एक मसले को तो इस प्रकार दबा कर चले गये कि जैसे सदन उस बात को भूल गया हो। मन्त्री महोदय साहस नहीं कर सके यह कहने का कि कोई ऑर्डीनेन्स इश्यू नहीं किया जायेगा, यह इल्लीगल कार्यवाही चल रही है उसको लीगल करने का आर्डीनेन्स इश्यू करने की आवश्यकता सरकार को महसूस नहीं होगी।

सबसे ज्यादा खेद की बात तो यह है कि जिसको सरकार स्वीकार करती है कि अनकॉन्स्टीट्यूशनल है उसको दुरुस्त करने की सरकार में हिम्मत नहीं, जिसके लिये सरकार ने ८००) रुपया खर्च किया और लीगल ओपीनियन मंगाई उसके लिये मंत्री महोदय कहते हैं कि मैं तो नहीं कहूंगा।

श्री बरकतुल्लाखां (स्वायत शासन मन्त्री) : वे खुद स्वीकार कर रहे हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : जो प्राइवेट मामले हैं उनको सदन में नहीं रखना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : इसमें क्या प्राइवेट है ?

श्री बरकतुल्लाखां : मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहूंगा कि वे किस तरह चाहते हैं ? प्लॉट्स के बारे में उन्होंने कहा कि चोट किया गया है तो मैं कह चुका हूं कि साबित होने पर हम कार्यवाही करने को तैयार हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह अनकॉन्स्टीट्यूशनल कार्यवाही हुई है इसको वे सदन में स्वयं स्वीकार करेंगे। क्या मंत्री महोदय यह चाहते हैं कि मैं एक एक का नाम लेकर सेक्रेटेरियेट में शिकायत करूं और उन लोगों से दुश्मनी मोल लूं ? यह मेरी ड्यूटी है या सरकार की ड्यूटी है ? सरकार यदि यह जिद् लेकर चल रही है कि सदन में इसकी घोषणा नहीं की जाय तो मैं यह कहना चाहता हूं कि एक दिन आयेगा कि चेयरमैन को इसी कारण से त्यागपत्र देना पड़ेगा, राजस्थान सरकार और भारत सरकार की भी हिम्मत नहीं कि उसे रोक सके। इस तरह सरकार को जिद् पर है तो यह सदन का अपमान करना है और अनकॉन्स्टीट्यूशनल कार्यवाही पर मोहर लगाने जैसी कार्यवाही है। आप कहते हैं कि ईमानदारी

Page No. 98

(श्री भैरोंसिंह)

से काम करनेवालों को बेईमान नहीं बनाना चाहते, गरीबों की हिमायत करेंगे, उनको कर्ज देंगे तो वे बेईमान हो जायेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि गरीब हमेशा के लिये इसी तरह गरीब रहें, वे भुख-मरी में मर जायं पर आप उनको कर्ज नहीं दें ?

श्री बरकतुल्लाखां : मुझे मिसरिप्रेजेन्ट किया जा रहा है, मैंने यह नहीं कहा है....

श्री भैरोंसिंह : आपने आदर्श के रूप में कहा है। आपने आदर्श रखा कि गरीबों को पैसा दिया तो बेईमान हो जायेंगे।

श्री बरकतुल्लाखां : मैंने यह कहा कि रूल्स को रिलेक्स किया तो गड़बड़ हो जायेगी........

श्री भैरोंसिंह : जिस तरह से अमीरों को पैसा दिलाते हैं उसी तरह गरीबों को भी पैसा दिलाइये।

श्री बरकतुल्लाखां : रूल्स के रिलेक्सेशन का सवाल है इसको किया तो गड़बड़ हो जायेगी। He cannot put those words into my mouth which I did not speak.

भैरोंसिंह : No question of relaxation of the rules was raised.

क्वेश्चन तो रूल्स बनाने का है। रूल्स को देखिये, ढाई सौ से कम आमदनी है उनको हाउसिंग लोन देते हैं। लेकिन जितने कम आमदनी वाले हैं उनको लोन्स नहीं दिये हैं, जिनकी ज्यादा आमदनी है उनको लोन्स दिये हैं। कम आमदनीवालों को लोन देने की कोई व्यवस्था नहीं। इसकी चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि रूल्स का रिलेक्सेशन होता है। अमीरों के लिये रूल्स का रिलेक्सेशन होता है तो कोई बात नहीं, पर जहां गरीबों का सवाल आता है वहां रूल्स के रिलेक्सेशन की बात कही जाती है। गरीबों को मदद देने के लिये यदि रूल्स का रिलेक्सेशन करने की जरूरत हो तो करना होगा। अमीरों के लिए सरकार रिलेक्सेशन कर देती है रूल्स का और जहां गरीबों का सवाल आता है सरकार कहती है कि रूल्स का रिलेक्सेशन नहीं कर सकते।

सभापति महोदय, सरकार कहती है कि नाम पेश किये जायें तो इन्क्वायरी कर सकती है। तो मैं यह पूछना चाहूंगा मन्त्री महोदय से कि क्या सरकार यह चाहती है कि मैं एक एक अधिकारी का, एक एक व्यक्ति का नाम बताता फिरूं जिन्होंने कि सरकार के ट्रस्ट को धोखा देकर बीबी, बच्चों के नाम जमीनें ली हैं, ट्रान्सफर की हैं और उन जमीनों को लोगों को बेची हैं और इस तरह से मैं उन लोगों से दुश्मनी मोल लूं ? क्या आपके कहने का मतलब यह है कि आप जांच नहीं करेंगे ? मैं एक एक के खिलाफ शिकायत करूं और सेक्रेटेरियेट के चक्कर लगाता फिरूं ?

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : माननीय सदस्य जो नाम बताना चाहें, सदन की मेज पर रख दें, सेक्रेटेरियेट के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं।

श्री भैरोंसिंह : मुझे लिस्ट सदन की

(श्री भैरोंसिंह)

मेज पर रखने की जरूरत नहीं है, वह लिस्ट तो आपने स्वयम् ने ही सदन की मेज पर रख दी है।

श्री दौलतराम सारण (उप-मन्त्री स्वायत शासन) : सामूहिक रूप से रखी है। जिन पर एतराज है वह बतावें।

श्री मथुरादास माथुर : जिन लोगों ने धोखा दिया सरकार को, जिन लोगों ने धोखा दिया अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड को, धोखा देकर जिन लोगों ने प्लॉट्स अलॉट करा लिए, करप्शन फैला रखा है, जयपुर से आने वाले दूसरे साथी ने भी कहा तो आप नाम उनके यहां पर रख दीजिये और उसका जवाब देने की जिम्मेदारी हमारी है।

श्री भैरोंसिंह : यह लिस्ट मैं सदन की मेज पर रखता हूं जो माननीय मंत्रीजी ने लिस्ट सदन की मेज पर रखी है।

श्री मथुरादास माथुर : अलॉटमेन्ट सब के नाम पर है।

श्री भैरोंसिंह : अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ने १३८ व्यक्तियों को प्लॉट्स दिये थे जो अनधिकृत हैं, जिन पर सरकार को कोई अधिकार नहीं था। उन लोगों के पास जमीन है, उन लोगों के पास पक्के मकान हैं, जिन्होंने अपने परिवारवालों के नाम से लिये हैं, जिन्होंने अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को धोखा दिया है। यह १३८ व्यक्तियों की लिस्ट है और सरकार कार्यवाही करना चाहती है तो कार्यवाही करे। सदन को मेज पर लिस्ट रखी हुई है और उसको ध्यान में रख लें।

(व्यवधान)

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : क्या कह रहे हैं....

(व्यवधान)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): How can we abrogate the Trust? On a point of information, I wanted to ask, as to how is the Government competent to abrogate the Trust. It is the Court of Law that can abrogate the Trust. This is not quite clear to me.

श्री भैरोंसिंह : तो ऐसी हालत में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा....

(व्यवधान)

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): Some information has been sought by the Leader of the Swantra Party and it is a constitutional issue.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : It is the Court's decision that can make the Trust Ultra-vires. The Court of law decides as to whether a Trust is valid or not. So, if the Hon'ble Member thinks so it will be more proper to challenge in the Court of Law rather than to call upon the Government to abrogate the Trust.

श्री भैरोंसिंह : मैं स्वतन्त्र पार्टी के नेता से बहुत सम्मानपूर्वक निवेदन करना चाहूँगा....

(व्यवधान)

श्री मुक्तिलाल मोदी : On a point of order, Sir. जन संघ के माननीय नेता कह रहे हैं जो रूलिंग दी है एटोरनीजनरल ने वह मानी जाय। सुप्रीम कोर्ट के अन्दर या हाई कोर्ट के अन्दर कोई फैसला होता है तो वह माना जावेगा न कि एक वकील ने जो राय दी है वह मानी जायेगी।

श्री सभापति : यह कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैं स्वतन्त्र पार्टी के नेता से निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्रत्यक्ष में अनकॉन्स्टीट्यूशनल बातें मालूम हो रही हैं तो क्या वे चाहते हैं कि इस प्रकार प्रत्यक्ष में मालूम होने वाली अनकॉन्स्टीट्यूशनल बातों के लिए कोर्ट में हम जायें? जिन बातों को सरकार स्वयं स्वीकार करती है उसके लिए तो सरकार को जाना चाहिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : काउन्टर एफेडेविट दायर कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : कोई जरूरत नहीं है काउन्टर एफेडेविट की। माननीय मंत्री महोदय ने कल सदन में स्वीकार किया है कि शीतलवाड की ओपिनियन ली गई थी और उनकी ओपिनियन इस प्रकार की आयी थी....

श्री बरकतुल्लाखां : मैंने उस दिन भी निवेदन किया था और मुझे यदि गलत समझा गया है तो यह मेरी बदकिस्मती है। मैंने यह कहा था एटोरनीजनरल की ओपिनियन की हम कद्र करते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ओपिनियन और रूलिंग में डिफरेन्स है। Opinion is not the judgment.

श्री बरकतुल्लाखां : That is what I say and now my friend is very keen to interpret it, that I had accepted.

श्री सभापति : समय बहुत कम है। यदि सदन की राय हो तो कुछ समय बढ़ा दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : १० मिनट बढ़ा दिये जावें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मसला बहुत इम्पोर्टेन्ट है इसलिये आध घन्टे का समय बढा दिया जाय।

कई माननीय सदस्य : नहीं साहब, नहीं बढ़ाया जाय।

भैरोंसिंह : तो फिर यह पूरा नहीं होगा, इसलिए हाउस को पोस्टपोन कर दिया जाय। मेरा रिप्लाई पूरा नहीं होगा और कांग्रेस के लोग ऐसा चाहते हैं तो हाउस को पोस्टपोन कर दीजिये।

कई माननीय सदस्य : आज ही पूरा कीजिये।

श्री भैरोंसिंह : तो मैं निवेदन कर रहा था कि यह जो एटोरनीजनरल की ओपिनियन है इसको लेकर क्या सरकार हाईकोर्ट में जावेगी, सुप्रीम कोर्ट में जावेगी या हमको जाना चाहिये? सरकार इस प्रकार के मामलों में अपने लॉ डिपार्टमेंट से राय लेती है, एडवोकेट जनरल से राय लेती है और एटोरनीजनरल से राय लेती है और उस चीज़ को एस्टेब्लिश कराने के लिए क्या यह मेरी ड्यूटी है या सरकार की? सरकार यह कहती है कि

(श्री भैरोंसिंह)

मेरी ड्यूटी है तो कोर्ट में जाना चाहिये। यह तो एक लीगल तरीका है। एडवोकेट जनरल, एटोरनी जनरल और राज्य का लॉ डिपार्टमेंट इसीलिए रहते हैं कि सरकार को कानूनी ओपिनियन दें।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय चेयरमैन, माननीय सदस्य की इत्तला के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय मिनिस्टर ने कह दिया है कि हमारे पास लॉ डिपार्टमेंट की ओपिनियन है, हमारे पास एडवोकेट जनरल की ओपिनियन है, हमारे पास एटोरनी जनरल की ओपिनियन भी पहुंच गई है। उन पर गवर्नमेंट विचार कर रही है। हमने कभी नहीं कहा कि हमने उनकी राय को रिजेक्ट कर दिया है। हाईकोर्ट की रूलिंग होती तो कोई बात नहीं होती। जब कोई कॉन्फलिक्टिंग ओपिनियन आती है तो उसको सरकार द्वारा कन्सीडर करने में जरा थोड़ा समय लगता है। कन्सीडरेशन के बाद फाइनल करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : नवम्बर महीने में ओपिनियन आ गई थी। पांच महीने से अधिक का समय हो गया है।

(व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर : ओपीनियन आयी है। उसका विचार कर रहे हैं। माननीय मिनिस्टर ने कह दिया है कि इस पर विचार कर फैसला करेंगे। इससे माननीय सदस्य को संतोष होना चाहिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सभापति जी, मैं आपको जानकारी दूं कि उनके अपोइन्टमेन्ट के बाद ओपिनियन पूछी गई है, न कि पहले।

श्री भैरोंसिंह : मुझे यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : अपोइन्टमेन्ट देने के बाद सरकार को हक नहीं है। तीन वर्ष का अपोइन्टमेन्ट देने के बाद उनको हटा देना चाहिये। हाई कोर्ट के रूलिंग के बाद यह हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह : जिन्होंने आपको पढ़ा कर भेजा है........

(व्यवधान)

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : On a Point of Order, Sir. I take a serious exception to it. This is against the dignity of the Hon'ble Member, Sir.

(व्यवधान)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : He should withdraw.

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : He should withdraw.

श्री सभापति : Order ! Order Please !!

(व्यवधान)

श्री निरंजननाथ आचार्य : माननीय सदस्य ने जो एक्सप्रेशम दिया है और कहा है कि उनको पढ़ा कर भेजा है this is against the dignity of the Hon'ble Member. He should withdraw these words.

श्री भैरोंसिंह : किसी मेम्बर को प्रोवोक करना भी डिग्निटी के खिलाफ है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हाउस में लेवें....

(व्यवधान)

श्री सभापति : Order ! Order please!!

श्री मानसिंह महार (आमेर) : मेम्बर कन्सर्ड को कहने दीजिये उनको क्या शिकायत है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Your Ruling is...

श्री मुक्तिलाल मोदी : उनको पढ़ा कर भेजा है, यह कहा है। वे अपने शब्द वापिस लेंगे तब ही मैं मानूंगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : Order ! Order !!

(घंटी)

क्या टाइम एक्सटेन्ड किया जाय पांच, सात मिनट का ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : What about my point of Order, Sir.

श्री मथुरादास माथुर : माननीय चेयरमैन, हम यह नहीं चाहते कि सदन में यह इम्प्रेशन रहे। यह बड़ा अहम मसला है आम लोगों के लिए। दस मिनट का इसलिए समय बढ़ा दिया जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : What about my Point of Order, Sir ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : He should withdraw...

श्री भैरोंसिंह : मैं जवाब देता हूं आपके पोइन्ट ऑफ ऑर्डर का।

(व्यवधान)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : You are nobody to interpret.

श्री सभापति : Order ! Order !! टाइम दस मिनट का बढ़ा दिया गया है। Now Mr. N. N. Acharya will please state his Point of Order.

श्री निरंजननाथ आचार्य : माननीय सभापतिजी, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ भावावेश में तो नहीं कह सकता, क्योंकि वे कभी होते नहीं हैं, किन्तु कुछ शब्द ऐसे हैं....

श्री भैरोंसिंह : हमेशा सेन्सेज़ में रहता हूं, नॉनसेन्स नहीं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उन्होंने जो शब्द कहे हैं श्री मुक्तिलाल मोदी के लिए कि उनको किसी ने पढ़ा कर भेजा है....

(व्यवधान)

I have the privilege to raise a Point of Order, Sir.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This is wasting the time of the House, Sir.

श्री निरंजननाथ आचार्य : I must be given time, Sir. I am being disturbed by the Hon'ble Members.

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

ये शब्द कहे हैं कि उनको सिखला करके भेजा है।

I mean to say, Sir, that the expression as used by the Hon'ble Member that the Hon'ble Member has been briefed by some persons, this is against the dignity of the House and the dignity of the Hon'ble Member and this amounts to a breach of privilege of the House. So the Hon'ble Member may be asked to withdraw his words. He being a friend of mine, I don't want any serious action to be taken, but the expressions may be expunged. This is the only lenient view that the House can take.

श्री सभापति : Were these words said ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : Yes, Sir.

श्री सभापति : (श्री भैरोंसिंह से) Will you please let me know whether you used those words ?

श्री भैरोंसिंह : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य बहस को देख कर कई बार ऐसी बातें कहते हैं जिससे वे यह बताना चाहते हैं कि कानून की जानकारी उन्हीं को सबसे ज्यादा है....

श्री निरंजननाथ आचार्य : Again reflection, Sir. There is a Point of Order, Sir. This is again a reflection on the Hon'ble Members.

श्री भैरोंसिंह : It is a correct reflection, if it is a reflection.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : In order to facilitate the matters, I would like to say that the Home Minister said that they are in possession of some legal opinion. If the matter is under consideration of the government may I now...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a Point of Order, Sir, he cannot raise any point unless one Point of Order is disposed of.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a Point of Order, Sir, that when one Member is speaking, he should not disturb.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : When I hold the floor, Sir, the Hon'ble Member should sit down. And so I wanted to ask the Government as to how long they are likely to take in arriving at a decision in this connection ? The Government cannot sit on the fence over important matters for such long durations. They must give certain indication of their mind.

श्री निरंजननाथ आचार्य : It is a question between the Hon'ble Members and the House, Sir.

So what about my Point of Order..

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह : माननीय सभापति महो-

(श्री भैरोंसिंह)

दय, मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन इतना अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मैंने कुछ भी उन माननीय सदस्य की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल कहा है जिस व्यक्ति की ईमानदारी और जिस व्यक्ति का चालचलन राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य से कई गुना अच्छा समझता हूँ....

श्री निरंजननाथ आचार्य : I don't want to go into the details so far as the technique and tactics of the Hon'ble Member are concerned. I don't want to pass any remarks. But he is again casting reflections for which he must render unconditional apology in the House, Sir.

श्री सभापति : आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, जो उनकी हिमायत करते हैं उनका मैं टेस्ट कर रहा था। मैंने यह कहा था कि जो उनकी हिमायत कर रहे हैं उनसे वे कई गुना अच्छे हैं। ऐसी हालत में, सभापति महोदय, माननीय मुक्तिलालजी मोदी के प्रति मेरे द्वारा जो कुछ शब्द निकल गये मुझे उनको वापिस लेने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा कि विरोधी पक्ष को उनके प्रति कोई विरोध नहीं, दोस्त के नाते वे ऐसा कह रहे थे। यह तो उनके साथ एक प्रकार का पक्षपात है।

(विराम)

I think we should leave this.

श्री निरंजननाथ आचार्य : I have so many things about the Hon'ble Member, which I can place before the House, Sir.

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन कर रहा था इस सारी स्थिति के अन्दर हम इस मसले को जहां तक संविधान का सवाल है करप्शन इसे कह सकते हैं, इर्रेगुलेरिटी कह सकते हैं, प्लॉट्स के अलॉटमेन्ट में जो घांधली हुई है........

श्री मुक्तिलाल मोदी : सभापति महोदय, मेरे लिये माननीय सदस्य ने जो शब्द कहे थे कि मैं पढ़ कर आया हूं........

श्री भैरोंसिंह : आप किसी के कहने सुनने में मत आइये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : सभापति महोदय, मैं एक भी गलत बात नहीं करता। अगर मैं कोई भी गलत बात कहता हूं तो मुझे कोई भी कुछ कह सकता है।

श्री भैरोंसिंह : तो मैंने जो निवेदन किया उस आधार पर मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं........

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसिन्द) : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, जो शब्द माननीय सदस्य ने मुक्तिलालजी मोदी के लिये कहे उनको वापिस लेते हैं या नहीं ?

श्री भैरोंसिंह : There is point of Order सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था उन सारी हालतों के अन्दर जहां तक जयपुर के विकास का मसला है आज सरकार चाहे कुछ भी बात कह दे किन्तु कोई भी व्यक्ति अलॉटमेन्ट के इश्यु को लेकर कोर्ट में चला जाय। एक दफा जब ऑर्डर इश्यु हो गये तो सरकार को इस पोजीशन में आना पड़ेगा कि गलत कार्यवाहियों को दुरुस्त करने के लिये रिट्रोस्पेक्टिव डेट से कोई ऑर्डिनेन्स इश्यु करे। सरकार को इन सारी परिस्थितियों को सामने रख कर अटोरनी जनरल की ओपीनियन के बाद मैं समझता हूँ सरकार के लिये और कोई लीगल साइड में जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती। यह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मामला जाय, ऐसी बात नहीं। क्योंकि यह मामला न तो मेरे बीच है और न सरकार के बीच और न किसी पार्टी के बीच है। यह तो सरकार के अस्तित्व का प्रश्न है। सरकार ने अपनी पोजीशन ठीक प्रकार ठीक बजा कर देखी है। सरकार कह सकती है कि वह अपनी प्रतिष्ठा को रखना चाहेगी। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ आपको अपनी प्रतिष्ठा का खयाल न कर संविधान की प्रतिष्ठा रखनी है। आपने अनजाने में कोई गलती कर दी है तो आपको उसको प्रोटेक्शन नहीं देना चाहिये। आपको चाहिये उसके लिये पश्चाताप करें........

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : आप जल्दी समाप्त करें।

श्री भैरोंसिंह : ऐसी हालत में, जो प्रस्ताव मैंने सदन के समक्ष रखा है उसमें किसी प्रकार का राजनैतिक दृष्टिकोण नहीं, एक दूसरे को कोसने का दृष्टिकोण नहीं, किसी की व्यक्तिगत वैमनस्यता का प्रश्न नहीं। इतना जरूर हम मान कर चलें कि मौजूदा अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, जयपुर ने जयपुर का विकास नहीं किया उसके लिये कोई योजनायें नहीं बनाई और जिन लोगों को प्लॉट्स मिलने चाहिये ये उनको नहीं दिये गये। ऐसी हालत में, सदन इस प्रस्ताव को बहुमत के आधार पर न देख कर कॉन्स्टीट्यूशन के पोइन्ट ऑफ व्यू से इसको देखे। आप इस प्रस्ताव के विरोध में मत देते समय उस १३ तारीख को याद करें जिस दिन आप लोगों ने संविधान के प्रति श्रद्धा की शपथ ली है। आज उस संविधान के प्रति आस्था की परीक्षा है, आप संविधान को श्रद्धा के साथ देखते हैं या नहीं। उसकी प्रतिष्ठा रखना आप और हम सब का कर्त्तव्य है। इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव मत दान के लिये प्रस्तुत करता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री भैरोंसिंहजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संकल्प गिर गया।

[तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० १.६ बजे बुधवार, दिनांक २ मई, १९६२ के प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई।]

संक्षिप्त-विवरण

(मंगलवार, १ मई १९६२)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	५४२५	आयुर्वेदिक औषधालय, इन्द्रपुरा।	
म्युनिसिपल बोर्ड, हिन्डौन।		राजस्थानी साहित्य।	
गिरदावरी की निर्धारित अवधि में वृद्धि।		बारां में मंडी का निर्माण।	
मंडी निर्माण-लाखेरी।		हाई स्कूल, मांगरोल (कोटा)।	
पंचायत समिति, सांचोर।		लाइम स्टोन।	
सहरियों को वितरित की गई भूमि।		डाइरेक्ट चार्ज के मंदिरों के कर्मचारी। जयसमुन्द्र तालाब से नहरों की निकासी।	
सरपंच, पंचायत समिति कोटड़ा द्वारा पंचायत की रकम को व्यक्तिगत उपयोग में लिया जाना।		हायर सैकन्डरी (पार्ट १) के सोशल स्टडी का प्रश्न-पत्र।	
जागीर बॉन्ड्स।		हायर सैकन्डरी परीक्षा।	
गम्भीरी बांध।		खारी बांध से सिंचित भूमि।	
प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों का स्थानान्तरण।		पुलिया पर सीमेन्ट कंकरीट का कार्य।	
पंचायत समिति, चौरू (उनियारा) जागीरदारों के मुआवजों के दावे।		जागीरों के मुआवजों के दावे।	
औषधालय।		**अल्पकाल सूचना प्रश्नोत्तर**	५४८५
मीना आश्रम स्कूल, सिकराय।		हाईकोर्ट व दीगर दीवानी अदालतों तथा रेवेन्यू अदालतों का समय।	
रिलीफ कार्य।		**विशेषाधिकार-प्रश्न**	
बारां में कॉलेज की स्थापना।		सन् १९६२-६३ के बजट में दिये गये आंकड़ों में गलतियां होने संबंधित श्री मानिकचन्द सुराना के	
माध्यमिक शाला, कुडगांव।			

स्कम्भ

विशेषाधिकार प्रश्न को सदन में उठाये जाने की अनुमति नहीं देते हुए अध्यक्ष महोदय ने बतलाया कि बजट जैसे मोटे तथा महत्वपूर्ण पत्रों को, जिनमें अधिकांश में अंक हों, सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने से पहले पूरी तरह जांचा जाना चाहिये; किन्तु यह मामला ऐसा नहीं जो विशेषाधिकार हनन की परिसीमा में आ सके।

सदन की मेज पर रखा गया विवरण ५४६०

श्रीमती कमला बेनीवाल, उपमन्त्रिणी विद्युत ने इंडियन इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, १९४८ की धारा ६१ (३) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वार्षिक वित्तीय विवरण (आय व्ययक), १९६२-६३ को सदन की मेज पर रखा।

विधायी कार्य

प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन ५४६०

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, सभापति, प्रवर समिति, ने जोधपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९६२ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का (असहमति-पत्रों सहित) उपस्थापन किया।

गैर-सरकारी सदस्य कार्य

(क) राजस्थान रिलीफ (सहाय्य) प्रतिष्ठान (विशेष प्रावधान) संशोधनविधेयक, १९६२ ५४६१

स्कम्भ

श्री कुमारानन्द ने सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् राजस्थान रिलीफ (सहाय्य) प्रतिष्ठान (विशेष प्रावधान) संशोधन विधेयक, १९६२ को पुरःस्थापित किया।

(ख) संकल्प

(१) चम्बल प्रोजेक्ट क्षेत्र सम्बन्धी ५४६१

कु० श्री महेन्द्रसिंह, द्वारा प्रस्तुत निम्नांकित संकल्प मुख्य मंत्री, श्री मोहनलाल सुखाड़िया के उत्तर के पश्चात् संबंधित सदस्य द्वारा वापिस ले लिया गयाः--

"इस सदन की सम्मति है कि चम्बल प्रोजेक्ट एरिया के ग्रामों में विकास संबंधी निर्माण कार्यों के लिये अधिक आर्थिक सहायता दी जाय।"

(२) राज्य कर्मचारियों के वेतन सम्बन्धी ५५०१

श्री मुरलीधर व्यास, सदस्य, विधान सभा, ने निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत कियाः-

"इस सदन की सम्मति है कि राज्य के कर्मचारियों का वेतन स्तर १:५ का हो और वह कम से कम १००) रु० और अधिक से अधिक ५००) रु० हो।"

इस संकल्प पर श्री उमरावसिंह व श्री गोकुलप्रसाद शर्मा ने संशोधन प्रस्तुत किये। श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री, के उत्तर के पश्चात् श्री गोकुलप्रसाद शर्मा

स्कम्भ

ने सदन की अनुमति से अपना संशोधन वापस ले लिया एवं श्री उमरावसिंह का संशोधन सदन द्वारा अस्वीकार किया गया।

संकल्प सदन द्वारा अस्वीकार किया गया।

(३) वर्तमान अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ठ, जयपुर सम्बन्धी

५५६८ श्री भैरोंसिंह, ने निम्नांकित संकतल्प प्रस्तुत किया:–

"इस सदन की सम्मति है कि वर्तमान अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जयपुर को भंग किया जाय।"

स्कम्भ

इस पर की गई बहस का उत्तर श्री बरकतुल्लाखां, स्वायत्त शासन मंत्री ने दिया।

संकल्प सदन द्वारा अस्वीकार किया गया।

सदन की बैठक १ बज कर ८ मिनट पर बुधवार, दिनांक २ मई, १९६२ को प्रातः ८–०० बजे तक के लिये स्थगित की गई।

बुधवार, दिनांक २ मई, १९६२, की कार्यसूच

राजस्थान वित्त विधेयक, १९६२ (विचार विमर्श)

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३४५ का उत्तर देखिये)

यकुम जनवरी सन् १६६० से आखिर मार्च, सन् १६६२ तक जागीर मुआवजे के मुकदमे डिप्टी कलेक्टर (जागीर) पाली द्वारा फैसल किये गये उसका विवरण

माह	तादाद फैसल मुकदमात	
	बड़ी जागीर	५०० से कम की जागीर
१	२	३
जनवरी, १६६०	४३	१३१
फरवरी	६५	६६
मार्च	३०	--
अप्रेल	१२	—
मई	२८	—
जून	—	—
जुलाई	२६	५
अगस्त	१५	१२४
सितम्बर	११	—
अक्टूबर	१२	१२
नवम्बर	११	—
दिसम्बर	८	—
जनवरी १६६१	१८	—
फरवरी	५	७२
मार्च	१६	—

१	२	३
अप्रेल	—	११४
मई	१५	१२०
जून	—	— डिप्टी कलेक्टर के
जुलाई	—	— अवकास पर रहने से
अगस्त	१६	८२
सितम्बर	३६	३२
अक्टूबर	२०	१०८
नवम्बर	१६	६७
दिसम्बर	२६	२१६
जनवरी १९६२	३०	६३
फरवरी	—	— चुनाव कार्य में व्यस्त रहने से
मार्च	—	— डिप्टी कलेक्टर के अवकाश पर रहने से

परिशिष्ट २

(कृपया अल्पकालीन सूचना प्रश्न का उत्तर देखिये)

Immediat No. F. I (21) GA/ A/ Gr. II/ 58.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

(General Administration Department 'A')

ORDER

Dated Jaipur, the 28th April, 1962.

Sub:—Office Hours in Rajasthan.

Ref—This Department endorsement of even number, dated 26-3-1962.

In supersession of this Department endorsement referred to above, the Governor is pleased to order that this year Courts of District Magistrates, Additional District Magistrates, Sub-Divisional Magistrates, Extra Magistrates and other Sub-ordinate Courts shall observe morning hours from April, 30th to June, 30, both days inclusive.

Sd/-R. J. Majithia.
Deputy Secretary to Government,

Copy forwarded to the:—

1. All Secretaries to Government.
2. Secretary to Governor.
3. Secretary to Chief Minister.
4. Private Secretaries to Ministers and Dy. Ministers.
5. All Department/Sections of the Sectt.
6. All Heads of Departments (Except Collectors).
7. All Collectors.

8. Director of Public Relations, Rajasthan, Jaipur,

for favour of giving wide publicity throghout Rajasthan through Newspapers and All India Radio.

9. Superintendent, Government Central Press, Jaipur for publication in the Rajasthan Rajpatra.

Copy also forwarded to the:—

1. Secretary, Rajastnan Legislative Assembly, Jaipur.

2. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.

3. Registrar, Rajasthan High Court, Jodhpur.

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR.

NOTIFICATION

No. 2/E. V. Dated the 8th February, 1962.

The Courts of Sessions and Sub-ordinate Civil Courts including Courts of Munsif Magistrates will observe morning hours viz. 7 A. M. to 12 Noon from Monday the 30 the April, 1962 to Saturday the 30th June, 1962. (both days inclusive.).

By Order of the Court,
Sd/ Roop Singh,
REGISTRAR.

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR.

NOTIFICATION.

No. 1/E. V. Dated the 8th February, 1962.

The High Court will observe morning hours viz. 7-30 A. M. to 12 noon from Monday the 30th Aprill, 1962 to Saturday the 30th June, 1962 (both days inclusive).

By Order,
Sd/-Roop Singh.
REGISTRAR.

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक १ मई, १६६२)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
५४२७	१३	पुन: गठन	पुनर्गठन
५४३४	१०	म्युनिसिपैलटी	म्युनिसिपैलिटी
५४३७	८,१२,२५	सहकारियों	सहरियों
,,	११	में में	में
५४४०	अन्तिम से १०	प्रश्न नहीं	प्रश्न ही नहीं
५४४२	६	यह नियम है ?	यह नियम है ।
५४४४	१३	मुकदमें फेस	मुकदमें फैसल
५४४५	४	बिलों की	जिलों की
५४४६	१३	ऑशन फार्म	ऑप्शन फॉर्म
५४४८	अन्तिम	नहीं	नहीं हैं !
५४५६	५	कितनों का ।	कितनों का ?
५४५७	१२	लगायेंगी ।	लगायेगी
५४६०	अंतिम	मात्र	एक मात्र
५४६६	५	इन्ड्रोड्यूस	इन्ट्रोड्यूस
५४६८	२	बोले जाने वाली	बोली जाने वाली भाषा
५४६९	अंतिम से ८	मांगलोर	मांगरोल
५४७०	अंतिम से ३	अगर हो	अगर हां
५४७१	२	रामपुरा एरिया	रामपुरा एरिया,
५४८६	४	अल्पकाल सूचना	[अल्पकाल सूचना
,,	२१	रखती है ?]	रखती है ?
५४९०	अन्तिम से ४	का उपस्थान	का उपस्थापन

१	२	३	४
५५६८	५	अरबन इम्पूवमेन्ट	अर्बन इम्प्रूवमेन्ट
५५८९	शीर्षक	इम्प्रवमेन्ट	इम्प्रूवमेन्ट
५५९२	१५	इम्प्रवमेंट	इम्प्रूवमेन्ट
५५६८	६	सम्त्रन्धी संकल्प	सम्त्रन्धी गैर सरकारी संकल्प
५६१७	अंतिम	अनकॉनस्टीहयूशनल	अनकॉन्स्टीट्यूशनल
५६१८	अंतिम से ३	सरकार को जिद्द	सरकार जिद्द

अनुपूरक शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक १ मई, १९६२)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
विषय-सूची	४	विशेषाधिकार, प्रश्न	विशेषाधिकार प्रश्न
,,	११	इम्प्रवमेन्ट	इम्प्रूवमेन्ट
५४३२	१७	परसे; टेज	पर्सेन्टेज
५४३८	२४	नागेन्द्रबाला	नगेन्द्रबाला।
५४९७	शीर्ष	प्रोजेक्ट ते के	प्रोजेक्ट क्षेत्र के
५५४१	१४	निरंजनानाथ	निरंजननाथ
५५८१ व ५६१७	शीर्षक	इम्प्रवमेंट	इम्प्रूवमेंट
५६०२	६	ज्वालाप्रसाद शर्मा	श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा
५६०८	शीर्षक	भंग करने	भंग करने